

JOINT COMMITTEE REPORT

In the matter of National Green Tribunal (CZ)

Original Application No. 67 of 2025 order dated 23.05.2025

Hemraj Meena

V/s

State of Rajasthan & Ors.

Member of the Committee

- (i) Sh. Sunil Kumar Meena, Scientist- E, Regional Directorate, Central Pollution Control Board, Bhopal.
- (ii) Sh. Om Prakash Sharma, Deputy Conservator of Forests, (WL), Rural, Jaipur.
- (iii) Smt. Vinita Singh, ADM (Revenue), Jaipur
- (iv) Smt. Pooja, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)

Date of Visit: 18.07.2025

JOINT COMMITTEE REPORT IN O.A. 67 OF 2025

~~ INDEX~~

S. No.	Particular	Page no.
1.	Joint committee report in NGT O.A. 67 of 2025 order dated 23.5.2025	3-10
2.	Annexure-I Copy of the Hon'ble NGT order dated 23.5.2025	11-13
3.	Annexure-II Copy of the nomination's letters of the committee members	14-17
4.	Annexure-III Copy of Architect certified Map of total built up area	18
5.	Annexure-IV Copy of the letter of DCF, Wildlife, Jaipur dated 5.8.2025	19-20
6.	Annexure-V Copy of the circular dated 26.09.2023 of Forest, Environment & Climate Change Department of Govt of Rajasthan	21-22
7.	Annexure-VI Copy of the document viz. 'Electricity connection for non-agricultural use' & 'Conversion order/Patta for non-agricultural use'	23-238
8.	Annexure-VII Copy of the Zonal Master Plan of ESZ of Jamwaramgarh	239-298
9.	Annexure-VIII Copy of the RSPCB industrial categorization under ROGW dated 02.06.2020	299-306
10.	Annexure-IX Copy of the RSPCB issued CTE & CTO to PP	307-320
11.	Annexure-X Copy of the RSPCB letter 19.6.2025 vide which unit was considered operational	321
12.	Annexure-XI Copy of the CGWA NOC valid upto 09.10.2026	322-323
13.	Annexure-XII Photographs taken during the field visit of the committee	324-326

Factual Report in the matter of Hemraj Meena V/s State of Rajasthan & Ors. (OA No. 67/2025) as per the directions of Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

1.0 Background

In the case filed by Sh. Hemraj Meena V/s State of Rajasthan & Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, the applicant Sh. Hemraj Meena has raised the issue regarding illegal operation of a Hotel named as "Ananta Spa and Resorts" at khasra no. 361/2, 361/3, 369/2, 369/3, 371, 371/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373, 373/1, 374, 374/1 and 375 of village Ghata Jaldhari, Tehsil Jamwaramgarh, within the notified Eco-Sensitive Zone of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary at Aravalli ranges in Jaipur district of Rajasthan.

It is also alleged that that the Project Proponent undertook construction after the ESZ Notification was notified, and has been operating the resort since the last six months. The resort has also illegally encroached the nearby forest land at Khasra No. 333, 388 and 389 in Jamwaramgarh Tehsil, District Jaipur for converting the said area into a parking lot for guests, in violation of the Forest (Conservation) Act, 1980.

2.0 Order of the Hon'ble NGT

Hon'ble NGT (CZ), vide its order dated 23.5.2025 directed as stated below:

Para 1. Issue raised in this application is illegal operation of a resort undertaken by the Respondent No. 7 Ananta Spa and Resorts (hereinafter referred to as 'Project Proponent'). The resort was constructed at Khasra No. 361/2, 361/3, 369/2, 369/3, 371, 371/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373, 373/1, 374, 374/1 and 375 of village Ghata Jaldhari, Tehsil Jamwaramgarh within the notified Eco-Sensitive Zone of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary at Aravalli ranges in Jaipur district of Rajasthan. The MoEF&CC by Notification

No. S.O. 6212(E) dated 14.12.2018 declared Eco-Sensitive Zone of the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that the Project Proponent undertook construction after the ESZ Notification was notified, and has been operating the resort since the last six months. The resort has also illegally encroached the nearby forest land at Khasra No. 333, 388 and 389 in Jamwaramgarh Tehsil, District Jaipur for converting the said area into a parking lot for guests, in violation of the Forest (Conservation) Act, 1980.

Para 5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

- (i) One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest, State of Rajasthan (Rajasthan)
- (ii) One Representative from the Principal Secretary (Revenue), State of Rajasthan (Rajasthan)
- (iii) One Representative from the Central Pollution Control Board, integrated office at Jaipur, (Rajasthan)
- (iv) One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (Rajasthan)

Para 6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

Copy of the Hon'ble NGT order dated 23.5.2025 is enclosed as **Annexure-I**.

3.0 Composition of the committee:

The Rajasthan State Pollution Control Board being a Nodal Agency in this matter, sought the nominations from departments involved in the committee constituted by Hon'ble NGT and following officials were nominated:

- (i) Sh. Sunil Kumar Meena, Scientist- E, Regional Directorate, Central Pollution Control Board, Bhopal.
- (ii) Sh. Om Prakash Sharma, Deputy Conservator of Forests, (WL), Rural, Jaipur.
- (iii) Smt. Vinita Singh, ADM (Revenue), Jaipur
- (iv) Smt. Pooja, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)

Copy of the nominations are enclosed and collectively marked as **Annexure-II**.

The committee members along with SDO Jamwaramgarh and Tehsildar Jamwaramgarh conducted its field visit on 18.07.2025 for the purpose of taking factual observations and analysis of official records of the said hotel activity. Sh Ravindra Pratap, Project Proponent was present during the field visit of the committee.

4.0 Observations:

- (i) The unit i.e. “Ananta Spa and Resorts” is a resort/hotel activity promoted by M/s Ravi Surya Developers Private Limited is engaged in operation of total 182 double bedded room at Khasra No. 371, 371/1, 369, 374, 374/1, 370, 369/1, 362, 372/4, 372/3, 372/2, 372/1, 373/1, 373, 376/2, 361/1, 376, 366/1, 375, 368/1, 361, at Village- Ghata Jaldhari, Tehsil- Jamwaramgarh, District- Jaipur. The geo-graphical location of the project is 27.083636°, 76.005932°
- (ii) As per Certified map of Architect, the total built up area of “Ananta Spa and Resorts” is 19826.73 Square Meter.
As EIA notification, 2006 categorized such projects under 8(a) “Building and Construction Projects” and the applicability of the Prior Environmental Clearance condition is for the building projects having ≥20,000 SQMT and <1,50,000 SQMT of built-up area. As the built-up area of the “Ananta Spa and Resorts” is less than the prescribed limit, the EC was not obtained by the PP.
Copy of Architect certified Map of total built up area is enclosed and marked as **Annexure- III**.
- (iii) With reference to the location of the project, it was reported by Sh Om Prakash Sharma, DCF, Wildlife Jaipur, that the unit “Ananta Spa and Resorts” Khasra No. 361/2, 361/3, 369/2, 369/3, 371, 371/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373, 373/1, 374,

374/1 & 375 falls outside the forest boundaries and falls within the Eco Sensitive Zone (ESZ) of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary notified on 14.12.2018. Copy of the letter dated 5.8.2025 is enclosed as **Annexure-IV**.

- (iv) That Zonal Master Plan (ZMP) of the Jamwaramgarh Wild Life Sanctuary, has been approved by the State Government which inter-alia says as under: -

“3.4 Existing Activity/Use

ESZ Notification dated 14-12-2018 prescribed regulations regarding new hotel, resort, commercial establishments, etc. This leads to the requirement of defining what is “existing.”

*For the purpose of ZMP for the ESZ, hotels, resorts, commercial establishments, etc. shall be considered as existing if they have **any** of the following issued prior to 14-12-2018 ESZ Notification of Jamwaramgarh:*

- 1. Electricity connection for non-agricultural use.*
- 2. Approval by Tourism Department as tourism unit.*
- 3. Conversion order/Patta for non-agricultural use.*
- 4. Building Plan approval.*
- 5. Order regarding change in land use.*
- 6. Proof of deposition of tax as hotel, resort, commercial establishment, etc.*
- 7. CTE/CTO/Environmental Clearance.”*

- (v) Further, as per the circular dated 26.09.2023 issued from Forest, Environment & Climate Change Department, Govt. of Rajasthan regarding clarification of Hotels, resorts etc. it has been clarified that projects having any 07 listed documents (as mentioned above) prior to issue of Notification of Eco Sensitive Zone i.e.14-12-2018 would be considered as ‘existing’.

Copy of the circular enclosed and marked as **Annexure-V**.

- (vi) The Project Proponent (PP) has submitted 02 documents i.e. ‘Electricity connection for non-agricultural use’ & ‘Conversion order/Patta for non-agricultural use’ issued prior to the dated of

ESZ notification i.e. 14.12.2018. Based on these above 02 documents & in light of the circular dated 26.9.2023, the project considered as 'existing'.

The Tehsildar, Jamwaramgarh (Jaipur) Rural also stated vide letter dated 6.8.2025 that the land conversion is done before the date of ESZ notification.

The documents are attached and collectively marked as **Annexure-VI.**

The final copy of the Zonal Master Plan of Eco Sensitive Zone of Jamwa Ramgarh wildlife Sanctuary Jaipur, Rajasthan as communicated to District Collector vide letter dated 9.11.2023 has included this Hotel under the 'Jamwaramgarh existing land use 2022'. Copy is enclosed as **Annexure-VII.**

- (vii) As per the Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB) Office order dated 02.06.2020 i.e. "the categorization of the industries/projects/Processes/activities/mines for the purpose of consent mechanism", project like "Hotels (3 Star & Above) and/or Hotels having 100 rooms and above" are categorized under **Red Category** at S.No. 27.

*Copy of the Office Order dated 2.6.2020 is enclosed as **Annexure-VIII.***

- (viii) The Project Proponent (PP) of the project "Ananta Spa and Resorts" has obtained Consent to Establish (CTE) from RSPCB on 22.03.2024 for the hotel activity for 182 double bedded rooms. Further, RSPCB has granted Consent to Operate (CTO) on 03.09.2024 with a validity till 30.06.2029.

Copy of the CTE & CTO collectively enclosed as **Annexure-IX.**

Also, as per the letter dated 19.06.2025 issued from State Pollution Control Board, the unit was considered operational since 01.08.2018 based on legal undertaking submitted by the unit and accordingly, back period fee was remitted by the unit for the period 01.08.2018 to 12.07.2024 as per the prevailing

provisions. Copy of the RSPCB letter dated 19.6.2025 is enclosed as **Annexure-X**.

- (ix) With respect to the illegal encroachment by PP on the nearby forest land at khasra no. 333, 388 and 389 in Jamwaramgarh Tehsil, District Jaipur for the purpose of parking, Sh Om Prakash Sharma, DCF, Wildlife Jaipur, submitted vide letter dated 5.8.2025 that at khasra no. 333, 388 and 389 currently there is no encroachment of M/s Ananta Spa & Resort. The Tehsildar, Jamwaramgarh (Jaipur) Rural also stated vide letter dated 6.8.2025 that there is no encroachment found on the said Khasra nos. Copy of the letters collectively enclosed as **Annexure-IV**.
- (x) The Project Proponent (PP) has obtained 'No Objection Certificate' (NOC) from Central Ground Water Authority (CGWA) for the abstraction of 110 KLD groundwater from 04 borewells, which is valid upto 09.10.2026. Unit has provided water meters at all the 03 borewells. Currently only 02 borewells are in use and other one is used for Digital Water Level Reading (DWLR). Copy of CGWA NOC enclosed and marked as **Annexure-XI**.
- (xi) The Project Proponent (PP), Shri Ravindra Pratap, informed that no high-noise activities, such as loud music or firecracker displays, are conducted within the resort premises. During the site inspection carried out in daytime, it was observed that guests were not using loud music systems, nor was any firecracker activity noted. However, the potential for such activities in future cannot be entirely ruled out. Accordingly, the PP shall ensure strict adherence to the prescribed statutory norms for noise pollution.
- (xii) Unit has provided a Microbial Biofilm Bio reactor (MBBR) based Sewage Treatment Plant (STP) for the treatment of waste water generated from the hotel rooms, kitchen & restaurant. On the day of visit, the totalizer reading of STP outlet stated that 2755KL wastewater got treated till 18.7.2025 4:30PM. The

treated water is being used in horticulture, garden development & plantation. On the day of visit, no discharge of untreated effluent was observed.

- (xiii) The Committee observed that the Project Proponent (PP) has provided separate bins for wet and dry waste at multiple designated locations within the premises. The premises were found to be well maintained and clean. The collected waste is stored at a designated storage area. In addition, the PP has established a temperature-controlled cold storage facility for wet waste to prevent foul odor and further decomposition in case of delays in waste collection and transportation.
- (xiv) The Committee further observed that no guest or invitee vehicles are permitted for internal transportation within the premises. For movement inside the premises, only electric vehicles arranged by the Project Proponent (PP) are being utilized.

The photographs are enclosed as **Annexure-XII**.

5.0 Conclusion

The Committee observed that *Ananta Spa and Resorts*, promoted by M/s Ravi Surya Developers Pvt. Ltd., is operating a facility comprising 182 double-bedded rooms with a built-up area of 19,826.73 sqm on 94,934 sqm of land, located at geo-coordinates 27.083636°, 76.005932°. The resort falls within the notified Eco-Sensitive Zone (ESZ) of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary (as per notification dated 14.12.2018) but lies outside the forest boundaries. In terms of regulatory applicability, the project does not require prior Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, as its built-up area is below 20,000 sqm. Based on the Zonal Master Plan (ZMP) of the ESZ and the Government of Rajasthan circular dated 26.09.2023, the project qualifies as an “existing unit,” having obtained electricity connection and non-agricultural conversion order prior to the notification date. It is

categorized under the 'Red Category' as per RSPCB order dated 02.06.2020. The Project Proponent has obtained Consent to Establish (22.03.2024) and Consent to Operate (03.09.2024, valid up to 30.06.2029), and has deposited back period fees for operations since 01.08.2018 as per RSPCB provisions.


The allegation of encroachment on Khasra Nos. 333, 388 and 389 for parking was examined, and the DCF (Wildlife), Jaipur confirmed that no present encroachment exists. The Committee further noted that the Project Proponent has obtained a valid NOC from CGWA for abstraction of 110 KLD groundwater from four borewells (valid up to 09.10.2026), with water meters installed. An MBBR-based Sewage Treatment Plant (STP) has been provided, with treated water utilized for gardening and plantation, and no untreated discharge was observed. Adequate solid waste management facilities are in place, including segregation of wet and dry waste, centralized storage, and a temperature-controlled cold storage for wet waste to prevent foul odor and decomposition. No evidence of loud music or firecracker use was observed during inspection, and the Project Proponent has assured compliance with prescribed noise standards. For internal transportation, guest vehicles are not permitted, and only electric vehicles arranged by the Project Proponent are in use.



(Pooja)
Regional Officer
RSPCB, Jaipur
(North)



(Om Prakash Sharma)
Deputy Conservator of
Forests, Wild Life
Rural, Jaipur.



(Sunil Kumar Meena)
Scientist-E
CPCB Bhopal



(Vinita Singh)
ADM (Revenue)
Jaipur

Annexure-I

Item No.1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No.67/2025(CZ)

Hemraj Meena	Vs.	Applicant (s)
State of Rajasthan & Ors.		Respondent(s)

Date of Hearing: 23.05.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s):	Mr. Rahul Choudhary, Adv.
For Respondent(s):	

ORDER

1. Issue raised in this application is illegal operation of a resort undertaken by the Respondent No. 7 Ananta Spa and Resorts (hereinafter referred to as 'Project Proponent'). The resort was constructed at Khasra No. 361/2, 361/3, 369/2, 369/3, 371, 371/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373, 373/1, 374, 374/1 and 375 of village Ghata Jaldhari, Tehsil Jamwaramgarh within the notified Eco-Sensitive Zone of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary at Aravalli ranges in Jaipur district of Rajasthan. The MoEF&CC by Notification No. S.O. 6212(E) dated 14.12.2018 declared Eco-Sensitive Zone of the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that the Project Proponent undertook construction after the ESZ Notification was notified, and has been operating the resort since the last six months. The resort has also illegally

encroached the nearby forest land at Khasra No. 333, 388 and 389 in Jamwaramgarh Tehsil, District Jaipur for converting the said area into a parking lot for guests, in violation of the Forest (Conservation) Act, 1980.

2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
4. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:
 - (i) One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest, State of Rajasthan (Rajasthan)
 - (ii) One Representative from the Principal Secretary (Revenue), State of Rajasthan (Rajasthan)
 - (iii) One Representative from the Central Pollution Control Board, integrated office at Jaipur, (Rajasthan)
 - (iv) One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (Rajasthan)
6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.

8. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **23rd July, 2025**.

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

23rd May 2025
O. A No. 67/2025(CZ)
K

Annexure-II

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2700151

ई-मेल: pccf.cwlv.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.8(34)2025 / ई-3789-7869826 / विधि / मुवजीप्र
निमित्त.

दिनांक:

उप वन संरक्षक (वन्यजीव), ग्रामीण,
जयपुर।विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल में लंबित मूल प्रार्थना-पत्र संख्या 67 / 2025
(cz) हेमराज मीणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का पत्र क्रमांक 356- 358
दिनांक 28.05.2025

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा मूल
प्रार्थना-पत्र संख्या 67 / 2025 (cz) हेमराज मीणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 23.
05.2025 में बिंदु संख्या 5 में समिति का गठन किया गया है।अतः पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 की अनुपालना में समिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य
वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर की ओर से आपको प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान
दिनांक:

क्रमांक: : एफ.8(34)2025 / ई-3789-7869826 / विधि / मुवजीप्र

गतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में विभाग की
ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने का कष्ट करावें।प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य
वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally Signed by Shikha Mehra
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :14-07-2025 06:17:16RajKaj Ref No.:
16542665

eSign DSC

By email

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग जयपुर, दिनांक 15/7/25
कमांक प.3(263) राज-7/25/NGT

जिला कलक्टर,
जयपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व),
जयपुर राजस्थान।

विषय: मूल प्रार्थना-पत्र संख्या 67/2025 हेमराज मीना बनाम राजस्थान सरकार व अन्य समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 बाबत।

प्रसंग:-राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक 294 एवं 356-358 कमश: दिनांक 02.06.25 एवं 28.05.25 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि पत्र संख्या 67/2025 हेमराज मीना बनाम राजस्थान सरकार व अन्य समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के कम में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व), जयपुर को मनोनीत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अधिकरण के निर्णय/आदेश के कम में गठित कमेटी को सक्रिय सहयोग करावें एवं इस संबंध में कमेटी द्वारा किसी प्रकार का निर्देश/कार्यवाही जिसकी राजस्व विभाग से पालना अपेक्षित हो, आवश्यक रूप से इस विभाग को अवगत करावें।

संलग्न: आदेश की प्रति।

भवदीय,



(कैलाश चन्द्र कुमावत)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, संस्थागत क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर-302004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) अलवर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

CM-13012/27/2025-LAW-RD-BHOPAL/22571/ 358

दिनांक: 11 जुलाई, 2025

Most urgent
NGT Case

प्रति,

✓ सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ए-4, इंस्टीट्यूशनल एरिया
झालाना डूंगरी, जयपुर - 302004

विषय: NGT OA No. 67/2025(CZ) "Hemraj Meena Vs. State of Rajasthan & Ors."
में अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 23/05/2025

महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 23/05/2025 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान राज्य (राजस्थान), प्रधान सचिव (राजस्व), राजस्थान राज्य (राजस्थान) से एक प्रतिनिधि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल एवं सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (राजस्थान) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

आदेश के अनुसार उक्त समिति द्वारा Factual & Action Taken Report तैयार कर छः सप्ताह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रकरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 23/07/2025 को नियत की गई है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री सुनील कुमार मीणा, वैज्ञानिक ई (मोबाइल नं.- 9617007250, ईमेल- sunil.cpcb@gov.in) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि निरीक्षण प्रतिवेदन माननीय एन.जी.टी. के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,


(डॉ. अजीत कुमार विद्यार्थी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

- डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली
 - क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.बो., जयपुर (नोंर्थ)
 - श्री सुनील कुमार मीणा, ई के.प्र.नि.बो., भोपाल
- की ओर कृपया सूचनार्थ।
की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय निदेशक

“राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है”

पता: "परिवेश भवन"
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386
क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384
ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

“सिंगल यूज प्लास्टिक” का करें बहिष्कार”

मुख्यालय:
परिवेश भवन
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
दूरभाष क्र : 011-43102030



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141- 2716804, 2716800 e-mail :member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No.: 0141-2716877

No. F.10 (757) RPCB/Legal/NGT/2025/ **293-297**

Date: **02-06-2025**

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (North).
Mobile No.: **7073581777**
Email: [rorpcb.jaipur\[at\]gmail\[dot\]com](mailto:rorpcb.jaipur[at]gmail[dot]com)

Subject: - Nomination of Member as well as Nodal Officer to Joint Committee in compliance with the Order dated 23.05.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 67/2025 (CZ) – Hemraj Meena Vs State of Rajasthan & Ors.

Madam,

This is with reference to the subject cited above. The Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, vide its order dated 23.05.2025 in Original Application No. 67/2025 (CZ), has constituted a Joint Committee and directed inter alia as follows:

“5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- i.** One Representative from the Principal Chief Conservator of Forest, State of Rajasthan (Rajasthan)
- ii.** One Representative from the Principal Secretary (Revenue), State of Rajasthan (Rajasthan)
- iii.** One Representative from the Central Pollution Control Board, integrated office at Jaipur, (Rajasthan)
- iv.** One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (Rajasthan)

6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support”.

In compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, you are hereby appointed as the member as well as Nodal Officer representing the Rajasthan State Pollution Control Board in the aforesaid Joint Committee. You are directed to coordinate with all concerned and ensure timely submission of the requisite report in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the Tribunal's order dated 23.05.2025 is enclosed herewith for your ready reference and necessary action.

Encls-As above

(Sharda Pratap Singh)
Member Secretary

Copy to the following for information and necessary action please:

1. Principal Secretary (Revenue), Secretariat Jaipur, Rajasthan
2. Principal Chief Conservator of Forests, Aranya Bhawan, Jaipur
3. Integrated Regional Office, MoEF & CC, Aranya Bhawan, Jaipur.
4. Central Pollution Control Board, Regional Directorate(Central) E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016.




Signature valid

Digitally Signed By: Sharda Pratap Singh
Designation: Member Secretary
Date: 2025.05.31 10:17:03 IST
Reason: Approved **oll**

Annexure-III

BUILDING PLAN OF RESORT OF M/S RAVI SIRVA DEVELOPERS PVT. LTD. AT VILLAGE-GHAI AJALDHARI, TEHSIL- JAMWARAMGARH, DIST-JALPUR SITUATED IN KHASRA NO. 361/1, 362, 366/1, 368/1, 369, 369/1, 370, 372/1, 376, 376/2, 361/2, 361/3, 369/2, 369/3, 371, 371/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373, 373/1, 374, 374/1, 375



Sl. No.	Particulars	Quantity	Rate	Amount
1	Area of Plot	10000	10000	100000
2	Area of Building	5000	5000	50000
3	Area of Road	2000	2000	20000
4	Area of Lawn	1000	1000	10000
5	Area of Water Body	500	500	5000
6	Area of Other	1000	1000	10000
7	Total Area	20000	20000	200000

Handwritten notes in Hindi, including a date '21/11/2025' and a signature.

Handwritten notes in Hindi, including a date '21/11/2025' and a signature.

Sl. No.	Particulars	Quantity	Rate	Amount
1	Area of Plot	10000	10000	100000
2	Area of Building	5000	5000	50000
3	Area of Road	2000	2000	20000
4	Area of Lawn	1000	1000	10000
5	Area of Water Body	500	500	5000
6	Area of Other	1000	1000	10000
7	Total Area	20000	20000	200000

For Ravi Sirva Developers Pvt. Ltd.
 Signature of Ravi Sirva
 Director



कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर (ग्रामीण)

कोलडिपो परिसर पानीपेच, झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक:- एफ ()विधि/उवसवजी/2025-26/4215

दिनांक:- 5/8/25

निमित्त:-

वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
सरिरस्का बाघ परियोजना, अलवर।

विषय:-माननीय न्यायालय एन. जी. टी. भोपाल में प्रकरण Original Application No. 67/2025(cz) हेमराज बनाम सरकार के संबंध में संशोधित रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रम में निवेदने है, कि प्रकरण की सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव जमवारामगढ से जाँच करवाई गई। सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव जमवारामगढ के पत्रांक 5240 दिनांक 21.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट एवं मौके स्थिति अनुसार विषयांकित प्रकरण Original Application No. 67/2025(cz) हेमराज बनाम सरकार की मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रकरण में उल्लेखित अन्नता स्पा एण्ड रिसोर्ट के खसरा नम्बर 361/2, 361/3, 369/2, 369/3, 371, 371/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373, 373/1, 374, 374/1 एवं 375 जमवारामगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से बाहर है परन्तु जमवारामगढ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेन्सेटिव जोन में स्थित है।
2. प्रकरण में उल्लेखित खसरा नम्बर 333, 388 और 389 पर हाल मौके पर वर्णित अन्नता स्पा एण्ड रिसोर्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(ओम प्रकाश शर्मा)

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर

क्रमांक:- एफ ()विधि/उवसवजी/2025-26/4216-18

दिनांक:- 5/8/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर।
3. श्री शोएव हसन, स्थाई अधिवक्ता, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल।

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash Sharma
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2025.08.05 16:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17003739
eSign 1.0



कार्यालय तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
दिनांक:06.08.2025

क्रमांक / 570 / 2025 / 570

श्रीमान् अति० जिला कलक्टर (प्रथम) महोदया,
कलेक्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर।

विषय:-अनन्ता स्पा एण्ड रिसोर्ट्स की ईएसजेड के संबंध में मौका एवं
रिकॉर्ड की रिपोर्ट भिजवाने हेतु।
प्रसंग:-श्रीमानजी के दूरभाष पर दिये गये निर्देश के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक निर्देश की पालना में ग्राम घाटाजलधारी
स्थित अनन्ता स्पा एण्ड रिसोर्ट की खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन व मास्टर प्लान में
एच दर्शाये गये के संबंध में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार
रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

1. यह है कि अनन्ता स्पा एण्ड रिसोर्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन
आदेश दिनांक 14.12.2018 से पूर्व जारी करवा लिया गया था।
2. यह है कि जोनल मास्टर प्लान में जो एच दर्शाया गया है वह अनन्ता स्पा एण्ड
रिसोर्ट के लिये दर्शाया जाना बताया गया है।
3. यह है कि अनन्ता स्पा एण्ड रिसोर्ट का ग्राम घाटाजलधारी व नांगल तुलसीदास में
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना बताया है। मौके पर ग्राम घाटाजलधारी
स्थित ख0न0 355, 377/395 किस्म चारागाह व ख0न0 256 किस्म गै0मु0 नला
में अनन्ता रिसोर्ट का आंशिक अतिक्रमण मौके पर पाया गया है।
4. यह है कि ग्राम नांगल तुलसीदास के ख0न0 333, 388, 389 की पैमाईस सर्वे
मशीन की सहायता से किये जाने पर उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण
नहीं पाया गया। उक्त आराजी ख0न0 वन विभाग के खाते की भूमि है जिसकी
किस्म गै0मु0 जंगलात व गै0मु0 पहाड दर्ज रिकॉर्ड है।

वस्तुस्थिति की रिपोर्ट व होटल के प्रतिनिधि रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री
बीएस परिहार निवासी ई-161 रमेश मार्ग सी-स्कीम जयपुर द्वारा उक्त बिन्दुओं के
संबंध में अपना नोन-ज्युडिशिल 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी
प्रस्तुत किया है जो इस पत्र के संलग्न सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
जमवारामगढ (जयपुर) ग्रामीण
तहसीलदार

Government of Rajasthan
Forest, Environment & Climate Change Department

F.No.6(3)Env/2017 Part1

Dated 26.09.2023

Circular

Eco Sensitive Zones (ESZs) are notified around Protected Areas (PAs) to provide required buffer. ESZs have already been notified for many PAs while for many others, the process of notifying ESZs is in various stages.

After notification of ESZ, Zonal Master Plan (ZMP) is supposed to be prepared and published to provide guidance for taking up various economic activities in these areas. Preparation and publication of ZMPs for few ESZs has been done and for others, it is in various stages.

Reference are being received regarding regulation of activities in ESZs, which have been notified but for which ZMPs have not been finalized as well as those where ESZs are yet to be notified and thus have default width of 10 kms.

The matter has been examined and to provide required clarity, following guidelines are hereby issued:

1. For PAs for which ESZs notification have been issued but ZMPs are yet to be finalized:

Notifications for ESZs use words “existing” and “new” with respect to hotels, resorts etc. It is hereby clarified that such hotels, resorts, etc. would be considered “existing”, which are having any of the following documents prior to date of issue of notification for that ESZ:-

- (i) Electricity connection for non-agricultural use.
- (ii) Approval by Tourism Department as tourism unit.
- (iii) Conversion order/ Patta for non-agricultural use.
- (iv) Building plan approval.
- (v) Order regarding change in land use.
- (vi) Proof of deposit of tax as hotel, resort, etc.
- (vii) CTE/ CTO/ Environmental clearance.

Hotels, resorts, etc. which don't have any of these documents prior to the date of issue of notification for that ESZ would be considered

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohali Sen
Designation : Director Cum Joint
Secretary
Date: 2023.09.26 10:45:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4785371



2. PAs for which ESZ is yet to be notified:

These are cases where default ESZ is 10 km around PA. ESZ notification for such PAs would be issued only after the issue of this Circular. Such notifications for ESZs are also likely to have classification of hotels, resorts, etc. in two categories– “new” and “existing”. Accordingly it is clarified that such hotels, resorts, etc. in the area of default ESZ of such PAs may be considered “existing”, which have any of the seven categories of documents listed in this Circular, issued prior to the date of issue of this circular or the date of issue of notification for that ESZ, whichever is later.

Rajasthan State Pollution Control Board and District Monitoring Committee of ESZs shall use this guidance for deciding and regulation of cases of these categories in ESZs.

(Monali Sen, IFS)
Director cum Joint Secretary

Copy to :

1. Special Assistant to Hon’ble Minister, Environment & Forests, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Additional Chief Secretary, Revenue Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Principal Secretary, UDH Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
4. PS to Principal Secretary, Tourism Department, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Secretary, Local Self Government, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
6. Principal Chief Conservator of Forest & Head of Forest Force(HoFF), Rajasthan, Jaipur with request to circulate it to all concerned.
7. Principal Chief Conservator of Forest & Chief Wild Life Warden(CWLW), Rajasthan, Jaipur.
8. All Divisional Commissioners, Rajasthan.
9. All District Collectors, Rajasthan.
10. Guard File.

Director cum Joint Secretary

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Director Cum Joint
Secretary
Date: 2023.09.26 10:45:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4785371





जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.)

कुण्डा की ढाणी, आमेर, जयपुर

E-mail- jaipurdiscom@jvvn.org, aenkkdamer@jvvn.org

पंजीकृत कार्यालय, विधुत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005

Website www.energy.rajasthan.gov.in/jvvn

क्रमांक / स.अ. / प.व.स. / के.के.डी. / संस्था. / पे. 1958 दिनांक 22/07/2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अस्थायी अघरेलू विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 02010020, RAVI SURYADEVLOPERS PRALTD C/O RAVI SURYA, GHATA JALDHARI GHATA JALDHARI BASNA, JAMWARAMGARH के नाम से है। जो कि दिनांक 15.05.2017 को जारी किया गया व वर्तमान में PDC है।

(नरेन्द्र सिंह धाकड)

सहायक अभियन्ता (प.व.स.)
ज.वि.वि.नि.वि. कुण्डा की ढाणी

357/10 ✓ 1561/2

सूचना सचिव
राजस्थान सरकार
जयपुर
0-25

5

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 21-07-2016 4:52 PM

Fee Receipt No	: 201602424002710	Receipt Date	: 21/07/2016
Name	: Ravi Surya Devolepar Pravite Ltd. Thro Director Ravindra Pratap Singh,	Document S. No.	: 201601424003881
Address	: K-47 ,Hirnat Nagar ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1016630	Evaluated Value	: ₹ 965321
Ord-Registration Fee	: ₹ 10170	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 10170	Stamp Duty	: ₹ 50840
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_31	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 71480
		Total Amount	: ₹ 71480

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
Stamp N.A. ₹ 500 # e-Gras Challan 12174453 ₹ 70980

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date: 25-07-2016 2:51 PM

Fee Receipt No	: 201602424002759	Receipt Date	: 25/07/2016
Name	: Heamraj S/o Kanaram	Document S. No.	: 201601424000000
Address	: K-47 Himat Nagar Jaipur Conversion Order No. 2016/436 date 17.06.16		
Document Type	: Recovery of old Documents		
Face Value	: ₹ 0	Evaluate's Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 210	Stamp Duty	: ₹ 1010
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1220
		Total Amount	: ₹ 1220

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 12194569 ₹ 1220

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



U

U



157



--: श्री :-
--: विक्रय पत्र :-

मैं, हेमराज पुत्र श्री कानाराम, उम्र:- 25 वर्ष, जाति:- धोबी, निवासी:-के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान का हूँ और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

हेमराज

Raj

.....2



उपरोक्त
कानाराम, जयपुर

क्रमांक 1200 विक्रय का दिनांक 20-7-016

क्षेत्र का नाम श्री रविशर्मा स्वल्पर्षा प्रा० लि० जयपुर, ड्राफ्टिंग कै-47, हिम्मत नगर

पति/पति श्री जयप्रकाश जरीय जयसेठ जी रविन्द्र प्रताप सिंह 10 श्री बी. सी.

निवास पता परिहार नि०-कै-47 हिम्मत नगर, जयपुर, राज/8

मुद्रांक मूल्य ₹ 2500/- विक्रय-पत्र



राहुल यादव
मुद्रांक दिनांक 20/7/16
प्लॉट नं. 12, विहार पेट, श्री बी. सी.
आमेर-302028



22-7/16

रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47,

हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 361, रकबा 0.9500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय तहसीलदार, जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/436 दिनांक 17.06.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि में 2500 वर्गमीटर अर्थात 0.2500 हैक्टेयर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि का मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 361, रकबा 0.9500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर है।

3/1/15

.....3

Presentation Endorsement

आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2016 को 04:41 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Hemraj पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram
 उम्र 25 वर्ष, जाति Dhobi, व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar, Area: Jaipur, City:
 Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424003881



हस्ताक्षर उप-पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201601424002710
दिनांक	21-07-2016
पंजीयन शुल्क ₹	10170
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	50840
कमी मरचार्ज शुल्क ₹	10170
कुल योग	71480



201601424003881

उप-पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

नोट:- सम्पत्ति के आदेश के जारी होने पर रसीद संख्या 2759 दिनांक
 25/7/16 के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी 10170 रु मरचार्ज 2100 रु
 कुल 12270 रु वसूल किया।

उप-पंजीयक
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.9500 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर अर्थात् 0.2500 हैक्टेयर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़-पौधे, पानी-पूला,

मेर-कौर, सहित कुल मुबलिग राशि 10,16,630/-रूपये अक्षरे दस लाख सौलह हजार छः सौ तीस रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536726, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टोंक रोड, जयपुर, दिनांक 21.07.2016 के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काशतकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमे काशत करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे।


यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत् आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य मे विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

21/7/16

.....4

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Hemraj , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram . व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 26 Signature: 
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Devolepar Pravite Ltd. Thro Director Ravindra Pratap Singh , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री B.S. Parihar , व्यवसाय Business House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 42 Signature: 

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ नून व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1016630/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1016630/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Rampratap Age: 30 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgar , City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Sishram Saini , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Mangi Lal Saini Age: 26 Add: House No.:0, Colony: Jhunjhunu , Area: Jhunjhunu , City: Jhunjhunu , Pin code: 333001, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature: 

201601424003881

उप पंजीवक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 5.00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 3 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 21.07.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

श्री हेमराज:- 

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह:- 


हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री एन.राजु शिवान पुत्र श्री रामप्रताप शिवान, उम्र- 30 वर्ष, जाति- ब्राह्मण
निवासी- मन्गी डरा, वडा रामगाम

2. श्री शिवराम सिंह पुत्र श्री दाबडी तारुणी, उम्र- 25 वर्ष, जाति- मन्डी
निवासी- नवकराम गीमवे, वकली कु.भुवा शिवराम



Drafted by:-



(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

Under 54 Endorsement

धारा 54 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 1016630 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रा की राशि रु 50840 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 10170, सरयार्ज राशि 10170 कुल रु 71180 रसीद संख्या 20 602424002710 दिनांक 21-07-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः स्तावेज को रु 50840 के मुद्रांक पर निष्पादित माना जाता है।

201601424003881

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 21/07/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 135 में पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 2016034102011 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 539 के पृष्ठ संख्या 113 से 116 पर चस्पा किया गया।

201601424003881

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

09.07.2016/30 नवम्बर 2016 के अन्तर्गत 0.49 अन्तर्गत 0.01

6

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-07-2016 2:32 PM

Fee Receipt No	: 201602424002756	Receipt Date	: 25/07/2016
Name	: Heamraj S/o Kanaram	Document S. No.	: 201601424000000
Address	: K-47 Himat Nagar Jaipur Conversion Order NO. 16/1282-86 date 14.07.16		
Document Type	: Recovery of old Documents		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 430	Stamp Duty	: ₹ 2130
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2560
		Total Amount	: ₹ 2560

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 12194633 ₹ 2560

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier


Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR





157



--: श्री :-
--: विक्रय पत्र :-

मैं, हेमराज पुत्र श्री कानाराम, उम्र:- 25 वर्ष, जाति:- धोबी, निवासी:-के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान का हूँ और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

.....2

हेमराज

[Handwritten signature]



क्रमांक 1202 दिनांक 20-7-016

क्षेत्र का नाम श्री रविशर्मा डवलपर्स प्रागल्भि. जयपुर जिला कै-47, हिम्मत नगर
पति श्री जयपुर शरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह S/o श्री बी. एस.
निकल का परिवार नि. कै-47, हिम्मत नगर, जयपुर, राज. 0
मुद्रांक रु. 500/- विषय-पत्र

शंकर यादव
राहुल यादव
मुद्रांक विक्रेता ला.नं. 111/11
प्लॉट नं. 12, बिहाड़ी गेट कॉलोनी
आमेर-302028

रु 500/-





रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जयपुर जयपुर डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिवार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेगें।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 361, रकबा 0.9500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/1282-86 दिनांक 14.07.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि में 5000 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि का मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये कास्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे कास्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 361, रकबा 0.9500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर है।



.....3





Presentation Endorsement

आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2016 को 04:36 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Hemraj पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram
 उम्र 25 वर्ष, जाति Dhobi, व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar, Area: Jaipur, City:
 Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424003880

Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप-पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	2016J2424002709
दिनांक	21-07-2016
पंजीयन शुल्क ₹	20340
प्रतिविधि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्ट्याम्प शुल्क ₹	101680
कमी मरचाज शुल्क ₹	20340
कुल योग	142660

201601424003880

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप-पंजीयक, JAMVA RAMGARH

नोट! - सनरिप्लेन कादेश के जरिये रसीद संख्या 2756 दिनांक
 25/7/16 के द्वारा स्ट्याम्प शुल्क 21300, मरचाज 4300 कुल
 2560 रु वसूल किया।

उप-पंजीयक
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर





अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.9500 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर आवासीय भूमि को बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 20,33,500/-रूपये अक्षरे बीस लाख तैतीस हजार पांच सौ रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536725, बैंक का नाम मालवीय अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टोंक रोड, जयपुर, दिनांक 21.07.2016 के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमे काश्त करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत् आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य मे विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।






Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Hemraj , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram , व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 25 Signature:
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Devolepar Pravite Ltd. Thro Director Ravindra Pratap Singh , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री B.S. Parihar , व्यवसाय Business House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 42 Signature:

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 2033500/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 2033500/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निथान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Rampratap Age: 30 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgar , City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature:
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Sishram Saini , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Mangi Lal Saini Age: 26 Add: House No.:0, Colony: Jhunjhunu , Area: Jhunjhunu , City: Jhunjhunu , Pin code: 333001, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature:

201601424003880

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)





4

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 5.00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 3 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 21.07.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

श्री हेमराज:-

हेमराज



हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह:-

रविन्द्र प्रताप सिंह

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री ... पुत्र श्री ... उम्र:- 30 वर्ष, जाति:-

निवासी- ...

2. श्री ... पुत्र श्री ... उम्र:- 26 वर्ष, जाति:-

निवासी- ...



...



Drafted by:-

Vinod Kumar Soni

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 2033500 मानते हुए इस पर दय कमी मुद्राक राशि रु 101680 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 20340, सरचार्ज राशि 20340 कुल रु 142360 रसोद सख्या 201602424002709 दिनांक 21-07-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 101680 के मुद्राकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424003880

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)


Registration Endorsement

आज दिनांक 21/07/2016 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 135 में
पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 201603424102010 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 539 के
पृष्ठ संख्या 109 से 112 पर चम्पा किया गया।

201601424003880

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



12

अवकाश के अंतर्गत 369/2
0.25

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 21-07-2016 4:43 PM

Fee Receipt No	: 201602424002708	Receipt Date	: 21/07/2016
Name	: Ravi Surya Devolepar Pravite Ltd. Thro Director Ravindra Pratap Singh .	Document S. No.	: 201601424003879
Address	: K-47 ,Himat Nagar ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1016630	Evaluated Value	: ₹ 965321
Ord-Registration Fee	: ₹ 10170	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 10170	Stamp Duty	: ₹ 50840
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 71480
		Total Amount	: ₹ 71480

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp N.A. ₹ 500 # e-Gras Challan 12174375 ₹ 70980

जिम्मेदार
Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-07-2016 2:27 PM

Fee/Receipt No	: 201602424002755	Receipt Date	: 25/07/2016
Name	: Ganesh Lal s/o Kanaram Dhobi	Document S. No.	: 201601424000000
Address	: K47 Himat Nagar Jaipur Conversion Order No. 16/443 date 17.06.16		
Document Type	: Recovery of old Documents		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 210	Stamp Duty	: ₹ 1010
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1220
		Total Amount	: ₹ 1220

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 12194717 ₹ 1220

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Casner



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR





157



--: श्री :-
--: विक्रय पत्र :-

मैं, गणेश लाल पुत्र श्री कानाराम, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- धोबी, निवासी:-के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान का हूँ और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

जयपुर

.....2


Handwritten signature



गणेश लाल
कानाराम, जयपुर

क्रमांक 1201 दिनांक 20/07/2016

क्षेत्र का नाम श्री श्री वि. सुभा उपलक्षणी प्रा. लि. जयपुर डोंगिस के-पार
 पिन/पिन को हिम्मत नगर, जयपुर जिला सारथी सारथी डी अकिड उपलक्षणी
 निवास श्री श्री श्री. एस. मोहन मि के-पार, हिम्मत नगर, जयपुर
 मुद्रांक वि. सुभा उपलक्षणी



राहुल यादव
 राहुल यादव
 मुद्रांक विवेका स.नं. 111/11
 प्लॉट नं. 12, बिचाही गेट कॉलोनी
 आमेर-302028



22/7/16



2

ब ह क



रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 369, रकबा 1.0600 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 1.0600 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 1.0600 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय तहसीलदार, जमवारामगढ़, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ़, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/443 दिनांक 17.06.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 1.0600 हैक्टेयर भूमि में 2500 वर्गमीटर अर्थात 0.2500 हैक्टेयर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि का मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 369, रकबा 1.0600 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 1.0600 हैक्टेयर है।

3 12/11/173

Presentation Endorsement

आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2016 को 04:32 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Ganesh Lal पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram
 उम्र 35 वर्ष, जाति Dhobi, व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar, Area: Jaipur, City:
 Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR. State: RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424003879

गोपनीय

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424002708
दिनांक	21-07-2016
पंजीयन शुल्क ₹	10170
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	50840
कमी मरचार्ज शुल्क ₹	10170
कुल योग	71460



201601424003879

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

नोट: सम्परिवर्तन क्रमिका के जरिये रसीद संख्या 2755 दिनांक
 25/7/16 के द्वारा स्टाम्प शुल्क 10170 रु मरचार्ज 210 रु
 कुल 12270 रु वसूल किया।

उप पंजीयक
 जामधरामगढ़, जिला-जयपुर



अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 1.0600 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर अर्थात 0.2500 हैक्टेयर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 10,16,630/-रूपये अक्षरे दस लाख सौलह हजार छः सौ तीस रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र-42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536727, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टोंक रोड, जयपुर, दिनांक 21.07.2016 के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काशतकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमे काशत करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत् आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य मे विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

3/5/2016



Endorsement of Execution

अनु क्र. रक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	रक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Ganesh Lal , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram , व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executan Age : 35 Signature:
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Devolepar Pravite Ltd. Thro Director Ravindra Pratap Singh , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री B.S. Parihar , व्यवसाय Business House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claiman Age : 42 Signature:

जायपुर

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1016630/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1016630/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Rampratap Age: 30 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jai.waramgar , City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature:
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Sishram Saini , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Mangi lai Saini Age: 26 Add: House No.:0, Colony: Jhunjhunu , Area: Jhunjhunu , City: Jhunjhunu , Pin code: 333001, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature:

201601424003879

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 5,00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 3 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 21.07.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:- श्री गणेश लाल

श्री गणेश लाल:-

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री वैश्याजी देव पुत्र श्री रामप्रताप देव उम्र:-..... वर्ष, जाति:-हरजत
निवासी- भात्रीपुरा जमनासराज।

2. श्री श्रीधराम देव पुत्र श्री गोविन्द देव उम्र:-26 वर्ष, जाति:-भारती
निवासी- सतलुआ गाँव, गठवाडी मु-32।



Drawn by:-

Vinod Kumar Soni

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 1016630 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 50840 पर कमी पंजीयक शुल्क रु 10170, सरचार्ज राशि 10170 कुल रु 71180 रसीद संख्या 201602424002708 दिनांक 21-07-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 50840 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424003879

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 21/07/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 135 में पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 201603424102009 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 539 के पृष्ठ संख्या 105 से 108 पर चम्पा किया गया।

201601424003879

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



19.5 369/3 अमर अमर न सत्यामि 0.50

10

रवी देवा
का चालान नं 0157

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 21-07-2016 4:40 PM

Fee Receipt No	: 201602424002707	Receipt Date	: 21/07/2016
Name	: Ravi Surya Devolepar Pravite Ltd. Thro Director Ravindra Pratap Singh	Document S. No.	: 201601424003878
Address	: K-47 ,Himat Nagar ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 2033500	Evaluated Value	: ₹ 1829454
Ord-Registration Fee	: ₹ 20340	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 20340	Stamp Duty	: ₹ 101680
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 142660
		Total Amount	: ₹ 142660

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 0012174237 ₹ 142160 # Stamp N.A. ₹ 500

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 25-07-2016 2:48 PM



Fee Receipt No	: 201602424002758	Receipt Date	: 25/07/2016
Name	: Ganesh Lal S/o Kanaram	Document S. No.	: 201601424000000
Address	: K-47 Himat Nagar Jaipur Conversion order no. 16/1276-80 date 14.7.16		
Document Type	: Recovery of old Documents		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 430	Stamp Duty	: ₹ 2130
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2560
		Total Amount	: ₹ 2560

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 12194700 ₹ 2560

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier



Signature of recipient and date of return receipt


SUB-REGISTRAR



मान प्रमाणिक पत्र



157



--: श्री :-
--: विक्रय पत्र :-

मैं, गणेश लाल पुत्र श्री कानाराम, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- धोबी, निवासी:-के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान का हूँ और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

Handwritten signature



जयपुर जिला

.....2

गणेश लाल
कानाराम, जिला-जयपुर

क्रमांक 1203 विक्रय का दिनांक 20-7-016

क्षेत्र का नाम श्री शिवधुया डवलपल्ली प्रा. लि. जयपुर (डी.पी.ए. के-पत्र)
 प्लॉट/खति नं. दिव्यनाथ नगर, जयपुर (डी.पी. 5) अखेट नं. 11
 निवासी का डी.पी. 5, प्लॉट नं. 11, डी.पी. 5, दिव्यनाथ नगर, जयपुर
 मुद्रांक नं. 100-100/11 शिवधुया



राहुल यादव
 राहुल यादव
 मुद्रांक विक्रेता का. नं. 111/11
 प्लॉट नं. 12, बिराही गेट कॉलोनी
 आमेर-302028



32/11/16



रवि-सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 369, रकबा 1.0600 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 1.0600 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 1.0600 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/1276-80 दिनांक 14.07.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 1.0600 हैक्टेयर भूमि में 5000 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि का मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 369, रकबा 1.0600 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 1.0600 हैक्टेयर है।

(Signature)

15/7/20163



Presentation Endorsement

आज दिनांक 21 माह 07 सन् 2016 को 04:21 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री Ganesh Lal पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram
उम्र 35 वर्ष, जाति Dhobi, व्यवसाय Farmer
निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar, Area: Jaipur, City:
Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201601424003878

गणेश लाल

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424002707
दिनांक	21-07-2016
पंजीयन शुल्क ₹	20340
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	101680
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	20340
कुल योग	142660



201601424003878

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

नोट - सम्परिवर्तन कौटुंबिक के जरिये रसीद संख्या 2758 दिनांक
25/7/16 के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी 2130 रु सरचार्ज 20340
कुल 2560 रु प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर



अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 1.0600 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 20,33,500/-रूपये अक्षरे बीस लाख तैतीस हजार पांच सौ रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:-रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536728, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टोंक रोड, जयपुर, दिनांक 21.07.2016 के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काशतकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमे काशत करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य मे विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Ganesh Lal , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaram , व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 35 Signature
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Devolepar Pravite Ltd. Thro Director Ravindra Pratap Singh , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री B.S. Parihar , व्यवसाय Business House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 42 Signature

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 2033500/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 2033500/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Rampratap Age: 30 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgar , City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Sishram Saini , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Mangi Lal Saini Age: 26 Add: House No.:0, Colony: Jhunjhunu , Area: Jhunjhunu , City: Jhunjhunu , Pin code: 333001, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature

201601424003878

Sale Deed (Conveyance Deed)



यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 5,00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 3 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 21.07.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

श्री गणेश लाल:-

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री चर्चराज डीवान पुत्र श्री रविप्रताप डीवान, उम्र:- 30 वर्ष, जाति:- हर

निवासी- भागीपुरा वड - जयपुरा

2. श्री श्रीविराम सिंह पुत्र श्री गणेशलाल सिंह, उम्र:- 25 वर्ष, जाति:- काठ्ठी

निवासी- धुसरा की बगिची, भावलडी गुंजा। श्रीविराम



Drafted by:-

Vinod Kumar

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 2033500 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 101680 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 20340, सरचाज राशि 20340 कुल रु 142380 रसीद संख्या 201602424002707 दिनांक 21-07-2016 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 101680 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424003878

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

भाज दिनांक 21/07/2016 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 135 में
पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या 201603424102008 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 539 के
पृष्ठ संख्या 101 से 104 पर चम्पा किया गया।

201601424003878

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date: 07-04-2016 4:21 PM

Fee Receipt No	: 201602424001409	Receipt Date	: 07/04/2016
Name	: Ravi Surya Dawlprs Pvt Dir Ravindra Pratap Singh ,	Document S. No.	: 201601424002050
Address	: k-47 ,k-47 himmat nagar jaipur ,jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1586100	Evaluated Value	: ₹ 1504578
Ord-Registration Fee	: ₹ 15870	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 15870	Stamp Duty	: ₹ 79310
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 111350
		Total Amount	: ₹ 111350



Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 10500551 ₹ 91350 # Stamp N.A. ₹ 20000

काता देवी

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

काता देवी

Signature of recipient
and holder of return receipt

REGISTRAR



रु. 2000

श्रीस ४ जयपुर


THE LAND REVENUE DEPARTMENT

Rs. 2000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

437



-:: श्री ::-

-:: विक्रय-पत्र ::-

मैं, श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री गणेश लाल घोषी, उम्र:- 33 वर्ष, जाति:- घोषी, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान की हूँ और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष हूँ जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

कान्ता देवी



.....2

जयपुर

Handwritten signature



क्रमांक 50 विक्रय का दिनांक 7/4/16


क्रेता का नाम श्री रवि कुमार शर्मा प्र. लि. मुकुट कॉम्प्लेक्स

पिता/पति श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा मुकुट कॉम्प्लेक्स इस्टेट

निवास पता श्री रवि इंद्र प्रकाश शर्मा एन. सी. एस. पॉलीटेक्निक

मुद्रांक 20,000/- शर्मा के-47, रायपुर

राहुल यादव
 राहुल यादव
 मुद्रांक विक्रेता क्र.नं. 111/11
 ब्लाक नं. 12, विद्यापीठ गेट कोलकोता
 तारीख-20/04/16

 एल-टी-एल

श्री रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 371, रकबा 0.3900 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.3900 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 536-40 दिनांक 16.03.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि अर्थात् 3900 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि की मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बांधित ही कर रखी है।

यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है! अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 371, रकबा 0.3900 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.3900 हैक्टेयर है।

शान्ता देवी



.....3
Daw



Presentation Endorsement

आज दिनांक 07 माह 04 सन् 2016 को 04:01 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Kanta Devi पुत्र/पुत्री/पति श्री Ganesh Lal
 उम्र 33 वर्ष, जाति Dhobi , व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:k-47, Colony: k-47 himmat nagar jaipur , Area:
 jaipur , City: jaipur , Pin code: 302003, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424002050

कान्ता देवी

उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424001409
दिनांक	07-04-2016
पंजीयन शुल्क ₹	15870
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	79310
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	15870
कुल योग	111350

201601424002050

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.3900 हैक्टेयर अर्थात् 3900 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 15,86,100/-रूपये अक्षरे पन्द्रह लाख छियासी हजार एक सौ रूपयें मात्र के बदले में क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि में से राशि जरिये नकद के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये नकद के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमें काश्त करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे।


यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत् आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य में विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में हमारी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

मानता देवी



Devi4



Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Kanta Devi , पुत्र/पुत्री/पति श्री Ganesh Lal , ब्यवसाय Farmer House No.:k-47, Colony: k-47 himmat nagar jaipur , Area: jaipur , City: jaipur , Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 33 Signature : Kanta Devi
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Dawlprs Pvt Dir Ravindra Pratap Singh , पुत्र/पुत्री/पति श्री B,S Parihar , ब्यवसाय Farmer House No.:k-47, Colony: k-47 himmat nagar jaipur , Area: jaipur , City: jaipur , Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 42 Signature : Ravi Surya Dawlprs

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1586100/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 1586100/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निम्नानुसार दिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Prahlad , पुत्र/पुत्री/पति श्री Ranjeeta Age: 70 Add: House No.:0, Colony: Gujro ka Bas , Area: Jamwaramgarh , City: jaipur , Pin code: 302028, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature Prahlad
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharm Raj , पुत्र/पुत्री/पति श्री R.P. Raigar Age: 30 Add: House No.:0, Colony: Majipura, Area: Jamwaramgarh , City: jaipur , Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature Dharm Raj

201601424002050

Sharma

Sale Deed (Conveyance Deed)

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मेने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 20,000/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 3 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 07.04.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:- कान्ता देवी
श्रीमती कान्ता देवी:-
हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-
श्री रविन्द्र प्रताप सिंह:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री व्यंशराम सिंह पुत्र श्री अर.पी.सी., उम्र:- 33 वर्ष, जाति:- सी
निवासी- गात्रीपुरा, जमशेदपुरा।
2. श्री रजनीश पुत्र श्री श्यामलाल, उम्र:- 25 वर्ष, जाति:- सी
निवासी- धालाजलधारी, जमशेदपुरा।



रजनीश

Drafted by:-

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni
Advocate

Advocate



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की संख्या 1586100 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 79310 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 15870, सम्पूर्ण मुद्रांक कुल रु 111050 रसीद संख्या 201602424001409 दिनांक 07-04-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 79310 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424002050

Chh
JAMVA

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 07/04/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 130 में पृष्ठ संख्या 139 क्रम संख्या 201603424101072 पर पंजीबद्ध किया गया है। अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 520 के पृष्ठ संख्या 142 से 145 पर चस्पा किया गया।

201601424002050

Chh
JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

37/1 - 0.20

(9)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Date: 07/04/2016 4:38 PM



Fee Receipt No	: 201602424001410	Receipt Date	: 07/04/2016
Name	: Ravi Surya Dawlprs Pvt Dir Ravindra Pratap Singh	Document S. No.	: 201601424002051
Address	: k-47 ,k-47 himmat nagar jaipur ,jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 813280	Evaluated Value	: ₹ 801726
Ord-Registration Fee	: ₹ 8140	Fee for Memorandum	: ₹ 67
CSI	: ₹ 300	Certified copying fee	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 8140	Stamp Duty	: ₹ 40670
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 57250
		Total Amount	: ₹ 57250

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 10500373 ₹ 47250 # Stamp N.A. ₹ 10000

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



()

()



राजस्थान RAJASTHAN



A 1769



--: श्री ::-
 --: विक्रय पत्र ::-

मैं, राधेश्याम पुत्र श्री भौरीलाल, सुशीला पुत्री भौरीलाल, काली उर्फ सुमित्रा पुत्री भौरीलाल, उम्र कमश:- 34, 36, 32 वर्ष, जातियान:- बलाई, निवासीयान:-ग्राम घाटाजलधारी, तहसील जमवारामगढ, जिह्वा जयपुर, राजस्थान के है और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र मैं आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया ज्जवेगा की ओर से -

राधेश्याम

सुशीला

राधेश्याम पुत्र

.....2

जय पुर
 विक्रय पत्र



क्रमांक 61 विक्रय का दिनांक 7.4.2016
 क्रेता का नाम श्री श्री सुभाष इण्डिया प्रा. लि. जयपुर, कोलकाता-74, बिहार
 पिता/पति श्री नगर, जयपुर जयपुर स्पार्स एंड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. सि. 510 को.
 निवास पर परिहार, सि. 10-47, हिममत नगर, जयपुर
 मुद्रांक मूल्य 10,000 विशुद्ध रूप

राहुल यादव
 राहुल यादव
 मुद्रांक विक्रेता सा.नं. 111/11
 प्लॉट नं. 12, विराही गेट कॉलोनी
 काशी-222 001

एलतास

ब ह क

रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि हम विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 371/1, रकबा 0.2000 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर है जो कि हमारे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात हम विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 371/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 252/216 दिनांक 28.03.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 371/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि अर्थात 2000 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इस प्रकार से हम विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि के मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी है। यह है कि हमारी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार हमको ही प्राप्त हैं तथा आज से पूर्व हम विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

यह कि हम विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 371/1, रकबा 0.2000 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.2000 हैक्टेयर है।


सुरिता



सशीला



श्रीधराम शर्मा



3



Presentation Endorsement

आज दिनांक 07 माह 04 सन् 2016 को 04:09 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Radhey Shyam पुत्र/पुत्री/पति श्री Bhorl Lal
 उम्र 34 वर्ष, जाति balai , व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:0, Colony: ghata jal dhari , Area: j,ramgarh , City:
 jaipur , Pin code: 302028, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424002051

Radhey Shyam

उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424001410
दिनांक	07-04-2016
पंजीयन शुल्क ₹	8140
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	40670
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	8140
कुल योग	57250

201601424002051

Jamva Ramgarh
 उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.2000 हैक्टेयर अर्थात् 2000 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 8,13,280/-रूपये अक्षरे आठ लाख तेरह हजार दो सौ अस्सी रूपयें मात्र के बदले में क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बी.एस. परिहार, उम्र:- 42 वर्ष, जाति:- राजपूत, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि में से राशि जरिये नकद के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये नकद के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को हमारे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से हम विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा हमारे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमें काश्त करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य में विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या हम (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई हम विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा हमारे द्वारा मना करने की स्थिति में हमारी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

सुचित

सुचित

श्रीराम कृष्ण

.....4



Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Radhey Shyam , पुत्र/पुत्री/पति श्री Bhoori Lal , व्यवसाय Farmer House No.:0, Colony: ghata jal dhari , Area: j,ramgarh , City: jaipur , Pin code: 302028, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 34 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Shushila , पुत्र/पुत्री/पति श्री Bhoori Lal , व्यवसाय Farmer House No.:0, Colony: ghata jal dhari , Area: j,ramgarh , City: jaipur , Pin code: 302028, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 36 Signature :
3 श्री/श्रीमती/सुश्री Sumitra , पुत्र/पुत्री/पति श्री Bhoori Lal , व्यवसाय Farmer House No.:0, Colony: ghata jal dhari , Area: j,ramgarh , City: jaipur , Pin code: 302028, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 32 Signature :
4 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Dawlprs Pvt Dir Ravindra Pratap Singh , पुत्र/पुत्री/पति श्री B,S Parihar , व्यवसाय Farmer House No.:k-47, Colony: k-47 himmat nagar jaipur , Area: jaipur , City: jaipur , Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 42 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 813280/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 813280/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Prahlad , पुत्र/पुत्री/पति श्री Ranjeeta Age: 70 Add: House No.:0, Colony: Gujro ka Bas , Area: Jamwaramgarh , City: jaipur , Pin code: 302028, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharm Raj , पुत्र/पुत्री/पति श्री R.P. Raigar Age: 30 Add: House No.:0, Colony: Majipura, Area: Jamwaramgarh City: jaipur , Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक
जावाहरमगड़, जिला-जयपुर

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रैता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र हमने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 10,000/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 3 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 07.04.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

श्री राधेश्याम:- श्री राधेश्याम ब्रह्मनगर

सुशीला:-

काली उर्फ सुमित्रा:- सुमित्रा सुशीला

हस्ताक्षर क्रैता द्वितीयपक्ष:-

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह:- श्री रविन्द्र प्रताप सिंह

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री चामरोज सिंह पुत्र श्री 3112 ज.संग, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- हरि-
निवासी- सात्रीपुरा 2777912122016
2. श्री 3112 पुत्र श्री 3112, उम्र:- 75 वर्ष, जाति:- 3112
निवासी- 3112 3112 3112 3112



प्रकृत

Drafted by:-

(As per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Somi



201601424002051

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 813280 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 40670 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 8140, सरचार्ज राशि 8140 कुल रु 56950 रसीद संख्या 201602424001410 दिनांक 07-04-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 40670 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424002051

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 07/04/2016 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 130 में
पृष्ठ संख्या 140 क्रम संख्या 201603424101073 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 520 के
पृष्ठ संख्या 146 से 149 पर चस्पा किया गया।

201601424002051

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

अमरगढ़ (स) अधिकांश 372/2 0.50

3

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH



Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date: 03-10-2016 3:39 PM

Fee Receipt No	: 201602424003509	Receipt Date	: 03/10/2016
Name	: Ravi Surya Developers P.Ltd.,Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya,	Document S. No.	: 201601424005626
Address	: 378 ,Vasundhara colony ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 2057000	Evaluated Value	: ₹ 1849640
Ord-Registration Fee	: ₹ 20570	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 20570	Stamp Duty	: ₹ 102350
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 144290
		Total Amount	: ₹ 144290

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 13293089 ₹ 144190 # Stamp N.A. ₹ 100

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR





राजस्थान RAJASTHAN

AE 57233*



-:: श्री ::-

-:: विक्रय पत्र ::-

मैं, पूजा पुत्री श्री सायर, उम्र:- 21 वर्ष, जाति:- बैरवा, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान की हूँ और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र मैं आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

पूजा

Ravi Surya Development Private Ltd2

Authorised Signatory

उप पंजीयक
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर



क्रमांक 2108 केस का दि 30/9/16

केंद्र का नाम: श्री विद्युत् इकाया प्रा. लि. अणु अणु-यौ.
 विद्युत्/पति श्री: श्री. अणु अणु
 पता: प्रा. लि. अणु अणु श्री लुकि लुकि
 पुराण: श्री. अणु अणु श्री अणु अणु
 $\frac{1}{100} = 100$
 श्री अणु अणु
 श्री अणु अणु
 श्री अणु अणु
 श्री अणु अणु

शाइल यादव
 शाइल यादव
 पुराणिक विभाग नं. 111/11
 प्लॉट नं. 12, बिजली गेट कॉलोनी
 अणु-अणु

हस्ताक्षर

रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/1653 दिनांक 15.09.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि में 5000 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इसके पश्चात उक्त सपरिवर्तन पत्र का पंजीयन जमवारामगढ उप पंजीयक कार्यालय के यहां आज दिनांक 03.10.2016, को पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 138 मे पृष्ठ सं. 105 के क्रम सं. 20163424 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 552 के पृष्ठ सं. 23 से 25 पर मेरे नाम से पंजीबद्ध कर चस्पा किया गया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि की मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं।

Ravi Surya Developers Private Ltd

Ramesh
A. Authorised Signatory

.....3

पूजा



Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2016 को 03:23 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Pooja पुत्र/पुत्री/पति श्री Sayar Bairwa
 उम्र 21 वर्ष, जाति Bairwa, व्यवसाय Housewife
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar, Area: Gopalpura by
 pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424005020

युवा

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424003509
दिनांक	03-10-2016
पंजीयन शुल्क ₹	20570
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	102850
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	20570
कुल योग	144290

201601424005020

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH



3

तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है। यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.7500 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 20,57,000/-रूपये अक्षरे बीस लाख सत्तावन हजार रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये बैंक नं. 536812, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टॉक रोड, जयपुर के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये बैंक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा। यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमे काश्त करे, स्वयं रहे।

Ravi Surya Development Projects Ltd

.....4





Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Pooja , पुत्र/पुत्री/पति श्री Sayar Bairwa , व्यवसाय Housewife House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 21 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Developers P.Ltd.Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya, पुत्र/पुत्री/पति श्री Suresh Kumar Luhadiya, व्यवसाय Business House No.:378, Colony: Vasundhara colony, Area: Tonk Road , City: Jaipur, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 35 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 2057000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 2057000/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया !

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Sushila , पुत्र/पुत्री/पति श्री Girdhari Age: 50 Add: House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj Diwan , पुत्र/पुत्री/पति श्री Rampratap Diwan Age: 31 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgarh, City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201601424005020

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

4

तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे ।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य मे विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

.....5

पूजा



Ravi Suraj Puri & Co. Private Ltd

Ravi Suraj Puri, Director

**Under 54 Endorsement**

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 2057000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 102850 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 20570, सरचार्ज राशि 20570 कुल रु 143990 रसीद संख्या 201602424003509 दिनांक 03-10-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 102850 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424005020

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2016 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 138 में
पृष्ठ संख्या 117 क्रम संख्या 201603424102648 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552 के
पृष्ठ संख्या 67 से 70 पर चस्पा किया गया।

201601424005020

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

5

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 1,00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 4 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 30.09.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

पूजा:- पूजा

हस्ताक्षर क्रेतो द्वितीयपक्ष:-

श्री सुमित लुहाडिया:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री पुत्र श्री उम्र:-... वर्ष, जाति:-.....

निवासी- |

2. श्री पुत्र श्री उम्र:-... वर्ष, जाति:-.....

निवासी- |



Drafted by:-

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

साक्षर
अथवा उपाय
के अभाव में



(8) (8)

अमरावती 372/2 27.01.25

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH



Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 03-10-2016 3:28 PM

Fee Receipt No	: 201602424003505	Receipt Date	: 03/10/2016
Name	: Ravi Surya Developers P.Ltd.Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya.	Document S. No.	: 201601424095009
Address	: 378 ,Vasundhara colony .Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1028500	Evaluated Value	: ₹ 975415
Ord-Registration Fee	: ₹ 10290	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 10290	Stamp Duty	: ₹ 51430
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 72310
		Total Amount	: ₹ 72310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan_13292986 ₹ 72210 # Stamp N.A. ₹ 100

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR


✓





राजस्थान RAJASTHAN

AE 572352



--: श्री ::-

--: विक्रय पत्र ::-

मैं, पूजा देवी पुत्री श्री सायर बैरवा, उम्र:- 21 वर्ष, जाति:- बैरवा, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान की हूँ और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

.....2

Ravi Surya Development Private Ltd
 Authorized Signatory

उप पंतीयक
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

पूजा

क्रमांक 2/05 दिनांक का दिनांक 30/9/16

प्रेषक का नाम विकिपूरत स्वसपर्य प्र. लि. जयपुर

पति/पत्नी

पता

मुद्रांक पत्र 100 वाले दिनांक

100
7
राहुल यादव
राहुल यादव

मुद्रांक पत्रिका नं. 111/11
प्लेट नं. 12, शिवाजी गेट कॉलोनी
जयपुर-302022

आवेदन नं-47, दिनांक
जयपुर-जयपुर जयपुर
प्रतिनिधि श्री सुभाष
सुभाषिण सुभाषिण
सुभाष सुभाषिण
378, जयपुर-जयपुर
जयपुर-जयपुर, जयपुर
जयपुर

रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टैंक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय तहसीलदार, जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/502-507 दिनांक 27.07.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि में से 0.2500 हैक्टेयर अर्थात 2500 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इसके पश्चात उक्त सहपरिवर्तन पत्र का पंजीयन जमवारामगढ उप पंजीयक कार्यालय के यहां आज दिनांक 30.07.2016, को पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 135 के पृष्ठ सं. 108 के क्रम सं. 201603724102639 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 552 के पृष्ठ सं. 32 से 34 पर मेरे नाम से पंजीबद्ध कर चस्था किया गया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि की मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं।

दिनांक 30/07/2016
 विक्रेता
 सुरेश कुमार लुहाडिया
 पुत्र सुमित लुहाडिया
 पता: 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टैंक रोड, जयपुर, राजस्थान
3

पूजा

Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2016 को 02:56 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Pooja पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Sayar Bairwa
 उम्र 21 वर्ष, जाति Bairwa , व्यवसाय Housewife
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by
 pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424005009

पूजा

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424003505
दिनांक	03-10-2016
पंजीयन शुल्क ₹	10290
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	51430
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	10290
कुल योग	72310

201601424005009

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/2, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.7500 हैक्टेयर में से 0.2500 हैक्टेयर अर्थात् 2500 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 10,28,500/-रूपये अक्षरे दस लाख अठाईस हजार पांच सौ रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536809, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टॉक रोड, जयपुर के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।


Ravi Surya Developers Private Ltd

.....4

Authorised Signatory

पूजा

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Pooja , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Sayar Bairwa , व्यवसाय Housewife House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 21 Signature : 
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Developers P.Ltd.Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Suresh Kumar Luhadiya, व्यवसाय Business House No.:378, Colony: Vasundhara colony, Area: Tonk Road , City: Jaipur, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 35 Signature : 

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 1028500/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1028500/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Indra , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Ramesh Age: 27 Add: House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature 
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj Diwan , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Rampratap Diwan Age: 31 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgarh, City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature 

201601424005009

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

4

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावे, इसमें काश्त करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे ।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य में विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।


यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

Ravi Sarda Development Pvt. Ltd.
Sumeet
Ravi Sarda Development Pvt. Ltd.

.....5

पूजा





Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 1028500 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 51430 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 10290, सरचार्ज राशि 10290 कुल रू 72010 रसीद संख्या 201602424003505 दिनांक 03-10-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रू 51430 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424005009

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 138 में पृष्ठ संख्या 115 क्रम संख्या 201603424102646 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552 के पृष्ठ संख्या 59 से 62 पर चस्पा किया गया।

201601424005009

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में क़ीमती स्टाम्प 1,00/- रुपये के क़िता एक मुद्रा पत्र एवं 4 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 30.09.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

पूजा देवी:- पूजा

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री सुमित लुहाडिया:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री ~~सुमित लुहाडिया~~ पुत्र श्री ~~रामप्रताप लुहाडिया~~, उम्र:- 31 वर्ष, जाति:- ~~इंडी~~

निवासी- ~~भागीपुरा, जयपुर~~

2. श्री ~~S.S.A~~ पुत्र श्री ~~रमेश कुमार~~, उम्र:- 27 वर्ष, जाति:- ~~ब्राह्मण~~

निवासी- ~~K-47, डिवाइज-काला जयपुर~~

पूजा देवी

Drafted by:-

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni



उप संदीपक

जयपुर, जयपुर





①

Total 24

दस्तावेज की संख्या

372/3
30/11/19

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH



Fee Receipt Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date: 03-10-2016 3:25 PM

Fee Receipt No	: 201602424003504	Receipt Date	: 03/10/2016
Name	: Ravj Surya Developers P.Ltd. Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya,	Document S. No.	: 201601424005005
Address	: 378, Vasundhara colony, Jaipur, JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed	Evaluated Value	: ₹ 1800510
Face Value	: ₹ 2015860		
Ord-Registration Fee	: ₹ 20160	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 100800
Surcharge	: ₹ 20160	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 141420
		Other than Cash	: ₹ 141420
		Total Amount	: ₹ 141420

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 13292946 ₹ 141320 # Stamp N.A. ₹ 100

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



11

11



11

11

11





राजस्थान RAJASTHAN



AE 57235

294

-:: श्री ::-
 -:: विक्रय पत्र ::-

मैं, श्रीमती सुशीला पत्नी श्री गिरधारी, उम्र:- 50 वर्ष, जाति:- बलाई, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान की हूँ और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

.....2

21/11/11

Ravi Surya Dewani & Partners Ltd

Suneel

Chartered Accountants

जय पंतीयक
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर



क्रमांक 209 दिव्य का दिनांक 30/09/2016

क्रेता का नाम श्री रवि लुथी डवलपमि डायलिस अपनुर डी.एम.के.पी.

पति/पत्नी श्री दिनेश कुमार, अपनुर, जयपुर, जयपुर डायलिस ए डी.एम.के.पी.

निकल पता डी.एम.के.पी. डायलिस ए डी.एम.के.पी. जयपुर डायलिस

मुद्रांक 100 विशेष म. डी.एम.के.पी. डायलिस
जयपुर

राहुल यादव
मुद्रांक विक्रेता ला.नं. 111/11
प्लॉट नं. 12, बिराही गेट कॉलोनी
आमेर-302028

हस्ताक्षर



रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/1665 दिनांक 15.09.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि में 4900 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इसके पश्चात उक्त सपरिवर्तन पत्र का पंजीयन जमवारामगढ उप पंजीयक कार्यालय के यहां आज दिनांक 31.09.2016, को पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 138, मे पृष्ठ सं. 110 के क्रम सं. 201603424 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 552 के पृष्ठ सं. 38 से 40 पर मेरे नाम से पंजीबद्ध कर चस्पा किया गया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि की मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं।

Raw Surya Enterprises Private Ltd

Surya

.....3

3/2/11



Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2016 को 02:32 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Sushila पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Girdhari
 उम्र 50 वर्ष, जाति Balai , व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by
 pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424005005

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424003504
दिनांक	03-10-2016
पंजीयन शुल्क ₹	20160
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	100800
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	20160
कुल योग	141420

201601424005005

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है। यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.7400 हैक्टेयर में से 4900 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिग राशि 20,15,860/-रूपये अक्षरे बीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ साठ रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536813, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टॉक रोड, जयपुर के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमे काश्त करे, स्वयं रहे।

23/11/11

Ravi Surya Developments Private Ltd

Sumit

Authorized Signatory

4



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री Sushila , पुत्र/पुत्री/पति श्री Girdhari , व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 50 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Developers P.Ltd. Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya, पुत्र/पुत्री/पति श्री Suresh Kumar Luhadiya, व्यवसाय Business House No.:378, Colony: Vasundhara colony, Area: Tonk Road , City: Jaipur, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 35 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 2015860/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 2015860/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Pooja , पुत्र/पुत्री/पति श्री Sayar Bairwa Age: 21 Add: House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj Diwan , पुत्र/पुत्री/पति श्री Rampratap Diwan Age: 31 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgarh, City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201601424005005

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



4

तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे ।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत् आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य मे विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

.....5

Ravi Surya Developers Private Ltd

Authorized Signatory

23/11/11





Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 2015860 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 100800 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 20160, सरचार्ज राशि 20160 कुल रु 141120 रसौद संख्या 201602424003504 दिनांक 03-10-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 100800 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424005005

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 138 में पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 201603424102645 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552 के पृष्ठ संख्या 55 से 58 पर चस्पा किया गया।

201601424005005

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

5

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 1,00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 4 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 30.09.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:- सुशीला

श्रीमती सुशीला:-

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री सुमित लुहाडिया:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री हार्दिक/वा पुत्र श्री रामचन्द्र/वा उम्र:- 31 वर्ष, जाति:- ईर

निवासी- मारीडा, रामपुरमारे

2. श्री पूजा पुत्र श्री हाथर देवा, उम्र:- 21 वर्ष, जाति:- ईर

निवासी- K-47, Bhandarwadi, Marol



Drafted by:-

Vinod Kumar

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

उप-न्यायक
जमवारानाद, जिला-जयपुर



अवकाश के अंतर्गत 3743 अ. 0.25 (2)

2

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH



Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 03-10-2016 3:47 PM

Fee Receipt No	: 201602424003514	Receipt Date	: 03/10/2016
Name	: Ravi Surya Developers P.Ltd.Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya,	Document S. No.	: 201601424005022
Address	: 378 ,Vasundhara colony ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1028500	Evaluated Value	: ₹ 975415
Ord-Registration Fee	: ₹ 10290	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 10290	Stamp Duty	: ₹ 51430
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 72310
		Total Amount	: ₹ 72310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
Stamp N.A. ₹ 100 # e-Gras Challan.13293013 ₹ 72210

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR





राजस्थान RAJASTHAN

AE 572353



--: श्री ::-

--: विक्रय पत्र ::-

मैं, श्रीमती सुशीला पत्नी श्री गिरधारी, उम्र:- 50 वर्ष, जाति:- बलाई, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान की हूँ और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

सुशीला

Ravi Surya Developers Private Ltd

Authorised Signatory

2

रवि सूर्य डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
जमवारा नगर, जिला-जयपुर



क्रमांक 2/56 विक्रय का दिनांक 30/09/2016

क्रेता का नाम श्री. रविशंकर स्वामी प्रान. लि. जयपुर, ऑफिस नं-44,
पति/पति श्री. दिगंत नगर, जयपुर जालियाँ कृषि कृत प्रतिनिधि
निकल पता श्री. सुमिल बुधारा नं. की सुमिल बुधारा बुधारा
मुद्रांक रूप 100/-

वि. 378, वसुन्धरा कॉलोनी,
गैंग रौड, जयपुर

राहुल यादव
राहुल यादव
मुद्रांक दिक्कत नं. 111/11
पता नं. 12, डिग्री गेट कॉलोनी
आमेर-302028

हस्ताक्षर



2

ब ह क



रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र- 35 वर्ष, जाति- जैन, निवासी- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय तहसीलदार, जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/494-500 दिनांक 27.07.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि में से 0.2500 हैक्टेयर अर्थात 2500 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इसके पश्चात उक्त सहपरिवर्तन पत्र का पंजीयन जमवारामगढ उप पंजीयक कार्यालय के यहां आज दिनांक 3.10.2016, को पुस्तक सं. 1., जिल्द सं. 138 मे पृष्ठ सं. 157 के क्रम सं. 201603424/02638 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1., जिल्द सं. 552 के पृष्ठ सं. 29 से 31 पर मेरे नाम से पंजीबद्ध कर चप्पा किया गया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि की मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं।

Ravi Surya Dvalperts Private Ltd

.....3



Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2016 को 03:31 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Sushila पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Girdhari
 उम्र 50 वर्ष, जाति Baiai , व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by
 pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424005022

Sushila

हस्ताक्षर उप पंजीयक
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424003514
दिनांक	03-10-2016
पंजीयन शुल्क ₹	10290
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	51430
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	10290
कुल योग	72310

201601424005022

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH



3


तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है। यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/3, रकबा 0.7400 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.7400 हैक्टेयर में से 0.2500 हैक्टेयर अर्थात् 2500 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 10,28,500/-रूपये अक्षरे दस लाख अठाईस हजार पांच सौ रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये बैंक नं. 536810, बैंक का नाम मालवीय अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टॉक रोड, जयपुर के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये बैंक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

Ravi Surya Developers Private Ltd



Authorized Signatory

.....4





Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Sushila , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Girdhari , व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Developers P.Ltd.Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Suresh Kumar Luhadiya, व्यवसाय Business House No.:378, Colony: Vasundhara colony, Area: Tonk Road , City: Jaipur, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Clair : Age : Signatu

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1028500/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1028500/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Indra , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Ramesh Kumar Age: 27 Acid: House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj Diwan , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Rampratap Diwan Age: 31 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgarh, City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201601424005022

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



4

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावे, इसमें काशत करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे ।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत् आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य में विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

.....5

27/11/14

Ravi Surya De... Pvt. Ltd

Ravi Surya De... Pvt. Ltd



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत २,९६०० मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 51430 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 10290, सरचार्ज राशि 10 रु 72010 रसीद संख्या 201602424003514 दिनांक 03-10-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 51430 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424005022

उप पंजीयक, VA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 138 में पृष्ठ संख्या 118 क्रम संख्या 201603424102649 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552 के पृष्ठ संख्या 71 से 74 पर चस्पा किया गया।

201601424005022

उप पंजीयक, JAMVA R. (R)

Sale Deed (Conveyance Deed)

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 1,00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 4 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 30.09.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:- श्री श्रीलाल

श्रीमती सुशीला:-

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री सुमित लुहाडिया:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री सुशीला पुत्र श्री रविशंकर, उम्र:- 27 वर्ष, जाति:- ब्राह्मण

निवासी- क-47, जमवारा मण्डल, जयपुर

2. श्री सुशीला पुत्र श्री रविशंकर, उम्र:- 27 वर्ष, जाति:- ब्राह्मण

निवासी- जमवारा मण्डल, जयपुर



Drafted by:-

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni


उप केटीयक
जमवारा मण्डल, जयपुर



7

7

3724 अकासीक ए नॉटारिअल 0.50



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 03-10-2016 3:18 PM

Fee Receipt No	: 201602424003503	Receipt Date	: 03/10/2016
Name	: Indra ,	Document S. No.	: 2016014240035004
Address	: K-47 ,Himat Nagar ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 2057000	Evaluated Value	: ₹ 1849640
Ord-Registration Fee	: ₹ 20570	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 20570	Stamp Duty	: ₹ 102850
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 144290
		Total Amount	: ₹ 144290

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gres Challan 13293112 ₹ 144190 # Stamp N.A. ₹ 100

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

[Signature]
Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

[Signature]
SUB-REGISTRAR





राजस्थान RAJASTHAN

AE 572384



२१५

-:: श्री ::-

-:: विक्रय पत्र ::-

मैं, श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, उम्र:- 27 वर्ष, जाति:- बलाई, निवासी:- के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान की हूँ और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र मैं आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

Ravi Surya Developers Private Ltd

इन्द्रा देवी

.....2

Authorized Signatory



उप पंजीयक
जमवाराम नगर, जिला-जयपुर



क्रमांक 2107 दिनांक 30/9/2016

लेखक का नाम श्री अवि लुधा स्वामीजी साहू, जयपुर जिला 5-4A,
 जिला/पति श्री दिमाद का, जयपुर जिला का प्रतिनिधि की
 पता श्रीमती सुहासिनी श्रीमती सुरेश कुमार सुहासिनी न.
 तहसील विमान डा. 200000, जयपुर जिला
 जयपुर

श. इ. ल. यादव
 जयपुर जिला
 जयपुर जिला
 जयपुर जिला

66-0121

2

ब ह क

रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/1659 दिनांक 15.09.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि में 5000 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इसके पश्चात उक्त सपरिवर्तन पत्र का पंजीयन जमवारामगढ उप पंजीयक कार्यालय के यहां आज दिनांक 30.12.2016, को पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 138 मे पृष्ठ सं. 106 के कम सं. 20160242 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 552 के पृष्ठ सं. 26 से 28 पर मेरे नाम से पंजीबद्ध कर चस्था किया गया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि की मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं।

Ravi Suresh D... Ltd

[Signature]
Author... Strator

.....3

[Handwritten Signature]





Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2016 को 02:31 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Indra पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Ramesh Kumar
 उम्र 27 वर्ष, जाति Balai , व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by
 pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424005004

इन्द्रा देवी

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424003503
दिनांक	03-10-2016
पंजीयन शुल्क ₹	20570
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	102850
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	20570
कुल योग	144290

201601424005004

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है। यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.7500 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिंग राशि 20,57,000/-रूपये अक्षरे बीस लाख सत्तावन हजार रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536811, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टॉक रोड, जयपुर के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया है। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा। यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावें, इसमे काश्त करे, स्वयं रहे।


इन्द्रा देवी

रवि सूर्या

Suneet

.....4


Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री Indra , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Ramesh Kumar , व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 27 Signature : 
2	श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Developers P.Ltd.Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Suresh Kumar Luhadiya, व्यवसाय Business House No.:378, Colony: Vasundhara colony, Area: Tonk Road , City: Jaipur, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 35 Signature : 

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 2057000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 2057000/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनक हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Sushila , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Girdhar Age: 50 Add: House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature : 
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj Diwan , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Rampratap Diwan Age: 31 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgarh, City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature : 

201601424005004

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

4

तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे ।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत् आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी।

यदि भविष्य मे विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।


.....5

इन्द्रा देवी



Ravi Surya Developers Private Ltd

Authorised Signatory



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 2057000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 102850 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 20570, सरचार्ज राशि 20570 कुल रु 143990 रसीद संख्या 201602424003503 दिनांक 03-10-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 102850 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424005004

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 138 में पृष्ठ संख्या 113 क्रम संख्या 201603424102644 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552 के पृष्ठ संख्या 51 से 54 पर चस्पा किया गया।

201601424005004

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 1,00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र. एवं 4 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 30.09.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:- इन्द्रा देवी

श्रीमती इन्द्रा देवी:-

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री सुमित लुहाडिया:-

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री धर्मराज देव पुत्र श्री राम प्रताप देव उम्र:- 33 वर्ष, जाति:- इंडी

निवासी- मन्नाडवा, 5 नवंबर 2016

2. श्रीमती लुहाडिया पुत्र श्री विक्रम उम्र:- 50 वर्ष, जाति:- इंडी

निवासी- 12-47 हिन्दू काल, 2016



Drafted by:-

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

उप पंजीयक
समस्त प्रमाण, दिनांक- 30/09/16



5

अमरावती के अधीन 374/4 4.0.25

5

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 03-10-2016 3:32 PM



Fee Receipt No	: 201602424003506	Receipt Date	: 03/10/2016
Name	: Ravi Surya Developers P.Ltd. Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya.	Document S. No.	: 201601424005013
Address	: 378 ,Vasundhara colony ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1028500	Evaluated Value	: ₹ 975415
Ord-Registration Fee	: ₹ 10290	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 10290	Stamp Duty	: ₹ 51430
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 72310
		Total Amount	: ₹ 72310

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 13293041 ₹ 72210 # Stamp N.A. ₹ 100


Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR





राजस्थान RAJASTHAN

AE 572351



-:: श्री ::-

-:: विक्रय पत्र ::-

मैं, श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार, उम्र:- 27 वर्ष, जाति:- बलाई, निवासी:- के-47, हिस्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान की हूँ और इस विक्रय पत्र मे विक्रेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -


Ravi Surya Developers Private Ltd

इन्द्रा देवी

Authorized Signatory

.....2

उप पंजीयक
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर



कमरा नं. १०५ दिनांक ३०/९/१६

क्षेत्र का नाम श्री. श्री. वी. ए. लाल
 किरा/पति श्री. श्री. वी. ए. लाल
 निवास गा. हनुमानपुरा
 मुद्रांक नं. ५७ वास्ता

राहुल यादव
 राहुल यादव
 मुद्रांक विभाग ला. नं. १११/११
 ब्लाक नं. १२, दिवाड़ी गेट कॉलोनी
 जयपुर-३०२०२८

३७८९
 ३७८९
 ३७८९

हस्ताक्षर



2

ब ह क

रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "क्रेता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व क्रेता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय तहसीलदार, जमवारामगढ, जयपुर के यहां आवासीय भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2016/509-515 दिनांक 27.07.2016 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि में से 0.2500 हैक्टेयर अर्थात 2500 वर्गमीटर भूमि को आवासीय भूमि में सपरिवर्तन किया है। इसके पश्चात उक्त सहपरिवर्तन पत्र का पंजीयन जमवारामगढ उप पंजीयक कार्यालय के यहां आज दिनांक 3.10.2016 को पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 138 मे पृष्ठ सं. 109 के क्रम सं. 201603424.102640 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 552 के पृष्ठ सं. 35 से 37 पर मेरे नाम से पंजीबद्ध कर चस्पा किया गया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि की मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं।

इन्द्रा देवी




Ravi Surya Developers Private Ltd

June 2016

Authorized Signatory

.....3



Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2016 को 03:03 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Indra पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramesh Kumar
 उम्र 27 वर्ष, जाति Balai , व्यवसाय Farmer
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by
 pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201601424005013

Indra

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201602424003506
दिनांक	03-10-2016
पंजीयन शुल्क ₹	10290
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	51430
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	10290
कुल योग	72310

201601424005013

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH



3

तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अपने लिये काश्त की भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 372/4, रकबा 0.7500 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.7500 हैक्टेयर है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.7500 हैक्टेयर में से 0.2500 हैक्टेयर अर्थात् 2500 वर्गमीटर आवासीय भूमि का बैचान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिग राशि 10,28,500/-रूपये अक्षरे दस लाख अठाईस हजार पांच सौ रूपयें मात्र के बदले मे क्रेता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा0 लि0 जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 35 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये चैक नं. 536808, बैंक का नाम मालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टॉक रोड, जयपुर के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये चैक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से क्रेता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया हैं। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

Ravi Surya Developers Private Ltd

रवि सूर्या



Authorized Signatory

.....4



Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री Indra , पुत्र/पुत्री/पति श्री Ramesh Kumar , व्यवसाय Farmer House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 27 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Developers P.Ltd.Jaipur Office K-47 Himat Nagar Thro Sumit Luhadiya, पुत्र/पुत्री/पति श्री Suresh Kumar Luhadiya, व्यवसाय Business House No.:378, Colony: Vasundhara colony, Area: Tonk Road , City: Jaipur, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 35 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1028500/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1028500/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Sushila , पुत्र/पुत्री/पति श्री Girdhar Age: 50 Add: House No.:K-47, Colony: Himat Nagar , Area: Gopalpura by pas Jaipur, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature :
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dharam Raj Diwan , पुत्र/पुत्री/पति श्री Rampratap Diwan Age: 31 Add: House No.:0, Colony: Majipura , Area: Jamwaramgarh, City: Jaipur, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature :

201601424005013

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



4

यह है कि क्रेता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावे, इसमें काशत करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे ।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता द्वितीय पक्ष की होगी ।

यदि भविष्य में विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेता प्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या त्रुटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी क्रेता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे ।

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी सें 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है । यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने वहन किया है ।

इन्द्रा देवी

Ravi Surya Developers Private Ltd5

Authorised Signatory



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 1028500 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 51430 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 10290, सरचार्ज राशि 10290 कुल रू 72010 रसीद संख्या 201602424003506 दिनांक 03-10-2016 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रू 51430 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201601424005013

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2016 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 138 में पृष्ठ संख्या 116 क्रम संख्या 201603424102647 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 552 के पृष्ठ संख्या 63 से 66 पर चस्पा किया गया।

201601424005013

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में कीमती स्टाम्प 1,00/- रुपये के किता एक मुद्रा पत्र एवं 4 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि सनद् रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 30.09.2016 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

इन्द्रा देवी

श्रीमती इन्द्रा देवी:-

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष:-

श्री सुमित लुहाडिया:-

Sumit

हस्ताक्षर गवाहाण:-

1. श्री ...राज इवाम पुत्र श्री ...राज इवाम/राज उम्र:- 3 वर्ष, जाति:- ...

निवासी- ...रा, ...रा

2. श्रीमती ... पुत्र श्री ... उम्र:- 50 वर्ष, जाति:- ...

निवासी- K-47, ...रा



Drafted by:-

(US as per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni

उप पंजीरक
जमवारामगढ़, मिला-जयपुर



373/1

18

18

31/07/2018

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) , Print Date : 23-07-2018 6:29 PM


Fee Receipt No	: 201802424001811	Receipt Date	: 23/07/2018
Name	: Ravi Surya Developers Pvt. Ltd. Jaipur Jariye Achikrit Pratinidhi Sumeet Luhadiya.	Document S. No.	: 201801424002291
Address	: 376, Vasundra, Jaipur, JA: PUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1526000	Evaluated Value	: ₹ 1290708
Ord-Registration Fee	: ₹ 15260	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 15260	Stamp Duty	: ₹ 76300
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 107120
		Total Amount	: ₹ 107120

Mode of Payment (#Mode Number Amount#)

e-Gras Challan 24197066 ₹ 107120

Signature of applicant for



Cash



Signature of recipient and date of return receipt

SUB REGISTRAR





--: श्री ::-

--: विक्रय पत्र ::-

मैं, हेमराज पुत्र श्री कामाजी, उम्र:- 27 वर्ष, जाति:- धोबी, निवासी:-के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान का हूँ और इस विक्रय पत्र मे विकेता प्रथम पक्ष है और इस विक्रय पत्र में विकेताप्रथम पक्ष है, जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे शब्द " विकेता प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा की ओर से -

हेमराज



[Signature]

.....2



[Signature]

जमवारानगर, जिला-जयपुर



Handwritten text in Devanagari script, appearing to be a list or a set of notes. The text is very faint and difficult to read, but it seems to contain several lines of text, possibly starting with '1. ...' and '2. ...'. The handwriting is somewhat irregular and the ink is light.



रवि सूर्या खवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र- 37 वर्ष, जाति- जैन, निवासी- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टाँक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है। जिन्हें इस विक्रय-पत्र में "केता द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के हित में लिखा जा रहा है। इस विक्रय पत्र की समस्त शर्तों से विक्रेता प्रथम पक्ष व केता द्वितीय पक्ष स्वयं एवं उनके सभी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे।

जो कि मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष के कब्जे कास्त की खातेदारी कृषि भूमि वाके- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का बासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 373/1, रकबा 0.3700 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर है जो कि मेरे नाम से मुताबिक राजस्त्र रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 373/1, रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि को कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर के यहां औद्योगिक भूमि में सपरिवर्तन करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ, जयपुर ने सपरिवर्तन आदेश क्रमांक सं. 2018/1712-1717 दिनांक 19.07.2018 को उक्त आराजी खसरा नम्बर 373/1, रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि अर्थात् 3700 वर्गमीटर भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि में सपरिवर्तन किया है। इसके पश्चात उक्त सहपरिवर्तन पत्र का पंजीयन जमवारामगढ उप पंजीयक कार्यालय के यहां दिनांक 23-7-2018 को पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 165 में पृष्ठ सं. 184 के क्रम सं. 201803424101739 पर तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 65/ के पृष्ठ सं. 156 से 158 पर मेरे नाम से पंजीबद्ध कर चस्पा किया गया है। इस प्रकार से मैं विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त उल्लेखित आराजी भूमि का मालिक, अधिकारी, काबिज, एवं स्वामी हूँ। यह है कि मेरी उक्त आराजी प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण कर भार आदि से मुक्त एवं पवित्र है तथा उक्त उल्लेखित आराजी को प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने तथा हस्तान्तरण आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझको ही प्राप्त हैं तथा आज से पूर्व मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण व इसके किसी भी भाग व अंश को विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि नहीं कर रखी है और न ही बंधित ही कर रखी है।

सुरेश कुमार लुहाडिया

.....3



Presentation Endorsement

आज दिनांक 23 माह 07 सन् 2018 को 06:13 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री Hemraj मुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaji
 उम्र 27 वर्ष, जाति Dhobhi, व्यवसाय Business
 निवासी House No.:K-47, Colony: Himat Nagar, Area: Gopalpura By
 pass, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज, पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर, प्रस्तुतकर्ता
 201801424002291

Hemraj

[Signature]
 उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802424001311
दिनांक	23-07-2018
पंजीयन शुल्क ₹	15260
प्रतिनिधि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी-स्टाम्प शुल्क ₹	76300
कमी-सरचार्ज शुल्क ₹	15260
कुल योग	107120

201801424002291

[Signature]
 उप पंजीयक, JAMVA

Sale Deed (Conveyance Deed)

RAMGARH



यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी अत्यन्त आवश्यकता है तथा केता द्वितीय पक्ष को अपने लिये भूमि की आवश्यकता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी कब्जे काश्त व खालेदारी की भूमि वाके:- ग्राम घाटाजलधारी, पटवार हल्का ब्रासना, भू.अ.नि.क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जिसके आराजी खसरा नम्बर 373/1, रकबा 0.3700 हैक्टेयर, कुल किता 1, कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर है। अतः उक्त आराजी खसरा नम्बर की कुल भूमि 0.3700 हैक्टेयर अर्थात् 3700 वर्गमीटर औद्योगिक भूमि का वैधान अपने स्वत्वाधिकारो सहित व इसमें उगे हुए पेड़ पौधे, पानी-पूला, मेर-कौर, सहित कुल मुबलिया राशि 15,28,000/-रूपये अक्षरे पन्द्रह लाख छब्बीस हजार रूपये मात्र के बदले मे केता द्वितीय पक्ष:- रवि सूर्या डवलपर्स प्रा० लि० जयपुर, ऑफिस के-47, हिम्मत नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश कुमार लुहाडिया, उम्र:- 37 वर्ष, जाति:- जैन, निवासी:- 378, वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के है को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय कर विक्रय मूल्य सम्पूर्ण राशि जरिये बैंक नं. 634578, बैंक का नाम नालवीय अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा टॉक रोड, जयपुर, दिनांक 27/7/18 के द्वारा आज इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष जरिये बैंक के द्वारा प्राप्त कर ली हैं तथा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय-शुदा आराजी भूमि का कब्जा भौतिक रूप से केता द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा केता द्वितीय पक्ष को मेरे समान काबिज, काश्तकार, अधिकारी व स्वामी बना दिया है। अब इस विक्रय-शुदा आराजी भूमि से मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष स्वयं का तथा मेरे किसी भी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह है कि केता द्वितीय पक्ष को अब अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा खरीद शुदा उक्त खसरा नम्बर की आराजी भूमि को जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावे, इसमे काश्त करे, स्वयं रहे, तथा इसको प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे तथा इसको विक्रय, बक्शीश, दान, वसीयत, आदि कर इससे लाभ एवं फायदे आदि उठावे ।

यह कि विक्रय शुदा भूमि के बाबत आज से पूर्व के प्रत्येक प्रकार के ऋण-भार, झगडा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व जनसाधारण का पाया गया या निकला तो उसके चुकारे व निपटारे की जिम्मेदारी विक्रेताप्रथम पक्ष की होगी तथा आज के पश्चात् की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं केता द्वितीय पक्ष की होगी।

रवि सूर्या

.....4
 सुमित



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री Hemraj, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Kanaji, व्यवसाय Businessजाति Dhobhi House No.:K-47, Colony: Himat Nagar, Area: Gopalpura By pass, City: Jaipur, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 27 Signature:
2	श्री/श्रीमती/सुश्री Ravi Surya Developers Pvt. Lto. Jaipur Jariya Adhikari Pratinidi Sumeet Luhadiya, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Suresh Kumar Luhadiya, व्यवसाय Businessजाति Jain House No.:378, Colony: Vasundra, Area: Tonk Road, City: Jaipur, Pin code: 302018, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 39 Signature:

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़, सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 1526000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1526000/- पूर्व में _____ ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Dhramveer Singh Gurjar, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Chetan Lal जाति Gurjar Age: 24 Add: House No.:0, Colony: Bheempur, Area: Teh.Malpura, City: Jaipur, Pin code: 304504, District: TONK, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Vihod Kumar, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Suvaial soni जाति Soni Age: 47 Add: House No.:11, Colony: Birahi Gate Pista Bhawan, Area: Teh.Amer, City: Jaipur, Pin code: 302028, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201301424002291

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)



4

यदि भविष्य में विक्रय-शुदा आराजी भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई भाग व अंश विक्रेताप्रथमपक्ष के स्वामित्व की खामी या बूटी या मुझ (विक्रेता प्रथम पक्ष) का कोई वारिस, उत्तराधिकारी उपस्थित होकर किसी प्रकार का उज्र करे, जिससे उक्त आराजी केता द्वितीय पक्ष के हाथ से निकल जाती है तो केता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने नुकसान की भरपाई मुझ विक्रेता प्रथम पक्ष से कर लेवे, तथा मेरे द्वारा मना करने की स्थिति में मेरी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार द्वितीय पक्ष चाहे वसूल कर लेवे।

यह कि उक्त विक्रय शुदा आराजी भूमि मेन रोड से 2 किलोमीटर दूरी पर आबादी से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कि विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन का खर्चा केताद्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपने स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में 4 पाई पेपरो पर लिखवाकर उसकी प्रत्येक पृष्ठ पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपने हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी कर लिख दिया है कि समझ रहे, और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 23.07.2018 ईस्वी।

हरियाणा

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष:-

श्री हेमराज:-

हस्ताक्षर केता द्वितीयपक्ष:-


श्री सुमित लुहाखिया:-

हस्ताक्षर गवाहान:-

धर्मसिंह

1. श्री धरमसिंह पुत्र श्री प्रेतलाल उम्र-२५ वर्ष, जाति:- अर्थ
निवासी- सी.ए. भालपुरा जी. ई. ई.

2. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री हृष्यालाल उम्र-५७ वर्ष, जाति:- लोधी
विनोद कुमार लुहाखिया



Drafted by:-

(As per Record & Direction Given by executant & Claimant)

Vinod Kumar Soni



Under Registration

धारा 54 के तहत पंजीयन-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मूल्यमत रु 1526000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 76300 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 15260, सरचाज राशि 15260 कुल रु 106820 रसीद संख्या 201802424001811 दिनांक 23-07-2018 में जमा किये गये हैं।

कमी दर-मुद्रांक रु 76300 के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है।

201801424002291

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 23/07/2018 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 165 में
पृष्ठ संख्या 125 क्रम संख्या 201803424101735 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
आंतरिक पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 661 के
पृष्ठ संख्या 159 से 162 पर चस्पा किया गया।

201801424002291

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

Sale Deed (Conveyance Deed)

374 अर्थात् 5 अर्थात् 0.25

23

29

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 03-10-2018 4:09 PM

Fee Receipt No	: 201802424002362	Receipt Date	: 03/10/2018
Name	: RAVI SURYA DEVELOPERS PVT LTD THRO AUTHORIZED PERSON SUMIT LUHADIYA	Document S. No.	: 201801424002362
Address	: K-47 ,HIMMAT NAGAR ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 1035000	Evaluated Value	: ₹ 925650
Ord-Registration Fee	: ₹ 10350	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 10350	Stamp Duty	: ₹ 51750
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 72750
		Total Amount	: ₹ 72750




Mode of Payment (#Mode Number Amount)
e-Gras Challan 25554449 ₹ 72750

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



173

173

173

(4)



॥ श्री ॥

॥ विक्रय-पत्र ॥

यह विक्रयपत्र आज दिनांक 03-10-2018 को बनवारीलाल पुत्र चुन्नीलाल,
आयु लगभग 26 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी के-47, हिम्मत नगर, जयपुर,
जिला जयपुर, राजस्थान जिन्हे इस विक्रय-पत्र में यहां "प्रथमपक्ष विक्रेता"



.....2
Ravi Surya Developers Private Ltd

Authorized Signatory

उप पंजीयक
जयपुर
जयपुर, जिला-जयपुर



:: 2 ::

तथा आगे "प्रथमपक्ष" के शब्द से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द में प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं एवं प्रथमपक्ष के समस्त उत्तराधिकारी, पारिवारिक सदस्य, वारीसान आदि सभी सम्मिलित समझे जावेंगे) की :- रवि सूर्या डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान जरिए अधिकृत प्रतिनिधि सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश लुहाडिया, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति जैन, निवासी वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान जिन्हे इस विक्रय पत्र में यहां "द्वितीयपक्ष क्रेता" तथा आगे "द्वितीयपक्ष" के शब्द से सम्बोधित किया गया है, (जिस शब्द में द्वितीयपक्ष क्रेता स्वयं एवं समिति के समस्त पदाधिकारीगण, निदेशक, सचिव, हितबद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आदि सभी सम्मिलित समझे जावेंगे) के हित में निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील किया जाता है :-

जो कि ग्राम तन घाटाजलधारी, पटवार मण्डल बासना, तहसील जमवारामगढ में भूमि आराजी खसरा नम्बर 374 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, भूमि सम्पूर्ण प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से स्थित है, जो कि राजस्व रिकार्ड मे प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वयं के नाम दर्ज थी, उक्त भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु रूपान्तरण के लिए आवेदन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय जमवारामगढ में पेश किया गया था, जिस पर उक्त भूमि कुल 2500 वर्गमीटर भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुल्क राशि 38217/-रु. जरिए चालान नम्बर 267 दिनांक 23 अगस्त 2018 को जमा राजकोष में होने पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, जमवारामगढ, जिला जयपुर के द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/2530 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर दिया गया है। इसके पश्चात उक्त भूमि कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर भूमि के सम्परिवर्तन आदेश का पंजीयन कार्यालय

Ravi Surya Developers Private Ltd³






Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2018 को 04:05 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री BANWARILAL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री CHUNNILAL
 उम्र 26 वर्ष, जाति BAIRWA, व्यवसाय Business
 निवासी House No.:K-47, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: Jaipur, City:
 JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201801424002965
 Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA-RAMGARH
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802424002362
दिनांक	03-10-2018
पंजीयन शुल्क ₹	10350
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	51750
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	10350
कुल योग	72750

201801424002965
 Sale Deed (Conveyance Deed)

RAMGARH

उप पंजीयक, JAMVA
 उप पंजीयक
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर



:: 3 ::

उपपंजीयक जमवारामगढ के पंजीयन कार्यालय में पुस्तक संख्या संख्या 168 में पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 201803424102227 पर दिनांक 07.10.2018 को पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता को उपरोक्त सम्पत्ति आज तक हर प्रकार के भार रहना विक्रय, कुर्की, जमानत, ऋण आदि के भार से सर्वथा मुक्त है। जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष (विक्रेता) को भली भाँति प्राप्त हैं।

अब प्रथमपक्ष (विक्रेता) को अपने घरेलु कार्यवश रूपयो की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने अपनी उक्त ग्राम तन घाटाजलधारी, पटवार मण्डल बासना, तहसील जमवारामगढ, में स्थित भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, भूमि अर्थात् आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि कुल रकबा 0.2500 हैक्टेयर (अर्थात् कुल 2500 वर्गमीटर भूमि) है सम्पूर्ण के हक मालिकाना, हक अधिकार को बिना रखे किसी अंश व भाग के सम्पूर्ण को बएवज मुबलिंग रूपया 10,35,000/-रु अक्षरे दस लाख पैंतीस हजार रूपयो में मय बोल, सोल, बोर, घास, फूस, पानी, पुला, वृक्षादी के द्वितीयपक्ष (क्रेता) रवि सूर्या डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान जरिए अधिकृत प्रतिनिधि सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश लुहाडिया, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति जैन, निवासी वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के हित में सर्वथा विक्रय कर दिया है तथा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितीयपक्ष क्रेता से निम्न प्रकार से प्राप्त कर लिये हैं -

प्राप्त राशि	चैक/डी.डी. नम्बर	बैंक का नाम
5,35,000 /-रु.	634420	मालवीय अरबन कॉ-आपरेटिव बैंक
5,00,000 /-रु.	634421	मालवीय अरबन कॉ-आपरेटिव बैंक Ravi Surya Developers Private Ltd



Signature

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री BANWARILAL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री CHUNNILAL, व्यवसाय Business जाति BAIRWA House No.:K-47, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: Jaipur, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 26 Signature:
2	श्री/श्रीमती/सुश्री RAVI SURYA DEVELOPERS PVT LTD THRO AUOTHOIRISED PERSION/SUBIT LUHADIYA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SURESH LUHADIYA, व्यवसाय Business जाति JAIN House No.:K-47, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: Jaipur, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 40 Signature:

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1035000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1035000/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री DHARMRAJ, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMPARTAP DEEWAN जाति RAIGAR Age: 33 Add: House No.:0, Colony: MAJAPURA, Area: jamwa Ramgarh, City: JAIPUR, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature:
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Ganesh, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री kanaram जाति Dhobi Age: 42 Add: House No.:0, Colony: K-47 Himmat Nagar , Area: Gopalpura By pass, City: JAIPUR, Pin code: 303108, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature:

201801424002965

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH
उप पंजीयक
जमवारामाद, जिला-जयपुर



:: 4 ::

इस प्रकार विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने द्वितीयपक्ष (क्रेता) से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिये हैं। जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष (विक्रेता) द्वारा इस विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करते हुए रूबरू निम्न गवाहान के स्वीकार है, तथा उक्त विक्रय सम्पत्ति का कब्जा उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) को भौतिक रूप से करा दिया है। अब द्वितीयपक्ष (क्रेता) से प्रथमपक्ष (विक्रेता) का विक्रय सम्पत्ति बाबत कोई लेन देन शेष नहीं रहा है, कि जिसके बारे में प्रथमपक्ष (विक्रेता) का कोई भी हक वारिसाना कभी भी कोई आपत्ति नहीं करेगा, यदि उनकी आपत्ति से या प्रथमपक्ष (विक्रेता) के हक हकूक की कमी से विक्रय भूमि का कोई हिस्सा या कुल भाग उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) से छिन जावेगा या निकल जावेगा तो मुल्य का चुकती रूपया मय हर्जा-खर्चा प्रथमपक्ष (विक्रेता) की अन्य चल-अचल सम्पत्ति से जरिए अदालत द्वितीयपक्ष (क्रेता) को एक मुश्त प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यह कि, अब विक्रय सम्पत्ति का उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) जरिए विक्रयपत्र अपने नाम से राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण प्रमाणित कराकर हक खातेदारी प्राप्त कर लेवे। यदि इसमें प्रथमपक्ष (विक्रेता) के हस्ताक्षरो व बयानों आदि की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष (विक्रेता) के द्वारा सहर्ष सहयोग किया जावेगा। विक्रय सम्पत्ति पर सरकारी अर्धसरकारी, भू-राजस्व व जन साधारण की कोई बकाया बाकी नहीं है, यदि आज से पूर्व की कोई बकाया बाकी होगी तो उसका चुकारा प्रथमपक्ष (विक्रेता) स्वयं के द्वारा किया जावेगा।

यह कि, आज से पूर्व उक्त विक्रय सम्पत्ति बाबत प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने किसी भी संस्था या व्यक्ति के हित में कोई भी ईकरार-नामा, वसीयत-नामा, बरखीस-नामा, मुख्तार-नामा, विक्रयपत्र जमानत नामा, बन्धकपत्र, इत्यादी नहीं किया है, यदि आज से पूर्व विक्रय सम्पत्ति के बाबत किसी प्रकार की उक्त लिखा-पढी निकलेगी तो उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया प्रथमपक्ष (विक्रेता)की होगी एवं ऐसी सूरत में द्वितीयपक्ष (क्रेता) को प्रथमपक्ष (विक्रेता) के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।



Ravi Surya Developers Private Limited
5
Authorised Signatory





Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 1035000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 517500 प्रमाणित की गई है। पंजीयन शुल्क रु 10350, सरचार्ज राशि 10350 कुल रु 72450 रसीद संख्या 201802424002362 दिनांक 03-10-2018 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 517500 की मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801424002965

Sale Deed (Conveyance Deed)


उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH
जमवाराभागड़, जिला-जयपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 168 में पृष्ठ संख्या 80 क्रम संख्या 201801424102230 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 671 के पृष्ठ संख्या 141 से 146 पर चलाया गया।

201801424002965

Sale Deed (Conveyance Deed)


उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH
जमवाराभागड़, जिला-जयपुर




:: 5 ::

यह कि, द्वितीयपक्ष क्रेता को अधिकार प्राप्त हो गया है कि उक्त वर्णित सम्पत्ति को अपने उपयोग-उपभोग में लेवें, राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवावें, समस्त प्रकार के उपयोग उपभोग, निर्माण, विका, ताम्बूरत, जिलादि करवाते हुए कॉलोनी विकसित करके उक्त सम्पत्ति को एक साथ या टुकड़ों में रहन, विक्रय हस्तान्तरण कर समस्त प्रकार के लाभ व फायदे प्राप्त करने का अधिकार द्वितीयपक्ष क्रेता को रहेगा, तथा इसको किसी भी प्रकार से रहन, विक्रय बरिखाश, जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से हस्तान्तरित कर लाभ एवं फायदे अर्जित करें।


यह कि, अब विक्रय सम्पत्ति से प्रथमपक्ष (विक्रेता) तथा प्रथमपक्ष (विक्रेता) के किसी भी वारिसान, स्थानापन्न, अन्य पड़ोसी खातेदारान या कोई अन्य दीगर का किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है तथा ना ही अब आज के बाद प्रथमपक्ष (विक्रेता) तथा प्रथमपक्ष (विक्रेता) के कोई भी वारिसान विक्रय की गई भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई मालकाना हक जतायेगे, यदि ऐसी उपरोक्त कार्यवाही किसी भी दीगर व्यक्ति या प्रथमपक्ष (विक्रेता) के किसी सम्बन्धि द्वारा जतायी जायेगी तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष (विक्रेता) की स्वयं की होगी। अब भविष्य में लगान उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) जमा कराकर विक्रय भूमि से मय बोल, सोल, पानी, पूला, वृक्षादि, आदि से हर प्रकार का लाभ प्राप्त करता रहे, कि जिसके समस्त स्वामित्व द्वितीयपक्ष (क्रेता) को पूर्णतया प्राप्त हो चुके है कि जिससे अब प्रथमपक्ष (विक्रेता) का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है न भविष्य में रहेगा। इस विक्रय पत्र में कुल खर्चा उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) का हुआ है। यह है कि विक्रय भूमि मंदिरमाफी, बेरी आयोग, नदी नाले या स्थगन से प्रभावित नहीं है, यदि होगी तो इसकी जिम्मेदारी प्रथमपक्ष (विक्रेता) की होगी।


यह कि, विक्रय सम्पत्ति मुख्य डामर रोड से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।



.....6
Ravi Surya Developers Private Ltd

Authorised Signatory


जय पंजीयक
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर



:: 6 ::

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने अपनी स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में पढा सुनकर व सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव के उक्त द्वितियपक्ष (क्रेता) के हित में ग्रीन पेपर किता लिखवाकर लिपीबद्ध करा दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति । नोट :- फोटो प्रति भविष्य में अस्पष्ट या अपठित पाई गई तो पंजीयन एवं मुद्राक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (विक्रेता) :-



Ravi Surya Developers Private Ltd

हस्ताक्षर द्वितियपक्ष (क्रेता) :-

पेन नम्बर


Authorized Signatory

हस्ताक्षर साक्षी :-1

(धर्मराज दीवान पुत्र श्री रामप्रताप दीवान आयु 33 वर्ष, जाति रैगर निवासी ग्राम माजीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।)

हस्ताक्षर साक्षी :-2

(गणेश पुत्र श्री रामाराम, आयु 42 वर्ष, जाति धौबी, निवासी के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।)



(Drafted by US As per record & Direction Given By Executants & Claimant.)

पुष्पेन्द्र शर्मा

एडवोकेट

राजस्थान उच्च न्यायालय

P_H_01426-252172, 9829047037, 9829297468

E-mail - pushpendrashrm@gmail.com

जमवारामगढ, जिला-जयपुर



374/1

22
22

रजिस्ट्रार

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 03-10-2018 4:35



Fee Receipt No	: 201802424002364	Receipt Date	: 03/10/2018
Name	: RAVI SURYA DEVELOPERS PVT. LTD. THRO AUTHORISED PERSION SUMIT LIHA	Document S. No.	: 201802424002364
Address	: K-47 ,HIMMAT NAGAR ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 560700	Evaluated Value	: ₹ 560583
Ord-Registration Fee	: ₹ 5607	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 5608	Stamp Duty	: ₹
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 28035
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 39550
		Total Amount	: ₹ 39550

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Grav Challan 25554688 ₹ 39550


Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

पंजीयक

3



॥ श्री ॥

॥ विकय-पत्र ॥

यह विकयपत्र आज दिनांक 03-10-2018 को हेमराज पुत्र कानजी, आयु लगभग 28 वर्ष, जाति धौबी, निवासी के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान जिन्हे इस विकय-पत्र में यहां "प्रथमपक्ष विकेता" तथा

हेमराज



Ravi Surya Developers Private Ltd2

Authorized Signatory

उप पत्तीयक
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर



:: 2 ::



आगे "प्रथमपक्ष" के शब्द से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द में विक्रेता स्वयं एवं प्रथमपक्ष के समस्त उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, पारिवारिक सदस्य, वारीसान आदि सभी सम्मिलित समझे जावेगें) की ओर से :- रवि सूर्या डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान जरिए अधिकृत प्रतिनिधि सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश लुहाडिया, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति जैन, निवासी वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान जिन्हे इस विक्रय पत्र में यहां "द्वितीयपक्ष केता" तथा आगे "द्वितीयपक्ष" के शब्द से सम्बोधित किया गया है, (जिस शब्द में द्वितीयपक्ष केता स्वयं एवं समिति के, समस्त, पदाधिकारीगण, निदेशक, सचिव, हितबद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आदि सभी सम्मिलित समझे जावेगें) के हित में निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील किया जाता है :-

जो कि ग्राम तन घाटाजलधारी, पटवार मण्डल बासना, तहसील जमवारामगढ में भूमि आराजी खसरा नम्बर 374/1 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से स्थित हैं, जो कि राजस्व रिकार्ड मे प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वयं के नाम दर्ज थी, उक्त भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ (औधोगिक प्रयोजनार्थ) हेतू रूपान्तरण के लिए आवेदन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय जमवारामगढ में पेश किया गया था, जिस पर उक्त भूमि कुल 2200 वर्गमीटर भूमि के औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुल्क राशि 31,333/-रु. जरिए चालान नम्बर 266 दिनांक 23 अगस्त 2018 को जमा राजकोष में होने पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, जमवारामगढ, जिला जयपुर के द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/2535 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा औधोगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर दिया गया है। इसके पश्चात उक्त भूमि कुल क्षेत्रफल 2200 वर्गमीटर भूमि के सम्परिवर्तन आदेश का पंजीयन कार्यालय

Surya Developers Private Ltd.

Authorised Signatory

रवि सूर्या

Presentation Endorsement

आज दिनांक 03 माह 10 सन् 2018 को 04:32 PM बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री HEMRAJ पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KANJI
 उम्र 28 वर्ष, जाति DHOBI, व्यवसाय Business
 निवासी House No.:K-47, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: JAIPUR,
 City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State:
 RAJASTHAN

ने सेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
 201801424002967
 Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
 JAMVA RAMGARH

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802424002364
दिनांक	03-10-2018
पंजीयन शुल्क ₹	5607
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	28035
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	5608
कुल योग	39550

201801424002967

Sale Deed (Conveyance Deed)

RAMGARH

उप पंजीयक, JAMVA

उप पंजीयक
 जमवाराकास, जिला-जयपुर



:: 3 ::

उपपंजीयक जमवारामगढ के पंजीयन कार्यालय में पुस्तक संख्या 01 लि. जिल्ला स्थान जिला जयपुर संख्या 168 में पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या 201803424102225 पर दिनांक

10.2018 को पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता की उपरोक्त सम्पत्ति आज तक हर प्रकार के भार रहने, विक्रय, कुर्की, जमानत, ऋण आदि के भार से सर्वथा मुक्त है। जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष (विक्रेता) को भली भांति प्राप्त है।

अब प्रथमपक्ष (विक्रेता) को अपने घरेलु कार्यवश रूपयो की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने अपनी उक्त ग्राम तन घाटाजलधारी, पटवार मण्डल बासना, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 374/1 रकबा 0.2200 हैक्टेयर अर्थात् 2200 वर्गमीटर भूमि अर्थात् उक्त खसरा नम्बर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि कुल रकबा 0.2200 हैक्टेयर (अर्थात् कुल 2200 वर्गमीटर भूमि) है सम्पूर्ण के हक मालिकाना, हक अधिकार को बिना रखे किसी अंश व भाग के सम्पूर्ण को बएवज मुबलिग रूपया 5,60,700/-रु अक्षरे पांच लाख साठ हजार सात सौ रूपयो में मय बोल, सोल, बोर, घास, फूस, पानी, पुला, वृक्षादी के द्वितीयपक्ष (क्रेता) रवि सूर्या डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान जरिए अधिकृत प्रतिनिधि सुमित लुहाडिया पुत्र श्री सुरेश लुहाडिया, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति जैन, निवासी वसुन्धरा कॉलोनी, टॉक रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान के हित में सर्वथा विक्रय कर दिया है तथा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितीयपक्ष क्रेता से निम्न प्रकार से प्राप्त कर लिये हैं -

प्राप्त राशि	चैक/डी.डी. नम्बर	बैंक का नाम
5,60,700/-रु.	634422	मालवीय अरबन कॉ-आपरेटिव बैंक

Ravi Surya Developers Private Ltd

Authorised Signatory

.....4



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री HEMRAJ, पुत्र/पुत्री/पति श्री KANJI, व्यवसाय Businessजाति DHOBI House No.:K-47, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 28 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री RAVI SURYA DEVELOPERS PVT LTD. THRO AUTHORISED PERSONS SUMIT LIHADIYA, पुत्र/पुत्री/पति श्री SURESH LUHANIYA, व्यवसाय Businessजाति JAIN House No.:K-47, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 40 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 560700/- पूर्व में / मेरे द्वारा / में से रु 560700/- पूर्व में _____ ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।


उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न प्रकृतियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री DHARMAJI, पुत्र/पुत्री/पति श्री RAMPARTAP जाति RAIGAR Age: 33 Add: House No.:0, Colony: MAJIPURA, Area: jamwa Ramgarh, City: JAIPUR, Pin code: 303002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Ganesh, पुत्र/पुत्री/पति श्री KANJI जाति DHOBI Age: 42 Add: House No.:K-47, Colony: HIMMAT NAGAR, Area: JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201801424002967

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप प्रमाणिक, JAMVA
RAMGARH
उप प्रमाणिक
जमवा रामपुर, जिला-जयपुर



:: 4 ::



इस प्रकार विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितीयपक्ष क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिये हैं। जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष विक्रेता द्वारा इस विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करते हुए रूबरू निम्न दो गवाहान के स्वीकार है, तथा उक्त विक्रय सम्पत्ति का कब्जा उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) को भौतिक रूप से करा दिया है। अब द्वितीयपक्ष (क्रेता) से प्रथमपक्ष (विक्रेता) का विक्रय सम्पत्ति बाबत कोई लेन देन शेष नहीं रहा हैं, कि जिसके बारे में प्रथमपक्ष (विक्रेता) का कोई भी हक वारिसाना कभी भी कोई आपत्ति नहीं करेगा, यदि उनकी आपत्ति से या प्रथमपक्ष (विक्रेता) के हक हकूक की कमी से विक्रय भूमि का कोई हिस्सा या कुल भाग उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) से छिन जावेगा या निकल जावेगा तो मुल्य का चुकती रूपया मय हर्जा-खर्च प्रथमपक्ष (विक्रेता) की अन्य चल-अचल सम्पत्ति से जरिए अदालत द्वितीयपक्ष (क्रेता) को एक मुश्त प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यह कि, अब विक्रय सम्पत्ति का उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) जरिए विक्रयपत्र अपने नाम से राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण प्रमाणित कराकर हक खातेदारी प्राप्त कर लेवे। यदि इसमे प्रथमपक्ष (विक्रेता) के हस्ताक्षरो व बयानों आदि की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष (विक्रेता) के द्वारा सहर्ष सहयोग किया जावेगा। विक्रय सम्पत्ति पर सरकारी अर्धसरकारी, भू-राजस्व व जन साधारण की कोई बकाया बाकी नहीं हैं, यदि आज से पूर्व की कोई बकाया बाकी होगी तो उसका चुकारा प्रथमपक्ष (विक्रेता) स्वयं के द्वारा किया जावेगा।

यह कि, आज से पूर्व उक्त विक्रय सम्पत्ति बाबत प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने किसी भी संस्था या व्यक्ति के हित में कोई भी ईकरार-नामा, वसीयत-नामा, बख्शीस-नामा, मुख्तार-नामा, विक्रयपत्र जमानत नामा, बन्धकपत्र, इत्यादी नहीं किया हैं, यदि आज से पूर्व विक्रय सम्पत्ति के बाबत किसी प्रकार की उक्त लिखा-पढी निकलेगी तो उसकी जिम्मेदारी पूर्णतया प्रथमपक्ष (विक्रेता)की होगी एवं ऐसी सूरत में द्वितीयपक्ष (क्रेता) को प्रथमपक्ष (विक्रेता) के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

RAVI Surya Developers Private Ltd

Authorized Signatory

३१२७१





Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मूल्यत रु 560700 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 28035 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 5607, सरकारी राशि 5608 कुल रु 39250 रसीद संख्या 201802424002364 दिनांक 03/10/2018 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 28035 की मुद्रांक पर निष्पादित माना जाता है।

201801424002967

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA
RAMGARH

उप पंजीयक
जमवारा मगढ़, जिला-जयपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/10/2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 168 में पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 201803424102232 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 571 के पृष्ठ संख्या 153 से 158 पर बरसाद किया गया।

201801424002967

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAMVA RAMGARH

उप पंजीयक
जमवारा मगढ़, जिला-जयपुर



:: 5 ::



यह कि, द्वितीयपक्ष क्रेता को अधिकार प्राप्त हो गया है कि, उक्त सम्पत्ति को अपने उपयोग-उपभोग में लेवें, राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवावें, समस्त प्रकार के उपयोग उपभोग, निर्माण, विका, तामीरात आदि करवाते हुए कॉलोनी विकसित करके उक्त सम्पत्ति को एक साथ या टुकड़ों में रहन, विक्रय हस्तान्तरण कर समस्त प्रकार के लाभ व फायदे प्राप्त करने का अधिकार द्वितीयपक्ष क्रेता को रहेगा, तथा इसको किसी भी प्रकार से रहन, विक्रय बख्शिाश, जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से हस्तान्तरित कर लाभ एवं फायदे अर्जित करें।

यह कि, अब विक्रय सम्पत्ति से प्रथमपक्ष (विक्रेता) तथा प्रथमपक्ष (विक्रेता) के किसी भी वारिसान, स्थानापन्न, अन्य पड़ोसी खातेदारान या कोई अन्य दीगर का किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है तथा ना ही अब आज के बाद प्रथमपक्ष (विक्रेता) तथा प्रथमपक्ष (विक्रेता) के कोई भी वारिसान विक्रय की गई भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई, मालकाना हक जतायेगे, यदि ऐसी उपरोक्त कार्यवाही किसी भी दीगर व्यक्ति या प्रथमपक्ष (विक्रेता) के किसी सम्बन्धि द्वारा जतायी जायेगी तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष (विक्रेता) की स्वयं की होगी। अब भविष्य में लगान उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) जमा कराकर विक्रय भूमि से मय बोल, सोल, पानी, पूला, वृक्षादि, आदि से हर प्रकार का लाभ प्राप्त करता रहे, कि जिसके समस्त स्वामित्व द्वितीयपक्ष (क्रेता) को पूर्णतया प्राप्त हो चुके है कि जिससे अब प्रथमपक्ष (विक्रेता) का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है न भविष्य में रहेगा। इस विक्रय पत्र में कुल खर्चा उक्त द्वितीयपक्ष (क्रेता) का हुआ है। यह है कि विक्रय भूमि मंदिरमाफी, बेरी आयोग, नदी नाले या स्थगन से प्रभावित नहीं है, यदि होगी तो इसकी जिम्मेदारी प्रथमपक्ष (विक्रेता) की होगी।

यह कि, विक्रय सम्पत्ति मुख्य डामर रोड से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

Ravi Surya Developers Private Ltd

६४२१८१



Authorized Signatory6

उप पञ्जीयक
जयपुर, जिला-जयपुर



:: 6 ::

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष (विक्रेता) ने अपनी स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में पढा सुनकर व सोच समझकर बिना किसी मजबूत व जोर दबाव के उक्त द्वितियपक्ष (क्रेता) के हित में ग्रीन पेपर किता लिखवाकर लिपीबद्ध करा दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति । नोट :- फोटो प्रति भविष्य में अस्पष्ट या अपठित पाई गई तो पंजीयन एवं मुद्राक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (विक्रेता)

Ravi Surya Developers Private Ltd

Authorised Signatory

हस्ताक्षर द्वितियपक्ष (क्रेता) :-

पेन नम्बर

हस्ताक्षर साक्षी :-1

(धर्मराज दीवान पुत्र श्री रामप्रताप दीवान आयु 33 वर्ष, जाति रैगर निवासी ग्राम माजीपुरा, तहसील जम्बरारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।)

हस्ताक्षर साक्षी :-2

(गणेश पुत्र श्री कानाराम, आयु 42 वर्ष, जाति धौबी, निवासी के-47, हिम्मत नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।)



(Drafted by US As per record & Direction Given By Executants & Claimant)

पुष्पेन्द्र शर्मा

एडवोकेट

राजस्थान उच्च न्यायालय

P_H_01426-252172, 9829047037, 9829297468

E-mail - pushpendrashrm@gmail.com

पुष्पेन्द्र शर्मा

राजस्थान उच्च न्यायालय



Handwritten notes and scribbles in the top right corner, including the number '5' and some illegible characters.

361/2

प्रारूप 'ब'
देखिये नियम 9(3) (4) और (6)
कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर

दिनांक

क्रमांक / संपरिवर्तन / 2016 /

संपरिवर्तन आदेश

श्री हेमराज पुत्र काना जाति धोबी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी ग्राम घाटाजलधारी में अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री हेमराज पुत्र काना जाति धोबी निवासी के. 47 हिम्मत नगर जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) धोबी।
अ	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:- ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 361 रकबा 0.95 हैक्टे.
स	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे0 या व0मी0में)	ख.नं 361 रकबा 0.95 में से 0.25 हैक्टे अर्थात 2500 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी का 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर से
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 137 दिनांक 13.06.2016 राशि 23592 / (अक्षरे तेबीस हजार पांच सौ बानवे रुपये मात्र)।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	- NIL-
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	-NIL-
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	- NIL-
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो।	- NIL-



2

प्रमाणित

कृते प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा

कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

तहसीलदार, जमवारामगढ
जिला-जयपुर

(2)

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.2009 की पालना सुनिश्चित की जावे।
9. संपरिवर्तन की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जावेगा।
10. आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा एवं जब भी उक्त क्षेत्र शहरी/स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जावेगा।
11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(ज्ञानचन्द जैमना)
तहसीलदार जमवारामगढ़
तहसीलदार
जिला-जयपुर
जमवारामगढ़ (जयपुर)

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/ 437

दिनांक 17/6/2016

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़।
- 3 ग्राम पंचायत बासना।
- 4 पटवारी हल्का बासना को आदेश की पालनार्थ।
- 5 श्री हेमराज पुत्र कान्त जति-धोबी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर।
- 6 गार्ड फाईल।



कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

(ज्ञानचन्द जैमना)
तहसीलदार जमवारामगढ़
तहसीलदार
जिला-जयपुर
जमवारामगढ़ (जयपुर)


मांक / संपरिवर्तन / 2018 / 1201

दिनांक 14/07/16

संपरिवर्तन आदेश

श्री हेमराज पुत्र कानाराम जाति घोषी निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री हेमराज पुत्र कानाराम जाति घोषी निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	अनुसूचित जाति
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	घाटाजलधारी जमवारामगढ
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	खसरा नम्बर 381 रकबा 0.95 हैक्टेयर में से 5000वर्गमीटर
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 381 रकबा 0.95 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर आवासीय ईकाई रूपान्तरण
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै. या व.मी. में)	
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5. संदेय प्रीमियम की दर	477350 का 7.5 प्रतिशत
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	218 दिनांक 01 जुलाई, 2016 राशि 70774 रुपये (अक्षरों सत्तर हजार सात सौ चोहत्तर रुपये मात्र)
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	NII
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	NII
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	NII
10. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो।	NII



प्रमाणित-प्रतिलिपि

कृते प्रभार अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
उपखण्ड कार्यालय, जयपुर

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- 1 उपयुक्त अकृषक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 2 यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।
- 3 नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 5 राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निरुत्क राज्य पथ में छोड़ी जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 6 राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी, यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 7 स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
- 8 राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8 (8)राज-6/92पार्ट/21 दिनांक 27.08.09 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 9 संपरिवर्तन की गई भूमि का लैआउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जायेगा।
- 10 आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के संबंध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा ए2पडे2 भी उक्त क्षेत्र शहरी /स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जायेगा।
- 11 आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की पश्चिमी में तथा डिप्पी स्थित हो तो डिप्पी की सीमा से 50 मीटर की पश्चिमी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।


 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड
 मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़
 दिनांक.....11/10/16

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/...../12.10.2016
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़।
- 3 ग्राम पंचायत- बासना
- 4 श्री हेमराज पुत्र कानाराम जाति घोषी निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
- 5 गार्ड फाईल।



प्रमाणित-प्रतिलिपि
 कृते प्रभारी अधिकारी
 प्रतिलिपि शाखा
 कलेक्टर कार्यालय, जयपुर


 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड
 मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3) (4) और (6)
कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर

369/2

क्रमांक / संपरिवर्तन / 2016 /

दिनांक

संपरिवर्तन आदेश

श्री गणेश लाल पुत्र कानाराम जाति धोबी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी ग्राम घाटाजलधारी में अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री गणेश लाल पुत्र कानाराम जाति धोबी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) धोबी।
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:-	
अ	ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 369 रकबा 1.06 हैक्टे.
स	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै0 या वर्गमी0में)	ख.नं. 369 रकबा 1.06 में से 0.25 हैक्टे अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी का 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर से
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 136 दिनांक 13.06.2016 राशि 23592 / (अक्षरे तेबीस हजार पांच सौ बानवे रुपये मात्र)।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	- NIL-
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	- NIL-
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के आधीन जारी किया गया है।	- NIL-
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो।	- NIL-



प्रमाणित प्रतिलिपि

कृते प्रमाणित प्रतिलिपि

कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

तहसीलदार, जमवारामगढ
जिला-जयपुर

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.2009 की पालना सुनिश्चित की जावे।
9. संपरिवर्तन की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जावेगा।
10. आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा एवं जब भी उक्त क्षेत्र शहरी/स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जावेगा।
11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(ज्ञानचन्द जैमन)

तहसीलदार

जमवारामगढ़ (जयपुर)
जिला-जयपुर

दिनांक

17/6/2011

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/444

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।


2 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जगवारामगढ़।

3 ग्राम पंचायत बासना।

4 पटवारी हल्का बासना को आदेश की पालनार्थ।

5 श्री गणेश लाल पुत्र कानासूरी जाति धोबी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर

6 मॉडर्न फाईल।



प्रमाणित प्रतिलिपि

कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

तहसीलदार
जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रारूप " ब " 369/3
देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/.....1275

दिनांक.....14/7/16

संपरिवर्तन आदेश

श्री गणेश लाल पुत्र कानाराम जाति धोबी निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का, राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।


1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री गणेश लाल पुत्र कानाराम जाति धोबी निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	अनुसूचित जाति
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	घाटाजलधारी जमवारामगढ
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	खसरा नम्बर 369 रकबा 1.08 हैक्टेयर में से 5000वर्गमीटर
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 369 रकबा 1.08 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर आवासीय ईकाई रूपान्तरण
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै. या व.मी. में)	
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5. संदेय प्रीमियम की दर	477350 का 7.5 प्रतिशत
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	217 दिनांक 01 जुलाई, 2016 राशि 70774 रुपये (अक्षरों सत्तर हजार सात सौ चोहत्तर रुपये मात्र)
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	NII
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	NII
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	NII
10. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो।	NII



प्रमाणित
कृते प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कार्यालय, जयपुर

369/3

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
 - 1 उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - 2 यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
 - 3 नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - 4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - 5 राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
 - 6 राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी, यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग सं अनुमति लेनी होगी।
 - 7 स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
 - 8 राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (6)राज-6/92पार्ट/21 दिनांक 27.06.09 की पालना सुनिश्चित की जावे।
 - 9 संपरिवर्तन की गई भूमि का लेआउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जावेगा।
 - 10 आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के संबंध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा ए2पउ2 भी उक्त क्षेत्र शहरी /स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जायेगा।
 - 11 आवेदित भूमि में से यदि पेट्रोल उत्पाद पाईप लाईन गुंजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।


 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड
 मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ
 दिनांक.....


क्रमांक / संपरिवर्तन / 2016 /

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत- बासना
- 4 श्री गणेश लाल पुत्र कानाराम जाति घोबी निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
- 5 गार्ड फाईल।



प्रमाणित प्रतिलिपि
 कृते प्रभाषी अधिकारी
 प्रतिलिपि शाखा
 जिलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर


 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड
 मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ

प्रारूप 4
 देखिये नियम 9(3) (4) और (6)
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जयपुर

16/3/16

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री गणेश लाल धोबी जाति धोबी नि. के 47 हिम्मत नगर जयपुर में आवेदन पर ग्राम घाटाजलधारी में उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का संपरिवर्तन भूमि (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 09(3) व अधिन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी प्रतिक्रिया नीचे दी गई है।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री गणेश लाल धोबी नि. के 47 हिम्मत नगर जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) धोबी
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा--	
अ	ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बाराणा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 371 रकबा 0.39 हैक्ट.
स	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करती हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टैर या वर्गमीटरमें)	ख.नं 371 रकबा 0.39 हैक्टै अर्थात् 3900 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय
5	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी का 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर के लिए
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 490 दिनांक 14.03.2016 राशि रु. 1000 (अक्षर पचपन हजार दो सौ तीन रुपये मात्र)
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	NIL
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	NIL
9	क्या आदेश निवृत्त/कर्म के लिए नियम 13 के अन्तर्गत जारी किया गया है	NIL
10	अन्य विशेषताएं यदि कोई हो	NIL




प्रमाणित
 कृते प्रभारी अधिकारी
 प्रतिलिपि शाखा
 उपखण्ड कार्यालय, जयपुर

200

(2)

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-
 1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।
 3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
 6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति ली जायेगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक विभाग द्वारा अनुमति लेनी होगी।
 7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
 8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.2009 की परतना सुनिश्चित की जाये।
 9. संपरिवर्तन की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन एवं इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जायेगा।
 10. आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा एवं जब भी उक्त क्षेत्र शहरी/स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जायेगा।
 11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रोल उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार को अधिलेखन दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।


 जिला अधिकारी
 संपरिवर्तन अधिकारी
 जमवारामगढ़ (जयपुर)

दिनांक


क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/

प्रतिलिपि- सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़।
- 3 ग्राम पदायत बासना।
- 5 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री गणेश जलु धावी जात बासना नि. के 47 डिपो जयपुर।
- 6 गाडें फाईल।



प्रतिलिपि-प्रतिलिपि



sd-
 जिला अधिकारी
 संपरिवर्तन अधिकारी
 जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3) (4) और (6)
कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर

दिनांक 28/3/16

क्रमांक / संपरिवर्तन / 2016 / 247

संपरिवर्तन आदेश

श्री राधेश्याम पुत्र भौरीलाल, सुशीला पुत्री भौरीलाल, काली उर्फ सुमित्रा पुत्री भौरीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम घाटाजलधारी तहसील, जमवारामगढ जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री राधेश्याम पुत्र भौरीलाल, सुशीला पुत्री भौरीलाल, काली उर्फ सुमित्रा पुत्री भौरीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) बलाई।
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:- ग्राम/ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 371/1 रकबा 0.20 हैक्टे.
स	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे0 या व0मी0में)	ख.नं 371/1 रकबा 0.20 हैक्टे अर्थात 2000 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी का 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर से
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 595 दिनांक 22.03.2016 राशि 18873 / (अक्षरे अठारह हजार आठ सौ तेहत्तर रुपये मात्र)।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	NIL
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	NIL
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के आधीन जारी किया गया है।	- NIL
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो।	- NIL



प्रमाणित

कृते प्रमाणित

प्रतिनिधि शाखा

कलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर

तहसीलदार
जमवारामगढ, जयपुर

(2)

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
 3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
 6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
 8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.2009 की पालना सुनिश्चित की जावे।
 9. संपरिवर्तन की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जावेगा।
 10. आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा एवं जब भी उक्त क्षेत्र शहरी/स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जावेगा।
 11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रोल उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(ज्ञानचन्द जैमन)

तहसीलदार
जमवारामगढ़ (जयपुर)

दिनांक 28/3/16

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/248-252

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़।
- 3 ग्राम पंचायत बासना।
- 4 पटवारी हल्का बासना को आदेश की पालनार्थ।
- 5 श्री राधेश्याम पुत्र भौरीलाल, सुशीला पुत्री भौरीलाल, काली उर्फ सुमित्रा पुत्री भौरीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
- 6 गार्ड फाईल।



प्रमाणित-लिपि

जयपुर

कलेक्टर कार्यालय

(ज्ञानचन्द जैमन)

तहसीलदार
जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रारूप " ब "
 देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जनवारामगढ जयपुर

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/1653

दिनांक 15/9/16

संपरिवर्तन आदेश

पूजा पुत्री सायर जाति बैरवा निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियों नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	पूजा पुत्री सायर जाति बैरवा निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	अनुसूचित जाति
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	घाटाजलधारी जनवारामगढ ग्राम पंचायत बासना खसरा नम्बर 372/2 रकबा 0.75 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	आवासीय प्रयोजनार्थ।
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	572810 का 7.5 प्रतिशत.
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै. या व.मी. में)	237 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 राशि 84927 रुपये (अक्षरें चौरासी हजार नौ सौ सताईस रुपये मात्र)
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	Nil
5. संदेय प्रीमियम की दर	Nil
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	Nil
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	Nil
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	Nil
10. अन्य विशिष्टियों यदि कोई हो।	




प्रमाणित-
20

कृते प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा

कलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश विनियमित शर्तों के अधीन होगा :-
1. उपर्युक्त संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपूर्णा हो सकेगा।
 3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विनियमित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. राज्य मार्ग पर राज्य रोड बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
 6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी, यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संश्लेषण सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
 8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (6)राज-6/92पार्ट/21 दिनांक 27.06.09 की पालना सुनिश्चित की जावे।
 9. संपरिवर्तन की गई भूमि का लेआउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जायेगा।
 10. आवासीय प्रयोजन स्थापित करने के संबंध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा ए2पउ2 भी उक्त क्षेत्र शहरी /स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी /स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जायेगा।
 11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
 12. आवेदित भूमि को 300 वर्गमीटर समर्पण भूमि का राजस्व रिकार्ड में सिवायचक (गैर मुमकिन रास्ता) दर्ज करवाया जावे।



 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
 जमवारामगढ़
 दिनांक... 15/5/16

क्रमांक / संपरिवर्तन / 2016 / ... 1654-58
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़।
3. ग्राम पंचायत- वासना
4. पूजा पुत्री सद्गुरु जाति दैरवा निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
5. गार्ड फाईल।



प्रमाणित प्रतिलिपि
 कृते प्रभारी अधिकारी
 प्रतिलिपि शाखा
 कलेक्टर कार्यालय, जयपुर


 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
 जमवारामगढ़

कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर

दिनांक 27/07/2016

नांक/संपरिवर्तन/2016/501

संपरिवर्तन आदेश

पूजा देवी पुत्री सायर जाति बैरवा निवासी के 47 हिममत नगर जयपुर में आदेशन के तहत खातेदारी ग्राम घाटाजलधारी में अभिधाति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान गृ-राजस्य (ग्रामीण शत्रा न कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो क लिए संपरिवर्तन) नियम,2007 क अधीन अकृषि प्रयाजन क लिए इसक द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	पूजा देवी पुत्री सायर जाति बैरवा निवासी के 47 हिममत नगर जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) बैरवा,
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा- अ) ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब)	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख नं 372/2 रकबा 0.75 हैक्ट.
स)	प्रत्येक खसरा संख्या क क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै0 या व0मी0में)	ख नं 372/2 रकबा 0.75 हैक्ट. म स 0.25 हैक्ट. अर्थात 2500 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5	सदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी का 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर स
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 221 दिनांक 25.07.2016 राशि 28309/ (अक्षरे अटाईस हजार तीन सौ नो रुपये मात्र)।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	- NIL -
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	-NIL-
9	क्या आदेश नियमितकरण क लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	NIL
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो।	- NIL -



प्रमाणित -

कृते प्रमाणित

प्रतिलिपि साखा

कलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर

तहसीलदार

तहसील-जमवारामगढ (जयपुर)

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने के तुरन्त बाद से 5 वर्षों के अन्दर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमन्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियाँ एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निमांण करवाया जा सकेगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.2009 की पालना सुनिश्चित की जावे।
9. संपरिवर्तन की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जायेगा।
10. आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत इहेरसस सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा एवं जब भी उक्त क्षेत्र शहरी/स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जावेगा।
11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निमांण कार्य नहीं किया जायेगा।

(ज्ञानचन्द्र जैन)

तहसीलदार

तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)

दिनांक 27/7/2016

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/ 502-507

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़।
- 3 श्रीमान उप पंजीयक जमवारामगढ़/आंधी।
- 4 ग्राम पंचायत बासना।
- 5 पटवारी हल्का बासना को आदेश की पालनार्थ।
- 6 पूजा देवी पुत्री सायर जाति वैरवा निवासी के. 47 हिम्मत नगर, जयपुर।
- 7 गार्ड फाईल।



प्रमाणित

कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

(ज्ञानचन्द्र जैन)

तहसीलदार

तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रकार्य " ब "
 देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/1665

दिनांक 15/9/16

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमति सुशीला देवी पत्नि गिरधारी जाति बलाई निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्रीमति सुशीला देवी पत्नि गिरधारी जाति बलाई निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर अनुसूचित जाति
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	अनुसूचित जाति
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	घाटाजलधारी जमवारामगढ ग्राम पंचायत बासना खसरा नम्बर 372/3 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से 4900 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे. या व.मी. में)	आवासीय प्रयोजनार्थ। 572810 का 7.5 प्रतिशत
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	236 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 राशि 83228 रुपये (अक्षरें तियासी हजार दो सो अठाईस रुपये मात्र)
5. संदेय प्रीमियम की दर	Nil
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	Nil
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	Nil
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	Nil
10. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो।	




प्रमाणित -

कृते प्रभारी अधिकारी
प्रतिनिधि आर्य

कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- 1 उपयुक्त अकृषक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - 2 यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
 - 3 नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - 4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - 5 राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
 - 6 राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी, यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 - 7 स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
 - 8 राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (6)राज-6/92पार्ट/21 दिनांक 27.06.09 की पालना सुनिश्चित की जावे।
 - 9 संपरिवर्तन की गई भूमि का लेआउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जावेगा।
 - 10 आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के संबंध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा ए2पउ2 भी उक्त क्षेत्र शहरी /स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जायेगा।
 - 11 आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
 - 12 आवेदित भूमि के 300 वर्गमीटर समर्पण भूमि का राजस्व रिकार्ड में सिवायचक (गैर मुमकिन रास्ता) दर्ज करवाया जावे।


 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

जमवारामगढ
 दिनांक 15/5/16

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/1666-70

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


- 1 श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत- बासना
- 4 श्रीमति सुशीला देवी पत्नि गिरधारी जाति बलाई निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
- 5 गार्ड फाइल।



प्रमाणित

कृते प्रभा
 प्रतिलिपि शाखा

मजिस्ट्रेट कार्यालय, जयपुर


 (इन्द्रजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
 जमवारामगढ

प्रस्ताव व
देखिये नियम 9(3) (4) और (6)
कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर

क्रमांक / संपरिवर्तन / 2016 / 493

दिनांक 27/7/2016

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमती सुशीला पत्नी गिरधारी जाति बलाई निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी ग्राम घाटाजलधारी में अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अफृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्रीमती सुशीला पत्नी गिरधारी जाति बलाई निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) बलाई।
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:-	
अ	ग्राम/ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 372/3 रकबा 0.75 हैक्टे.
स	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे0 या वर्गमी0में)	ख.नं 372/3 रकबा 0.74 हैक्टे में से 0.25 हैक्टे अर्थात 2500 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5	सदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी का 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर से
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 223 दिनांक 25.07.2016 राशि 28309 / (अक्षरें जटाईस हजार तीन सौ नौ रुपये मात्र)।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	- NIL -
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	- NIL -
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के आधीन जारी किया गया है।	- NIL
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो	- NIL



प्रमाणित -
कृते प्रमाणित -
प्रतिनिधि शाखा
कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

तहसीलदार

तहसील-जमवारामगढ (जयपुर)

(2)

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समग्रपूहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता वाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.2009 की पालना सुनिश्चित की जावे।
9. संपरिवर्तन की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जायेगा।
10. आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत हिरसा सुविधा क्षेत्र के रूप में छांड़ा जावेगा एवं जब भी उक्त क्षेत्र शहरी/स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जावेगा।
11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

तहसीलदार (जमन)
तहसील-जमवारामगढ़ (जयपुर)


जमवारामगढ़ (जयपुर)

दिनांक 27/7/2016

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/494-500

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़।
3. श्रीमान उप पंजीयक जमवारामगढ़/आंधी।
4. ग्राम पंचायत बासना।
5. पटवारी हल्का बासना को आदेश की पालनार्थ।
6. श्रीमती सुशीला पत्नी गिरधारी जाति बलाई निवासी के. 47 हिम्मत नगर जयपुर।
7. गार्ड फाईल।



प्रमाणित

(Signature)

2

तहसीलदार
(जमन)
तहसील-जमवारामगढ़ (जयपुर)
तहसीलदार
जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रारूप " ब "
देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

सं.क्र./संपरिवर्तन/2016/1659

दिनांक 15/9/16

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि रमेश कुमार जाति बलाई निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है।

- 1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै. या व.मी. में)
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन
5. संदेय प्रीमियम की दर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।
10. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो।

श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि रमेश कुमार जाति बलाई निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर अनुसूचित जाति
घाटाजलधारी जमवारामगढ
ग्राम पंचायत बासना
खसरा नम्बर 372/4 रकबा 0.75 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर का आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ
आवासीय
572810 का 7.5 प्रतिशत
238 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 राशि 84927 रुपये (अक्षरों चौरासी हजार नो सो सताईस रुपये मात्र)
Nil
Nil
Nil
Nil



Handwritten signature of the District Collector.

प्रमाणित- प्रतिलिपि
जुते प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कार्यालय उपखण्ड, जयपुर

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- 1 उपयुक्त अकृषक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 2 यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
- 3 नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 5 राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जावेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- 6 राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी, यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग सं अनुमति लेनी होगी।
- 7 स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
- 8 राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (6)राज-6/92पार्ट/21 दिनांक 27.06.09 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 9 संपरिवर्तन की गई भूमि का लेआउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जावेगा।
- 10 आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के संबंध में 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा ए2पउ2 भी उक्त क्षेत्र शहरी /स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय को स्वतः स्थान्तरित हो जायेगा।
- 11 आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 12 आवेदित भूमि के 300 वर्गमीटर समर्पण भूमि का राजस्व रिकार्ड में सिवायचक (गैर मुमकिन रास्ता) दर्ज करवाया जावें।

(इन्द्रजीत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ
दिनांक.....15/9/16

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/...1660-64

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत- बासना
- 4 श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि रमेश कुमार जाति बलाई निवासी के 47, हिम्मत नगर जयपुर
- 5 गार्ड फाईल।



प्रमाणित-प्रतिलिपि

कृते प्रमारी अधिकारी

प्रतिलिपि शाखा

मजिस्ट्रेट कार्यालय, जयपुर

(इन्द्रजीत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/

प्रारूप 'ब'
द्वितीय नियम 9(3), (4) और (6)
कार्यालय तहसीलदार जमवारामगढ़, जयपुर

दिनांक

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी रमेश कुमार जाति बलाई निवासी के. 47 हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी ग्राम घाटाजलधारी में अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी रमेश कुमार जाति बलाई निवासी के. 47 हिम्मत नगर जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) बलाई।
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:-	
अ	ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत वासना, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
ब	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 372/4 रकबा 0.75 हेक्टर.
स	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टैर या वर्गमीटर)	ख.नं 372/4 रकबा 0.75 हेक्टर में से 0.25 हेक्टर अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय ईकाई
5	सदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी का 5 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की दर से
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 222 दिनांक 25.07.2016 राशि 28309 / (अक्षरे अट्ठाईस हजार तीन सौ नौ रुपये मात्र)।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	- NIL-
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	-NIL-
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	- NIL-
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हैं।	- NIL-



प्रमाणित

कुंठे प्रशासक जयपुर

प्रतिलिपि शाखा

कम्यूट कार्यालय, जयपुर

(2)

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा --

1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राज्य मार्ग पर इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
7. स्थानीय निकाय की उक्त विधियों एवं मापदण्डों के अनुसार ही आवासीय प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा सकेगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.2009 की पालना सुनिश्चित की जावे।
9. संपरिवर्तन की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जायेगा।
10. आवासीय प्रयोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 40 प्रादेशिक हिरसा सुविधा क्षेत्र के रूप में छाड़ा जायेगा एवं जब भी उक्त क्षेत्र शहरी/स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आयेगा, शहरी/स्थानीय निकाय का स्वतः स्थान्तरित हो जायेगा।
11. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(ज्ञानचन्द जैन)

तहसीलदार

तहसील जमवारा जयपुर (जयपुर)

दिनांक 27/7/16

क्रमांक/संपरिवर्तन/2016/ 509-515

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारा मगड।
- 3 श्रीमान उप पंजीयक जमवारा मगड/आंधी।
- 4 ग्राम पंचायत बासना।
- 5 पटवारी हल्का बासना को आदेश की पालनार्थ।
- 6 श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी रमेश कुमार जाति बलोई निवासी क 47 हिम्मत नगर जयपुर।
- 7 मगड कार्ड।



(ज्ञानचन्द जैन)

तहसीलदार

तहसील जमवारा जयपुर (जयपुर)

प्रारूप " ब " देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

क्रमांक / संपरिवर्तन / 2018 / 2923

दिनांक 28/8/18

संपरिवर्तन आदेश

श्री बोदू, गणेश, रामचन्द्र पुत्र श्री रेवड, घीसी पत्नि रेवड, सुमाष, राजकुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामधन, पिंकी पुत्री रामधन, भुगली पत्नि रामधन, अरुण, सचिन पुत्र शिम्मू, मीना पत्नि शिम्मू, रोशन लाल पुत्र प्यारेलाल समस्त जाति बलाई निवासी घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, बनवारी पुत्र चुन्नीलाल, निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) विनियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री बोदू, गणेश, रामचन्द्र पुत्र श्री रेवड, घीसी पत्नि रेवड, सुमाष, राजकुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामधन, पिंकी पुत्री रामधन, भुगली पत्नि रामधन, अरुण, सचिन पुत्र शिम्मू, मीना पत्नि शिम्मू, रोशन लाल पुत्र प्यारेलाल समस्त जाति बलाई निवासी घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, बनवारी पुत्र चुन्नीलाल, निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर।
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	
अ.	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी ग्राम पंचायत बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब.	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 373 रकबा 0.69 हैक्टेयर
स.	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै. या व. मी. में)	खसरा नम्बर 373 में से 6900 वर्गमीटर
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ।
5.	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी 515529/- का 5 प्रतिशत
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	चालान संख्या 268 दिनांक 23 अगस्त, 2018 राशि 45000 रुपये व चालान संख्या 269 दिनांक 23 अगस्त, 2018 राशि 36815 रुपये कुल 81815 रुपये (अक्षरें इक्यासी हजार आठ सौ पन्द्रह रुपये मात्र)
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	चालान संख्या 268 व 269 में विनिमितिकरण शुल्क राशि 11496 रुपये (अक्षरें ग्यारह हजार चार सौ छियान्वे रुपये मात्र)
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	Nil
10.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो।	Nil



प्रमाणित-प्रतिलिपि

कृत जमवारामगढ अधिकारी प्रतिलिपि शाखा

कलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा :-
- 1 उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - 2 यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहेगा है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपूहृत हो जायेगा।
 - 3 नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - 4 लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - 5 प्रस्तावित औद्योगिक प्रयोजना से निकलने वाले प्रदूषित पानी/वेस्ट मेटेरियल को किसी भी जलाशय एवं नदी/नालों में डाला जाना प्रतिबन्धित रहेगा।
 - 6 आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
 - 7 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार सुओमोटो संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी एवं रामगढ सुओमोटो प्रकरण संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम दिशा निर्देश के तहत उक्त सहमति प्रभावी होगी।
 - 8 आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना नहीं किये जाने पर या अवहेलना करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ
जमवारामगढ

दिनांक 28.12.18

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/2524-27
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत- बासना।
- 4 श्री बोद्ध गणेश, रामचन्द्र पुत्र श्री रेवड, घीसी पत्नि रेवड, सुभाष, राजकुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामधन, पिकी पुत्री रामधन, भुगली पत्नि रामधन, अरुण, सचिन पुत्र शिम्मू मीना पत्नि शिम्मू रोशन-लाल पुत्र प्यारेलाल समस्त जाति बलाई निवासी घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, बनवारी पुत्र चुन्नीलाल, निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर।
- 5 गार्ड फाईल।



प्रमाणित
कृत प्रमाण अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ
जमवारामगढ

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3) (4) और (6)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर
दिनांक 19/7/18
क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/ 1711

संपरिवर्तन आदेश

श्री हेमराज पुत्र कानाजी जाति घोडी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री हेमराज पुत्र कानाजी जाति घोडी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां (अ.जा.) घोडी।
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:-	
अ	ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी, ग्राम पंचायत बासणा, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
ब	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 373/1 रकबा 0.37 हेक्टे.
स	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे० या वर्गमी०में)	ख.नं 373/1 रकबा 0.37 हेक्टे.. अर्थात् 3700 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तन की गई।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी 515529/का 5 प्रतिशत
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 250 दिनांक 18.07.2018 राशि 37876/ (अक्षरों सैंतीस हजार आठ सौ छिहत्तर रुपये मात्र)।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	चालान सं. 250 में राशि 168/रु विनिमितिकरण शुल्क शामिल है।
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	- NIL-
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	हां
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो।	- NIL-



प्रमाणित
कृते प्रमारी अधिकारी
प्रतिनिधि जमवारामगढ़

जयपुर

अधिकारी
जमवारामगढ़

(2)

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर हो जायेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूछत हो जायेगा।
3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिवान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. आदेशित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
6. अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार व सुओ मोटो केस संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी एवं समगढ़ सुओमोटो प्रकरण संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम दिशा-निर्देश के तहत उक्त सहमति प्रभावी होगी।
7. आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना नहीं किये जाने पर या अवहेलना करने पर उक्त आदेश निरस्त समझा जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार मोना)
 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ़ (जयपुर)

दिनांक 19/7/18

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/ 1712-1717

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़।
3. उप पंजीयक जमवारामगढ़।
- 4 ग्राम पंचायत बासणा
- 5 श्री हेमराज पुत्र कानाजी जाति धोबी निवासी के 47 हिम्मत नगर जयपुर।
- 6 गार्ड फाईल।



प्रमाणित:-

(Signature)


उक्त प्रमाण अधिकारी
 प्रतिलिपि माथा
 कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

(नरेन्द्र कुमार मोना)
 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/.....2830.....

संपरिवर्तन आदेश



श्री बनवारी लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति बैरवा निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति बैरवा निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर।
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	
अ.	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी ग्राम पंचायत बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
ब.	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 374 रकबा 0.25 हेक्टेयर
स.	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे. या व.मी. में)	खसरा नम्बर 374 में से 2500 वर्गमीटर
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ।
5.	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी 515529/- का 7.5 प्रतिशत
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	267 दिनांक 23 अगस्त, 2018 राशि 38217 रुपये (अठ्ठारें अठतीस हजार दो सो सतरहा रुपये मात्र)
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	Nil
10.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हों।	Nil



प्रमुख अधिकारी
कृषि प्रभारी अधिकारी
सिलिपि शाखा
कार्यालय जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Authorised Signatory

11. उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अन्वये होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
6. अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार सुओमोटो संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी एवं रामगढ सुओमोटो प्रकरण संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम दिशा निर्देश के तहत उक्त सहमति प्रभावी होगी।
7. आवेदक द्वारा उक्त आदेश की पूर्ण पालना नहीं किये जाने पर या अवहेलना करने पर उक्त आदेश स्वयं ही निरस्त माना जावेगा।



(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ

दिनांक 28/8/18

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/ 2831-24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ।
3. ग्राम पंचायत- बासना।
4. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति बैरवा निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर
5. गार्ड फाईल।



प्रमाणित प्रतिलिपि

कृते प्रभासी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कलेक्टर कार्यालय, जयपुर

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ

प्रारूप " ब "
 देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/ 2535

दिनांक 28/5/18

संपरिवर्तन आदेश

श्री हेमराज पुत्र श्री कानाजी, जाति घोबी, निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियों नीचे दी गई है।

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री हेमराज पुत्र श्री कानाजी, जाति घोबी, निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	
अ.	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी ग्राम पंचायत बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब.	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 374/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर
स.	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टे. या व.मी. में)	खसरा नम्बर 374/1 में से 2200 वर्गमीटर
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ।
5.	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी 515529/- का 5 प्रतिशत
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	चालान संख्या 266 दिनांक 23 अगस्त, 2018 राशि 31333 रुपये (अक्षरें इक्कीस हजार तीन सो तेतीस रुपये मात्र)
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	चालान संख्या 266 में विनिमितिकरण शुल्क राशि 8912 रुपये (अक्षरें आठ हजार नौ सो बारह रुपये मात्र)
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	Nil
10.	अन्य विशिष्टियों यदि कोई हो।	Nil



प्रमाणित-प्रमाणित

कृते प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि शाखा

उपखण्ड कार्यालय, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
1. उपयुक्त अकृषक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी को, पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपृहत हो जायेगा।
 3. नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 5. प्रस्तावित औद्योगिक प्रयोजना से निकलने वाले प्रदूषित पानी/वेस्ट मेटेरियल को किसी भी जलाशय एवं नदी/नालों में डाला जाना प्रतिवन्धित रहेगा।
 6. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
 7. अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार सुओमोटो संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी एवं रामगढ़ सुओमोटो प्रकरण संख्या 11153/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम दिशा निर्देश के तहत उक्त सहमति प्रभावी होगी।
 8. आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना नहीं किये जाने पर या अवहेलना करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

(चरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, जमवारा मगद

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/.....2536.39
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक.....28.8.18

1. श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील जमवारा मगद।
3. ग्राम पंचायत- बासना।
4. श्री हेमराज पुत्र श्री कानाजी, जाति धोबी, निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर
5. गार्ड फाईल।



प्रमाणित-
कृते प्रमाणित-
प्रतिलिपि शाखा
कलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, जमवारा मगद

प्रारूप " व "
 देखिये नियम 9 (3) (4) और (6)
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/3334

दिनांक 20/11/2018

संपरिवर्तन आदेश

श्री बनवारी लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति वैरवा हिस्सा 1561/3360, हेमराज पुत्र कानाराम जाति घोबी हिस्सा 459/3360 निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर, धर्मराज दीवान पुत्र रामप्रताप दीवान जाति रैगर हिस्सा 1340/3360 निवासी माजीपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 09 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है।

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति वैरवा हिस्सा 1561/3360, हेमराज पुत्र कानाराम जाति घोबी हिस्सा 459/3360 निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर, धर्मराज दीवान पुत्र रामप्रताप दीवान जाति रैगर हिस्सा 1340/3360 निवासी माजीपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ?	हां, अनुसूचित जाति
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-	
अ.	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम घाटाजलधारी ग्राम पंचायत बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
ब.	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 375 रकबा 0.3360 हेक्टेयर
स.	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टै. या व.मी. में)	खसरा नम्बर 375 रकबा 3360 वर्गमीटर
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ।
5.	संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी 515529/- का 5 प्रतिशत
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	326 दिनांक 02 नवम्बर, 2018 राशि 34243 रुपये (अक्षरों चौतीस हजार दो सो तियालीस रुपये मात्र)
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा कराई गई रकम।	Nil
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के आधीन जारी किया गया है। अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो।	Nil



प्रमाणित -

कृते प्रमारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा

कलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

- 2 यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित तथा प्रयोजन के लिए का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूहृत हो जायेगा।
- 3 नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 4 लोकप्रयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 5 आवेदित भूमि में से यदि पेड़ो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो की सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 6 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार सुओमोटो संख्या 11163/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी एवं रामगढ़ सुओमोटो प्रकरण संख्या 11163/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम दिशा निर्देश के तहत उक्त सहमति प्रभावी होगी।
- 7 आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना नहीं किये जाने पर या अवहेलना करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।



 (मुकेश कुमार) अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
 जिला जयपुर।
 दिनांक 20/11/2018

क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/3365-69
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर।
- 2 तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़।
- 3 ग्राम पंचायत- बासना।
- 4 श्री बनवारी लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति बैरवा, हेमराज पुत्र कानाराम जाति धोबी निवासी के, 47, हिम्मत नगर जयपुर, धर्मराज दीवान पुत्र रामप्रताप दीवान जाति रैगर निवासी माजीपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
- 5 गार्ड फाईल।


 (मुकेश कुमार) अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
 जिला जयपुर।



प्रमाणित

 कृते प्रभारी अधिकारी
 प्रतिलिपि शाखा
 कलेक्टर, जयपुर



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- घाटाजलधारी
पटवार हल्का :- बासना
भू.अभि.नि. :- भानपुर कलां
तहसील :- जमवारागढ़
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076-2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 198
खाता संख्या पुराना :- 186

काश्तकार का नाम:-

1. रवि सूर्या डवलपर्स प्रा. लि. जयपुर हिस्सा- पूर्ण ऑफिस के-47 हिम्मत नगर जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
361/2	0.2600	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.2600			स्वीकृत नामान्तरकरण : 4 17/06/2022 शुद्धिपत्र
361/3	0.4900	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.4900			स्वीकृत नामान्तरकरण : 380 21/06/2022 रूपान्तरकरण
369/2	0.2500	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.2500			
369/3	0.5000	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.5000			
371 ✓	0.3900	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.3900			
371/1 ✓	0.2000	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.2000			
372/2	0.7500	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.7500			
372/3	0.7400	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.7400			
372/4	0.7500	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.7500			
373	0.6900	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.6900			
373/1	0.3700	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.3700			
374 ✓	0.2500	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.2500			
374/1 ✓	0.2200	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.2200			
375	0.3360	रिसोर्ट(पर्यटन ईकाई)	0.3360			
कुल खसरे - 14	6.1960		6.1960			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 30-May-2025

NIG

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(परतलिफि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : जयपुर

तहसील : जमवारा मगढ़

दिनांक : 30/05/2025 11:01:46 AM

पटवारी हल्का : बासना

ग्राम : घाटाजलधारी

भू. अ. नं. क्षेत्र :

भानपुर कलां


पैमाना 1000



खसरा संख्या : 361/2 क्षेत्रफल : 0.2600 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

पैमाना 1000



खसरा संख्या : 361/3 क्षेत्रफल : 0.4900 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

पैमाना 2000



खसरा संख्या : 369/2 क्षेत्रफल : 0.2500 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :


पैमाना 4000



खसरा संख्या : 369/3 क्षेत्रफल : 0.5000 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :


पैमाना 2000



खसरा संख्या : 371 क्षेत्रफल : 0.3900 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :


पैमाना 1000



खसरा संख्या : 371/1 क्षेत्रफल : 0.2000 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

पैमाना 2000



खसरा संख्या : 372/2 क्षेत्रफल : 0.7500 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :


पैमाना 2000



खसरा संख्या : 372/3 क्षेत्रफल : 0.7400 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

पैमाना 2000



खसरा संख्या : 372/4 क्षेत्रफल : 0.7500 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :


पैमाना 2000



खसरा संख्या : 373 क्षेत्रफल : 0.6900 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

पैमाना 1000



खसरा संख्या : 373/1 क्षेत्रफल : 0.3700 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

पैमाना 2000



खसरा संख्या : 374 क्षेत्रफल : 0.2500 Hectare खाता संख्या : 198पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतलिपि)


NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 30/05/2025 11:01:46 AM

जिला : जयपुर
पटवारी हल्का : बासनातहसील : जमवारामगढ़
ग्राम : घाटाजलधारी

भू. अ. नं. क्षेत्र : भानपुर कलां


पैमाना 1000



खसरा संख्या : 374/1 क्षेत्रफल : 0.2200 Hectare खाता संख्या : 198 पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

पैमाना 2000



खसरा संख्या : 375 क्षेत्रफल : 0.3360 Hectare खाता संख्या : 198 पुराना खाता संख्या : 186

भूमि किसिम [क्षेत्रफल लगान] :

1.) रवी सूर्या डवलपरस प्रा. लि. जयपुर हसिंसा- पूरण ऑफिसि के-47 हमिमत नगर जयपुर खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रारंभी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रवर्धितियों में संशोधन/सत्यापन प्रतलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

11



न्यायालय का नाम... राजस्थान हाथ
 मु.नं./पसल सं... R.I.B.L 2025
 तारीख फैसला/पेशी... 28/11/2018
 उन्मान... श्री.कृ.गोविंद... अभय पत्र की रीकड
 प्रमाणित प्रतिलिपि... सुप्रीम पंजावली

प्रभारी अधिकारी
 प्रतिलिपि शाखा
 कलेक्टर कार्यालय
 जयपुर



5674

1. प्रथम पत्र का राजस्टर न. व मर... 2-3/1/25
2. प्रथम पत्र प्राप्त होने की तिथि... 2-3/1/25
3. पृष्ठों की संख्या... 56
4. प्रतिलिपि तैयारी की तिथि का मरक... 56
5. शॉर्टी-रटेड कपी तैयार करने वाले... 56+56
6. प्रतिलिपि देने की तिथि... 24/1/25
7. प्रतिलिपि तैयार होने की तिथि... 24/1/25
8. प्रार्थी को नॉटिस देने की तिथि... 24/1/25



Company Master Data

CIN	U45201RJ2010PTC033332
Company Name	RAVI SURYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
ROC Code	RoC-Jaipur
Registration Number	033332
Company Category	Company limited by Shares
Company SubCategory	Non-govt company
Class of Company	Private
Authorised Capital(Rs)	100000
Paid up Capital(Rs)	100000
Number of Members(Applicable in case of company without Share Capital)	0
Date of Incorporation	15/11/2010
Registered Address	PLOT NO. E-172A, GROUND FLOOR, UTTAM TOWER RAMESH MARG, C- SCHEME JAIPUR Jaipur RJ 302001 IN
Address other than R/o where all or any books of account and papers are maintained	-
Email Id	ravisuryadevelopers@ravisuryagroup.com
Whether Listed or not	Unlisted
ACTIVE compliance	ACTIVE compliant
Suspended at stock exchange	-
Date of last AGM	30/09/2022
Date of Balance Sheet	31/03/2022
Company Status(for e filing)	Active

Charges

Assets under charge	Charge Amount	Date of Creation	Date of Modification	Status
Immovable property or any interest therein	68000000	09/12/2019	-	OPEN
Motor Vehicle (Hypothecation)	1684386	28/10/2021	-	OPEN
	1105681	02/09/2022	-	Open
	1205681	31/08/2022	-	Open

Directors/Signatory Details

DIN/PAN	Name	Begin date	End date	Surrendered DIN
00139655	SUSHILA DEVI PARIHAR	29/05/2018	-	
00158121	RAVINDRA PRATAP SINGH PARIHAR	15/11/2010	-	
00158187	SHWETA PRATAP SINGH	15/11/2010	-	
03072191	GANESH KUMAR	03/04/2013	-	
03072251	KANTA DEVI	03/04/2013	-	
08939229	UDAI GARWA	03/04/2013	-	
08939256	BANWARI LAL BAIRWA	03/04/2013	-	
08939261	DHARMRAJ DIWAN	03/04/2013	-	

5/27/23, 12:32 PM

Company Master Data

08946782	HEMRAJ DHOBI	03/04/2013	-
09409152	SANYA PRATAP SINGH	23/05/2023	-
10119095	SURYA PRATAP SINGH	23/05/2023	-

ZONAL MASTER PLAN
OF
ECO SENSITIVE ZONE
OF
JAMWA RAMGARH
WILD LIFE SANCTUARY
JAIPUR RAJASTHAN

PREFACE

The key objectives of this study are to create a Zonal Master Plan of Eco-Sensitive Zone of Jamwa Ramgarh, advise development regulations, and suggest proposals to mitigate negative environmental effects. The Zonal Master Plan of Eco-Sensitive Zone of Jamwa Ramgarh addresses all the key development issues, including land-use, infrastructure, and transportation, with a primary focus on ecology, environment, and wildlife. The Zonal Master Plan includes tourism plan including studies to analyse the current conditions of various significant tourist destinations, their current situation and infrastructure availability, tourism statistics, environmental issues, and identification of potential tourism sites, as well as the creation of facilities for overall improvement of tourism footfall and tourism sites. The records will make it easier to determine the historical significance and heritage value of potential tourist destinations.

The primary aim of declaring any area as an eco-sensitive zone is to establish a buffer zone or transition zone in order to safeguard the wildlife sanctuary's ecosystem and to enhance both the biotic environment of the sanctuary and the buffer zone surrounding it. As a result, it's important to identify the numerous factors that contribute to environmental deterioration and provide solutions.

The zonal master plan focuses on the biological and environmental issues of the Jamwa Ramgarh ESZ. In addition, it focuses on an analysis of the present situation in order to comprehend and implement the necessary action to protect and regulate the ecological environment and natural resources of the ESZ region.

The Zonal Master Plan also places a strong emphasis on the potential expansion of ecotourism and prescribes zoning and development control standards in accordance with the Gazetted Notification by government of India), for sustainable tourist activities and the notification of eco-sensitive zones.

ACKNOWLEDGEMENTS

In Process of planned development of Jamwa Ramgarh Eco-Sensitive Area, we would like to thank all the distinguished public representative, citizens, and departments concerned, who helped us with the formulation of the project and who dedicated their valuable time for providing information and guide in the preparation of this project report.

We express our special gratitude to Shri Shikhar Agarwal, Additional Chief Secretary (Department of Environment and Climate Change, Govt. of Rajasthan), District Forest Officer, Deputy Conservator of Forest (Wildlife) Jaipur, Director Tourism and Commissioner DOIT&C, who supported us for preparation of Zonal Mater plan of District Forest Officer, Deputy Conservator of Forest (Wildlife) Jaipur, Dr. Nand Kumar, Associate Professor, Malaviya National Institute of Technology, Jaipur who guided us from time to time.

We thank all those officers and officials who supported us directly or indirectly in formulation of this Zonal Master Plan report. The data received from primary surveys was gathered from citizens and we also thank them for the same. We hope that this document will act as a guide to improve the environment not only in wild life sanctuary but also of eco sensitive zone and help to promote sustainable tourism. At the end we hope that in future all the stakeholders will help in implementation of Zonal Master Plan of ESZ area.

Dr. Monali Sen
Director and Joint Secretary

CHAPTER -1

1.0 Introduction	6-21
1.1 Name and Location	06
1.2 Boundary Description of Eco-Sensitive Zone.	06
1.3 Approach and Means of communications	07
1.4 Distribution and Area	07
1.4.1 Total Forest area under Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary	07
1.5 Geology, Rock And Soil	08
1.5.1 : Minerals	
1.5.1.1 Copper	
1.5.1.2 China Clay	
1.5.1.3 Silica Sand	
1.6 Climate	09
1.6.1 Season	
1.6.2 Temperature	
1.6.3 Rainfall	
1.6.4 Dew	
1.6.5 Winds	
1.6.6 Frost	
1.7 Places of Tourist and Religious Importance	10
1.8 Past history of wildlife management	11
1.9 Ecological Classification of vegetation types	13
1.10 Composition and condition of the Forest	14
1.10.1 Miscellaneous Forests: Along Nallahs	
1.10.2 Other Miscellaneous Forest	
1.10.3 Bamboo Forests	
1.10.4 Tropical levels or Formation Types	
1.10.4.1 Wood level	
1.10.4.2 Scrub level	
1.10.4.3 Field Level	
1.10.4.4 Ground Level	
1.11 Heterotrophs	16
1.11.1 Primary Heterotrophs	
1.11.2 Secondary Heterotrophs	
1.11.3 Scavengers	
1.11.4 Birds	
1.12 FACTORS AND INFLUENCE	18

- 1.12.1 Range conditions
- 1.12.2 Welfare Factor
 - 1.12.2.1 Food
- 1.12.3 Shelter
- 1.12.4 Limiting Factors
- 1.12.5 Hunting and Poaching
- 1.12.6 Forest Fires
- 1.13 Villages coming under the Eco-Sensitive Zone of the Jamwa Ramgarh Sanctuary
 - 1.13.1 Challenges to Tourism & Wildlife
 - 1.13.2 Management and Governance Issues
 - 1.13.2.1 Poaching Issues
 - 1.13.2.2 Soil Conservation, Water Harvesting, and Combating with Drought Conditions
 - 1.13.2.3 Felling of Trees

CHAPTER 2

2.0 Eco-Sensitive Zone Notification 22-27

2.1 Boundary Description of Eco-Sensitive Zone.

2.2 Activities Prohibited Within Eco-Sensitive Zone.

2.3 Activities to Be Regulated Within Eco-Sensitive Zone

2.4 Activities to Be Promoted Within Eco-Sensitive Zone

2.5 Monitoring Committee: -

CHAPTER 3

28-42

3.1 Overview

3.2 Landuses as Per Prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur and Allowed Activities in Jamwa Ramgarh ESZ

3.2.1 Prohibited Activities

3.2.2 Regulated Activities

3.2.3 Promoted Activities

3.3 Provision of Jamwa Ramgarh ESZ Notification & Prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur

3.4 Existing Activity/Use

3.5 Proposed Landuses in Jamwa Ramgarh ESZ as Per Prevailing Zonal Development Plan of Jaipur

3.6 Provision of Zoning Regulations of Prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur

3.7 Building Parameters for Grant of Approval

3.8 Environmental Clearance from State Environment Impact Assessment Committee or MOEF&CC

CHAPTER 4	
4.0 TOURISM PLAN FOR JAMWA RAMGARH ESZ	43-54
4.1 Places of Tourist and Religious Importance	43
4.2 Tourism Resources	44
4.3 Tourism Trends	44
4.4 Eco-Tourism	45
4.4.1 Definitions	
4.4.2 Importance of Eco-Tourism	
4.4.3 Objectives	
4.4.4 Methodology	
4.4.5 Scope of Eco-Tourism	
4.4.6 Tourism or Eco-Tourism (As per Gazette Notification of Jamwaramgh ESZ)	
4.4.7 Other Forms of Eco-Tourism	
4.5 Tourism Proposals of ESZ	49
4.5.1 Tourism Strategy	
4.5.2 Development Proposals	

CHAPTER-I

1.0 Introduction

1.1 Name and Location

The forest areas of Jamwa Ramgarh Wild Life Sanctuary and its adjoining areas, both together constitute the Jamwa Ramgarh Wild Life Sanctuary. The sanctuary lies in the civil district of Jaipur of Rajasthan and located in the oldest hill ranges of the Aravalli's spreading over the tract starting from Mount Abu and culminating at the Delhi ridge.

The Sanctuary lies on Jaipur-Alwar route via Jamwa Ramgarh village at a distance of 40 Kms. from Jaipur. It is a part and extension of Sariska Tiger Reserve. State Government declared the area as Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary vide its notification F11/19/raj/8/01 dated 31- 5-1982.

The Central Government notified an area to an extent of from 100 meter to 1 KM around the boundary of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary in the district of Jaipur in the State of Rajasthan as the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone vide it's notification S.O. 6212 (E) dated 14.12.2018. The area of Eco-Sensitive Zone is 77.56 square KM.

1.2 Boundary Description of Eco-Sensitive Zone.

East-Southern Boundary: The Eastern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone starts from the boundary of forest block Degota-61 and Kanikhori-62 southern point, It is 100 meters away from this point is village Sankara. The Eco-sensitive Zone boundary is 100 meters away from Sanctuary boundary in the villages Patalwas, blarwami, Kharad, Rampura, Ghoreth, Raipur, asthal ka bass, Bandi (arunda) Khawa, Paladi Khurd, Kharkada, Paladi Kalan Goth Paladi, Sarjoli, Buj, Manota, Dodalungar Sanctuary boundary.

South-Western Boundary: The South boundary of Eco-sensitive Zone starts from one kilometer away from village boundary of Dodadungar, Rampura, Dhani Arajshala. From there to village Dipola, the Eco-sensitive Zone shall be 100- 200 meters from the forest boundary, and then excluding dhani Seera, Eco-sensitive Zone will be 100 meters from Sanctuary boundary. from Jamwaramgarh to Rawla talab. From there to village Narpatiyawas, Chugalpuriya. Keliana Pali, Bisori, Nangal Tulsidas, Ghata jaldhari, Basana,

Todameena the Eco-sensitive Zone shall be one kilometer away from Sanctuary boundary.

West-Northern Boundary: Eco-sensitive Zone from village Todameena to BhavgarhGodiana, Samred Khand, Raisar, Jojarala shall be one kilometer from the Sanctuary boundary. From there, Village Luneta mining area, the Eco-sensitive zone boundary shall be 100 meters in nearly two kilometers distance. From there village Bahlod. Jaisinghpura, Chilpali. Kela ka baas, the forest boundary Pillar number 118. Eco-sensitive Zone shall be one kilometer from the Sanctuary boundary.

North-Eastern Boundary: From village kela Ka has to starting point of forest block Degota-61 which is in district Alwar, Eco-sensitive Zone shall be 500 meters from Sanctuary boundary

1.3 Approach and Means of communications

The nearest township and railway station is Jaipur situated at a distance of 40kms (S.E.) from the core area of the Sanctuary. Nearest airport is Jaipur. There are regular buses plying Jaipur to Jamwa Ramgarh.

1.4 Distribution and Area

The total area of the tract is 300 Sq.Km including 233.71 Sq.Km. of the notified forest land and 66.29 Sq.Km of adjoining Revenue area. For administrative purpose area of the sanctuary has been divided into three ranges Raisar&Jamwa Ramgarh & part of Ajabgarh.The area of Eco-SensitiveZone is 77.56 square KM.

1.4.2 Total Forest area under Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary

Total area of Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary is 300Sq. km out of which the Revenue and Forest area details are as follows:

S. No	Forest Block	Type of land	Area Ha.	Total Villages
1	KaniKhorNo. 62	Reserved	1266	7
2	KaniKhorNo. 62A	Reserved	260	4
3	Bamanwati No. 63	Reserved	2846	10
4	BamanwatiNo. 63A	Reserved	792	3
5	JamwamataMaotaNo. 64	Reserved	5495	15
6	PahadiRamgarh 68	Reserved	2820	14

7	PahadiRamgarh 68A	Reserved	415	2
8	PahadiDevitala 69 Main	Reserved	2055	8
9	PahadiDevitalaNo. 69A	Reserved	51	1
10	PahadiDevitalaNo. 69B	Reserved	85	2
11	Godiyana 72	Reserved	363	2
12	Godiyana 12A	Reserved	298	3
13	BavadyaPahadi 74	Reserved	63	2
14	Badi Lain Degota	Reserved	6558	0
	Total Forest Area		23367	86
	Revenue Land within notified sanctuary		6629	
	Total Area		30000	

1.5 Geology, Rock And Soil

Major part of the area is occupied by rocks of the Delhi system and Aravalli system comprising of quartzite, conglomerates, grits, limestone, phyllites, granites and schist. Evidence of lava conglomerates is also occasionally met with. Soil differs depending on the underlying rock. These ancient crystalline and metamorphic rocks with gneisses and schist etc. are generally covered by red sandy soils; Red soils are generally poor in nitrogen, Phosphorus and humus contents and are alkaline in nature.

There are comparatively rich, fertile and dark coloured soils in plains and river valleys. The soils resulting from the weathering of schistose rocks vary from sandy to heavy loam depending upon the amount of quartzite present in the parent rocks.

1.5.1 : Minerals

The area has several important mineral deposits, namely copper, China clay, Silica sand, Iron stone calcite etc.

1.5.1.1 Copper

The Geological survey on India has investigated the location of copper are deposits in this division after a series of experiments. The forest block of Gol-Bad-Shahpur belonging to Ajabgarh series is one of the sites of copper are deposit. Dhaulaghati Godiyana is another site. The forest blocks of Ramgarh, Bamanwati, Badiline Digota belonging to Alwar series of Delhi system and Buchara block belonging to Ajabgarh of Delhi system are also believed to have the copper deposit. The percentage of copper in the ore has been found to

be 1.6% which is considered to be good.

1.5.1.2 China Clay

There are vast deposits of China clay in Torda area and forest block of Buchara of the division.

1.5.1.3 Silica Sand

The main reserves of silica sand are at Booji in Jamwa Mata block.

1.6 Climate

1.6.1 Season

The climate of this tract is sub-tropical characterized by distinct Winter, Summer and Monsoon, as elsewhere in India. The summer season commences from middle of March and the heat soon becomes intensive in April. Hot westerly winds known as "LOO" are common during April, May and part of June. This periodic extremely hot. The nights are generally pleasant even during summer.

Rainy season commences from late June and continues; till middle of October. The first few showers in this well drained area of Jamwa Ramgarh sanctuary are most enjoyable. But later high humidity and heat makes the climate oppressive.

The winter season commences from November. It becomes cold in December-January. Some of the nights are frosty and the valleys of Jamwa Ramgarh become frost holes.

1.6.2 Temperature

Mercury touches 47°C on some hot summer days. In winter, nights are cold and temperature goes down to 5°C. Nights in them on the January are severely cold and temperature goes down to 0°C.

1.6.3 Rainfall

The average rainfall is 650 mm, the bulk of the precipitation being from South-east Monsoon in July, August and September.

The winter (January-February) rain showers are few. The average numbers of rainy days in a year are 30.

1.6.4 Dew

Precipitation in the form of dew occurs during Winter from October to February.

1.6.5 Winds

During summer, the wind blows from South-East. Dust storms occur in late

May and June. Wind velocity is the maximum in June and minimum in December.

1.6.6 Frost

Frost nights are common especially in valleys all over the tract. Jamwa Ramgarh Valley is the most affected region where even the tall trees of the height of 5 meters are adversely affected (1966- 67). This maintains the flora at a level.

1.7 Places of Tourist and Religious Importance

Ramgarh Dam

Ramgarh Dam is located approximately 4km from Ramgarh Town. There are hilly areas and places of tourist attraction on both sides of the Dam. People from Jaipur and nearby areas visit Ramgarh during rainy season for picnic. In recent years water level has depleted due to anthropogenic factors and climate change.

Hawa Hodi

Hawa Hodi situated amidst dense forest of forest block Ramgarh 68 is a five storied old building of former rulers which was used as their hunting place. This is a very beautiful tourist spot.

Jamwamata Temple

Kuldevi Temple of Rajput community is situated near Dam in forest block Jamwamata 64. Thousands of pilgrims visit this temple daily. There is special puja in Navratras.

Chuli Bavri Hanuman Temple

This temple is situated near village Sarjoli of Jamwamata 64 forest block. Pilgrims from distant places visit this temple.

Borda Dam

This Dam is situated on Ramgarh-Dausa Border. This is a principal picnic spot and abode several species of birds.

Ramgarh Fort

This fort is situated on Ramgarh hill. Presently it is in ruined conditions. There are some old water ponds in this fort.



1.8 Past history of wildlife management

The fact is that, with the dawn of British rule the hunting of wild animals became a sport. To bag a larger score of animals was considered to be a matter of great proud and symbol of status. There were the people who claimed hundreds of lives of the king of interiors, the tiger. Slowly this sport of hunting was adopted by the royal families of princely states. The department of shikarkhana was in separate existence prior to 1933. Under this, shikar reserves were maintained wherein shooting was the exclusive privilege of the royal families. They also used to arrange shootings in honor of their respected royal guests. This sport continued even after merger of the shikarkhana department with Forest Department in 1933. Isolated oudhies in forest areas existing even today evidence the abundance of wildlife n the past. Sumel dungri forest block that appears amere rocky hillock today is said to have supported very rich faunal asset in the past which is evidence by two old oudhies and an old well. A number of shikar oudhies exist even today in forest blocks of Amer,Jhalana and Ramgarh. The whole story reveals only the reckless killings of wild animals in the past. No concern was sought to preserve this national

heritage of wildlife. Its ecological importance was never realized and a severe damage was caused to the habitat of wild animals.

It was at the time of merger of the princely states of Jaipur with Rajasthan that the reckless destruction was caused to the entire habitat of the tract. Well forested areas were leased out to contractors who felled the trees with malafide intentions of encroaching upon forest land and grazing their cattle there upon. As a result most of the forest areas lost both flora and fauna. Excessive poaching continued in spite of the fact that the forest (Hunting, Shooting, fishing and water poisoning) Rules 1957 were under force.

When wildlife preservation became a great concern all over the country, the wildlife (protection) Act, 1972 (Act No. 53 of 1972) was constituted by the Government of India. It extended over the State of Rajasthan vide Ministry of Agriculture, Government of India (Department of Agriculture) notification No.F.11014/3/72FRI/WIE dated 1st September, 1973. In exercise of powers conferred by section 64 of the wildlife (Protection) Act, 1972 the Government of Rajasthan has made wildlife (Protection) (Rajasthan) Rules, 1977 as published in Rajasthan Gazette of July 7, 1977. Animals were classified under five schedules to the wildlife (Protection) Act, 1972. The list of schedules was first amended under No. J. 11012/31776 notified on September 3, 1977 and October 5, 1977. Thereafter, various schedules to Wildlife (Protection) Act, 1973 were further amended under Notification No. 1-28/78-FRY(WL) dated 12th September, 1980 by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and cooperation), New- Delhi. Schedule I includes those wild animals that are endangered and facing extinction. Animals included in Schedule II, Schedule III, Schedule IV have been named as special game, big game and small game where as schedule V contains vermin. State Wildlife (Protection) Act, 1972 and rules 3 to 8 in Chapter II made there under. Although it was a strong legislative measure taken towards wildlife preservation, it was in the post plan period that many efforts were made to preserve the wildlife.

Jamwa-Ramgarh area was a famous Game Reserve. Multistoried Hawa oudhi erected in Ramgarh Block witnessed shooting of countless tigers. A place of such a rich history of game hunting has a colorful and live present too. The tiger still comes, though occasionally, to pay his homage to his deity the Jamwa Mata. Panther continues to share the habitat. The population of wild boars is fairly large. Blessed with a perennial source of water, Ramgarh Dam,

the site of Asiad's rowing competition, thus, supports a beautiful faunal and floral asset.

This area demonstrates an interesting combination of two geological formations namely the Alwar Group and the Railos. The endangered species like *Panthera pardus*, *Felis caracal*, Wolf, Monitor lizard, Hare, Spur fowl, etc that has been included in the schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972 inhabit this niche. Being a corridor niche of Project Tiger Sariska in digota forest block, it is regularly visited by the tiger. Other wild animals like Cheetal, Sambhar, Neelgai, Hyena, Wild Boar, Jungle cat, Jackal, Fox, Mongoose and Porcupine etc.along with many other species of avifauna, reptiles and amphibians are found in the area. In order to conserve and preserve this rich heritage of wildlife, an area of about 300 sq.Kms, distributed over the forest blocks of kanikhor, Devitala, Bamanwati, Ramgarh and Jamwamata was proposed as Jamwa-Ramgarh wildlife sanctuary. State Government declared the area as Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary vide it's notification F11/19/raj/8/01 dated 31-05-1982.

1.9 Ecological Classification of vegetation types

Under broad category the forests are "Dry Tropical Forests". According to the classification of forests types of India by H.G. Champion and S.K.Seth, the forests met within the tract fall under group 5- "Tropical Dry Deciduous Forest" and Group 6 "Tropical Thorn Forests."

The forest is scattered over a large area on various geological and soil formations, and vary greatly in composition and quality. Edaphic and biotic factors determine their distribution. Good forest growth occurs in valleys where better soil and moisture conditions exist. The main species of the tree which cover over 80 percent of the area is Dhok (*Anogeissus pendula*). Its associates like Salar (*Boswellia serrata*),and Gurjan (*Linnea coromandelica*) grow on rocks and dry area. Khair (*Acasia catechu*) is common in valleys and Bamboo (*Dendro calamus strictus*) grow in extremely limited extent along with well drained reaches of the streams and moist, cooler aspects of the hill where soil formation still exists. It is also found in valleys. The trees are generally slow growing and attain poor height. The height of trees varies from 4.5 meters to 7.5 meters. In favourable localities the height up to 12 meters is attained. Imli (*Tamarindus indica*), Aam (*Mangifera indica*), Jamun (*Syzygium cumini*), Tendu (*Diospyros melanoxylon*), Bahera (*Terminalia bellirica*), Arjun (*Terminalia arjuna*), Churel (*Holoptelia integrifolia*), Siris (*Albizzia lebbek*), *Ficus* spp etc.

which grow in moist localities attain large size, both in crown spread and height. Where valleys fan out in open and where they flatten and become wide, dhak (*Butea monosprema*) grows gregariously.

These forests have been classified on the basis of their composition as follows

- DhokForest
- SalarForest
- KumthaForest
- Miscellaneous forest-Further divided into four types
- Dhak forest
- Forest along nalas
- Scrub forest and
- Bamboo forest

1.10 Composition and condition of theForest

Distribution of each type under following heads:

Dhok (*Anogeissus pendula*) Forest:

This is the principal species growing in the area. This corresponds to 5/0-1, „*Anogeissus pendula*“ Forest type which is an edphic climax in tropical dry deciduous forest according to champion & Seth (1968). The Dhok is a gregarious tree species and is often found in pure stands in the middle slopes of the hills where it may form over 80% of the crop. Dhok leaves are good fodder. They are browsed while on the trees as well as when dried and fallen on ground. Process of turning of leaves to rusty to brown and finally grey starts from November. By March the trees become leafless leaving sufficient leaf-forage on the ground.

The common associates of Dhok are Khair Tendu (*Diospyros melanoxylon*), Khirni (*Wrightia tinctoria*), Gurjan (*Linnea coromandelica*), Dhak, Churel and Ber (*Zizyphusmaurtiana*) are found at the foot of the hills, in valleys and along nallahs. Tree species like Jamun (*Syzygium cumini*), kalam (*Mitragyan Parvifolia*), Gular (*Ficus glomerata*), Rohini (*Mallotus phillippinensis*) area found in moist localities.

Salar (*Boswellia serrata*) Forest

Next to Dhok, Salar is the principal tree Species of these forests. This type corresponds to 5/E-2, "Boswellia forest "which is anedaphic climax is Group5, "Tropical Dry deciduous Forest" according to Champion & Seth (1968). It is found on hill tops and is mixed with Dhok upto middle of the slopes. The common associates are Gurjan, Karaya (*Sterculia urens*), Tendu (*Diospyros melenoxylon*), Dhaman (*Grewia latifolia*), Khair and Safed Dhok. The forests add to the beauty of the land scape when their leaves start turning 'in to rusty and pale yellow appearances in September before fall.

Khair (*Acaciacatechu*) Forests

Khair is an important associate of Dhok and Salar and occurs scattered on to psandhillslops. They serveas good browse and their podsare good food for birds and ungulates.

1.10.1 Miscellaneous Forests: Along Nallahs

These are found along nallahs, rivers and tanks which are more or less perennial. The vegetation corresponds to Type 1 S/I Dry Tropical Riverian Forest according to Champion & Seth. The Common species found are Gular (*Ficus giumerata*), Chila(*Capsicum frutescens*), Jamun (*Syzygiumcumini*), Kalam(*Saussurea obvallata*), Khajur (*Phoenix sylvestris*), Rohini (*Mallotus philippensis*).

They produce fruits rich in sugar contents.

1.10.2 Other Miscellaneous Forest

Miscellaneous forests of inferior nature correspond to E/8, Saline/Alkaline Scrub Savannah consisting of Jal (*Capparissepia*), Hingot (*Balanites aegyptica*), Kair (*Capparis decidua*), Bel (*Aegle marmelose*), Ghatbor (*Zizyphusxylopara*); and Jhariber (*Zizyphusnummularia*). Their fruits again are liked by animals especially in summer when forage is dry and many a times it is not available.

1.10.3 Bamboo Forests

Bamboo (*Dendro calamus strictus*) occurs in the forests of this tract which is classified as 5/e-9, Dry Bamboo Brake by Champion & Seth. Bamboo is found along nallahs in Dhok and Salar forests in Aravalli hills. Regeneration is not satisfactory. The bamboo leaves form for age of significance for animals of the sanctuary.

1.10.4 Tropical levels or Formation Types

1.10.4.1 Wood level

Dhok (*Anogeissus pendula*), Salar (*Boswellia serrata*), Khair (*Acacia catechu*), Kalam (*Mitrigyna parvifolia*), Tendu (*Diospyros melenoxylon*), Arjun (*Terminalia liarjuna*), Bahera (*Terminalia bellirica*), Churel (*Holoptelia integrifolia*), Safed Dhok (*Anoegissus latifolia*), Gurjan (*Lannea coromandelica*) etc. are the main species which form wood level.

1.10.4.2 Scrub level

Scattered trees of Dhak (*Butea monosperma*), Bel (*Aegle marmelose*), Ber (*Zizypus marutiana*), Ronjh (*Acacia leucophloea*), Rohini (*Mallotus philippinensis*), Hingot (*Balanites aegyptica*) etc. form the scrub level forests. The open scrub is stunted trees regularly killed by frost.

1.10.4.3 Field Level

The scrubby growth which is moderate to sparse depending upon the density of tree canopy consists mainly of chapren (*Grewia flavescens*), Gagren (*Grewia tenax*), Adusa (*Adathoda vesica*), Dansor (*Rhus spp.*), and *Dychrostachys cineria*, where the first two are excellent fodder shrubs and the others are weeds.

1.10.4.4 Ground Level

Herbaceous flora is generally scanty and consists of herbs like Adhasisi (*Xanthium strumarium*), Capparis zeylanica, Lampla (*Aristida deperessa*), Bharut (*Cenchrus barbatus*), Gorla (*Chrysopogon fulvus*), Surwala (*Heteropogon contortus*), occur in open patches.

1.11 Heterotrophs

1.11.1 Primary Heterotrophs

The herbivorous animals or the primary consumers which depend on the producers in the preceding paragraphs are Sambhar, Nilgai, Chital, Wild boar. They are distributed throughout the area. Their distribution pattern is governed by the food habits. Deep dense woody areas mainly in the valleys like etc. are occupied by the Sambar while outskirts of these valleys which are having plain land with modest slope are liked by the Chital, Nilgai and wild boar. The Langur is common throughout. But their concentration is near temples. Rhesus monkey is also found near religious places. Hare is commonly seen through out the plain areas on road sides. The porcupine is distributed all

over the sanctuary. Chital, Sambar and wild boars are seen less frequently

1.11.2 Secondary Heterotrophs

The Leopard (*Panthera pardus*) is the Principal predator. The Caracal (*Caracal caracal*), Jungle cat (*Felis chaus*), are other efficient predators found in the Sanctuary. The Jackal (*Canis aureus*), Jungle cat, Small India Civet, Palm Civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), Ratel (*Melivora capensis*), Mongoose (*Herpestes edwardsi*), Hyaena (*Hyaena hyaena*), are both predators and scavengers. They are common throughout the Sanctuary. The leopards prefer outskirts of the forest tract.

1.11.3 Scavengers

The Hyena, Jackal, Jungle cat, Mongoose and Ratel are scavengers. They scavenge the left over of large predators as well as those who die of natural or other causes. Common Griffin Scavenger and King Vulture (*Sarcogyps calvus*) are found in the region. They are the most efficient cleaning agents. Wild pig (*Sus scrofa*) are now the most tenacious scavengers. They even harass the owners of the kills.

1.11.4 BIRDS

Jamwa Ramgarh sanctuary deserves a special mention for its avifauna. Peafowl (*Pavocristatus*) is the largest gallinaceous bird. The population density of this species is high. It feeds on almost every thing including seeds, fruits, growing shoots, insects, white ants, lizards and snakes. They have not been seen feeding on left over carcasses. In turn it forms the food range of leopards & caracal.

Drives along forest roads give an impression as if Jamwa Ramgarh sanctuary is a breeding centre or farm of Grey partridges (*Francolinus pondicernua*) and Bush Quails. Black partridge (*Francolinus francolinus*) too is found in pairs but in much fewer units. Flocks of green pigeons (*Crocopus pheonicopterus*) are commonly seen on trees and they rarely come on ground except for drinking. The Blossom-headed parakeets feeding on berries make themselves conspicuous. The Rosering and Alexand parakeets are also seen. Bulbuls (*Molpastes catar*) lives near water-holes. At night rising of Night jays from the road give a pleasant surprise. The Horned-owl Fishing owl and Owlets (*Athene ssp*) are often seen at night.



1.12 FACTORS AND INFLUENCE

1.12.1 Range conditions

The Sanctuary has high potential for wild life development. The range conditions are still excellent. The mixed dry deciduous forest grasslands alienated by dense growth of trees in valleys provide food and shelter for the primary consumers. Water is available in streams till December. The local human population chiefly. Consists of Gujars and Minas who maintain large herds of cattle which graze in the forest areas. They grazing pressure is degrading the wildlife habitat.

1.12.2 Welfare Factor

1.12.2.1 FOOD

Forage for wild animals is sufficient to maintain a high level of herbivore population. There are grasses both coarse and tender present all over the Range. Fruits of *Zizyphus*, *Diospyros* Spp. (Tendu), Jamun, Figs, Khajur are eaten by Langur, Rhesus Monkeys and birds. The waste dropped on ground is available for all animals including Jackal and Civets. Even during summer which is a pinch period, food is available by way of browse from Ber (*Zizyphs*Spp.) Dhok (*Anogeissus pendula*), *Grewia* and *Bauhinia* Spp. Predator animals also have fairly wide range of food-Sambhar, Chital, Nilgai, Wild boar, Primates and pea fowls. The population of Samber, Wild boar and Nilgai is sufficient enough to serve as a sustained food supply for the predators.

1.12.3 SHELTER

The physiographic of the area presents valleys and hills inter aspersed with streams and bear good growth of Dhak and Gular trees, Bar (*Ficus bengalensis*) and Rohini Spp. Tall grasses grow in open valleys. Higher slopes support thick growth of Dhok (*Anogeissus pendula*) and provide cover for Sambar. The predators find shelter in grasses and bushes. They also prefer rocky areas and Rocky River beds for shelter

1.12.4 LIMITING FACTORS

WATER: Water holes start drying up from October and by December-January water is limited in small pools. During hot summer (March to June) the nallahs dry up and water becomes restricted to some places the small ponds called "Johads" in limited quantity but heavy pressure of cattle makes them dry soon. Water becomes a limiting fact or during summer.

FOOD: In the areas where pressure of cattle grazing is high, food becomes a limiting factor.

DECIMATING FACTORS

1.12.5 Hunting and Poaching

No hunting has been permitted in the Sanctuary for the last 20 years. Unauthorised hunting and poaching does take place especially in the areas adjoining the agricultural fields. The local nomadic tribes like Bawarias, Mongiyas and Banjara who are employed by villagers as crop protectors are habitual poachers. They are tempted to commercialize skin and meat of wild animals in nearby roadside dhabas, towns and cities.

1.12.6 Forest Fires

There are always possibilities of Forest fires. Every year there has been some cases of fire especially in grasslands, in valleys and in the bamboo glades. Fires have been noticed to sweep through the forest by burning dry litter and thus reducing forage reserve. It destroys the summer forage of wild ungulates. Fires also destroy gallinaceous birds which breed during fire season.

1.13 Villages coming under the Eco-Sensitive Zone of the Jamwa Ramgarh Sanctuary

Sr. No.	Name of Village	Sr. No.	Name of Village
1	Sankorda	31.	Nangal Tulsidass
2.	Patal ka baas	32.	Ghata Jhaldhari
3.	Bhavni	33.	Basna
4.	Kharad	34.	Toda Meena
5.	Harampur	35.	Bhavgarh
6.	Ghoreth	36.	Godiana
7.	Raipur	37.	Samredkhurd
8.	Asthal ka baas	38.	Raisar
9.	Jharunda	39.	Jojrala
10.	Khawa	40.	Luneta
11.	Paladi Khurd	41.	Kela ka baas
12.	Kharkada	42.	Bahlod
13.	Paladi Kalaa	43.	Jaisinghpura
14.	Sarjoli	44.	Chawa ka bas
15.	Buj	45.	Lalpura
16.	Manota	46.	Palasana
17.	Jhol	47.	Guwara-Jogian
18.	Doda Dungar	48.	Lotha ka bas
19.	Papad	49.	Gurawanal
20.	Rampura	50.	Jaitpuragujran
21.	Jamwaramgarh	51.	Nitata
22.	Meghrajsinghpura		
23.	Bishanpura		
24.	Nayabaas		
25.	Narpatiyabas		
26.	Badiyawala		
27.	Chugalpura		
28.	Koliana		
29.	Pali		
30.	Bisori		

1.13.1 Challenges to Tourism & Wildlife

The good health of wilder areas is the key for success of nature-based eco-tourism. Today, the Jamwaramgarh Eco-tourism faces great threat from increasing population and its ever-growing needs. Invasion of exotic species *Prosopis Juliflora* is a major challenge in the Jamwaramgarh Sanctuary.

1.13.2 Management and Governance Issues

1.13.2.1 Poaching Issues

Poaching is not a serious problem in Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary but the most of the area of the Sanctuary is open for grazing. Hence, there is no restriction on the movement and entry of the people or strangers into the Sanctuary. The population of Leopards is also considerable.

1.13.2.2 Soil Conservation, Water Harvesting, and Combating with Drought Conditions

It is observed that, the terrain of sanctuary is hilly and undulating, and depth of the soil is very shallow. Underneath the shallow soil, the earth is stony hence; the growth of vegetation is sparse, and such condition is unfavorable for allowing retention of water in the sub soil layer.

1.13.2.3 Felling of Trees

Fuel Wood and Fodder Problem

The Jamwaramgarh Sanctuary is surrounded by a large human and cattle population, which lives in villages and townships located within 5 km radius from the Sanctuary boundary. Problem increases manifold during lean period due to drought condition and non- availability of fuel.

Infrastructure and communication

The terrain is hilly, undulating and well wooded. There are villages in and around the sanctuary. There is a lot of movement of people in this region. To provide adequate protection to the wildlife and manage the protected area, proper infrastructure and communication network is of paramount importance and provision needs to be made for this.

Chapter 2

2.0 Eco-Sensitive Zone Notification

The Central Government notified an area to an extent of from 100 meter to 1 KM around the boundary of Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary in the district of Jaipur in the State of Rajasthan as the Jamwaramgarh Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone vide it's notification S.O. 6212 (E) dated 14.12.2018. The area of Eco-Sensitive Zone is 77.56 square KM.

2.1 Boundary Description of Eco-Sensitive Zone.

East-Southern Boundary: The Eastern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone starts from cummin boundary of forest block Degota-61 and Kanikhor-62 southern point, It is 100 meters away from this point is village Sankara. The Eco-sensitive Zone boundary will be 100 meters away from Sanctuary boundary in the villages Patalwas, blarwami, Kharad, Rampura, Ghoreth, Raipur, asthal ka bass, Bandi (arunda) Khawa, Paladi Khurd, Kharkada, Paladi Kalan Goth Paladi, Sarjoli, Buj, Manota, Dodalungar Sanctuary boundary.

South-Western Boundary: The South boundary of Eco-sensitive Zone starts from one kilometer away from village boundary of Dodadungar, Rampura, Dhani Arajshala. From there to village Dipola, the Eco-sensitive Zone shall be 100- 200 meters from the forest boundary, and then excluding dhani Seera, Eco-sensitive Zone will be 100 meters from Sanctuary boundary. from Jamwaramgarh to Rawla talab. From there to village Narpatiyawas, Chugalpuriya. Keliana Pali, Bisori, Nangal Tulsidas, Ghata jaldhari, Basana, Todameena the Eco-sensitive Zone shall be one kilometer away from Sanctuary boundary.

West-Northern Boundary: Eco-sensitive Zone from village Todameena to Bhavgarh Godiana, Samred Khand, Raisar, Jojarala shall be one kilometer from the Sanctuary boundary. From there, Village Luneta mining area, the Eco-sensitive zone boundary shall be 100 meters in nearly two kilometers distance. From there village Bahlod. Jaisinghpura, Chilpali. Kela ka baas, the forest boundary Pillar number 118. Eco-sensitive Zone shall be one kilometer from the Sanctuary boundary.

North-Eastern Boundary: From village kela Ka has to starting point of forest block Degota-61 which is in district Alwar, Eco-sensitive Zone shall be 500 meters from Sanctuary boundary

2.2 Activities Prohibited Within Eco-Sensitive Zone.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4^o August. 2006 in the matter of TN. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in WP.(C) No.435 of 2012.</p> <p>(c) The State Government shall comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court in IA no 1000 in the W.P.(C) No.202 of 1995 in the matter of TN. Godavarman Thirumalpad Vs. UOL if any</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.</p> <p>(b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco- sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition, non- polluting cottage industries shall be promoted</p>
3.	Establishment of major hydro- electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

	in natural water bodies or land area.	
6.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

2.3 Activities to Be Regulated Within Eco-Sensitive Zone

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
B. Regulated Activities		
1.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco- tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
2.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in subparagraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
3.	Small scale non-polluting industries	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-

		based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
4.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
5.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce. (NTFP)	Regulated as per the applicable laws.
6.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
7.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done, with mitigation as per the applicable laws, rules, and regulations available guidelines.
8.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done, with mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
9.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
10.	Protection of hill slopes and riverbanks.	Regulated as per the applicable laws.
11.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming,	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

	aquaculture, and fisheries.	
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Discharge of treated wastewater or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated wastewater and the discharge of treated wastewater or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
17.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

2.4 Activities to Be Promoted Within Eco-Sensitive Zone

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
C. Promoted Activities		
1	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
2	Organic farming.	Shall be actively promoted.
3	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
4	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be promoted.
6	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
7	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
8	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
9	Skill Development.	Shall be actively promoted.
10	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
11	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

2.5 Monitoring Committee: -

The Central Government has constituted Monitoring Committee for Eco-Sensitive Zone Comprising of following-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jaipur	Chairman;
2.	Sub-divisional officer, Jamwaramgarh	Member;
3.	Honorary wildlife warden, Jaipur	Member;
4.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	Member;
5.	A representative of Non-Governmental Organization working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
6.	One expert in biodiversity nominated by the State Government	Member;
7.	One expert in Ecology from a recognized institution or university of the State	Member;
8.	Dy. Conservator of Forest wildlife, Jaipur	Member-Secretary;

CHAPTER 3

Development Promotion & Control Regulations and Land use For Esz Jamwa Ramgarh

3.1 Overview

The ESZ has been demarcated up to an extent of 100 meters to 1 kilometer around the boundary of Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary and the area of the ESZ is 77.56 sq. km. The extent of boundaries for the ESZ and Wildlife Sanctuary is presented in Figure 3.1 (see Gazette Notification of 14th December, 2018) which shows the Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary and ESZ as per Gazette Notification, 2018.

Development Promotion and Control Regulations (DPCR) are a set of guidelines and rules established by local government authorities to govern land use and development within a specific jurisdiction. These regulations aim to promote orderly and sustainable development while ensuring that it aligns with the overall planning goals and objectives of the area.

The total area notified under Jamwa Ramgarh ESZ has been divided into two parts as shown in Figure 3.1.

Wildlife Sanctuary Area (Protected Area), known as Wildlife Sanctuary Zone

The area lying outside Wildlife Sanctuary Zone but within half kilometer buffer zone around the Wildlife Sanctuary, or ESZ boundary whichever is nearer, is known as Zone 1 B.

3.2 Landuses as Per Prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur and Allowed Activities in Jamwa Ramgarh ESZ

As per Jamwa Ramgarh ESZ Notification, the list of activities is categorized in three parts. All the development decisions shall be in conformity with the activities prohibited, regulated, permitted as per Jamwa Ramgarh ESZ Notification and also if those activities are not in contravention with prevailing Master Development Plan / Zonal Development Plan of Jaipur.

3.2.1 Prohibited Activities

As per the Jamwa Ramgarh ESZ Notification the prohibited activities are given in Annexure 1A.

3.2.2 Regulated Activities

As per the Jamwa Ramgarh ESZ Notification the regulated activities are given in Annexure 1B.

3.2.3 Promoted Activities

As per the Jamwa Ramgarh ESZ Notification the promoted activities are given in Annexure 1C.

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMWARAMGARH SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




Figure No.: 3.1 Map Showing Zones within ESZ, Jamwa Ramgarh

3.3 Provision of Jamwa Ramgarh ESZ Notification & Prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur

ESZ Notification dated 14-12-2018 prescribes prohibited, promoted and regulated activities. Prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur prescribes Landuse and Development Promotion and Control Regulations for the whole ESZ Area which shall be taken as basis for permitted and regulated activities within ESZ.

Further, if any activity is prohibited under ESZ Notification dated 14-12-2018 and by any court orders, that prohibition would prevail over the activities allowed as per prevailing Master Development Plan / Zonal Development Plan of Jaipur.

For example, new resorts would not be allowed within Zone 1B of the ESZ, though it is allowed as per prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur.

On the other hand, if any activity is allowed as per ESZ Notification but not as per prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur, then project proponent would need to obtain necessary permission including landuse change if necessary from the competent authority before undertaking any such project.

3.4 Existing Activity/Use

ESZ Notification dated 14-12-2018 prescribed regulations regarding new hotel, resort, commercial establishments, etc. This leads to the requirement of defining what is “existing.”

For purpose of ZMP for the ESZ, hotels, resorts, commercial establishments, etc. shall be considered as existing if they have any of the following issued prior to 14-12-2018 ESZ Notification of Jamwa Ramgarh:

1. Electricity connection for non-agricultural use.
2. Approval by Tourism Department as tourism unit.
3. Conversion order/Patta for non-agricultural use.
4. Building Plan approval.
5. Order regarding change in landuse.
6. Proof of deposition of tax as hotel, resort, commercial establishment, etc.
7. CTE/CTO/Environmental Clearance.

Additionally, all the duly approved uses existing prior to issue of Jamwa Ramgarh ESZ Notification shall be honored.

3.5 Proposed Landuses in Jamwa Ramgarh ESZ as Per Prevailing Zonal Development Plan of Jaipur

Various landuses have been proposed in prevailing Zonal Development Plan of Jaipur in Jamwa Ramgarh ESZ area such as residential, commercial, public and semi-public area, etc. A list showing the extent of proposed landuses is given in Annexure 2, 3&4.

As per the interim order in case no. 1554/2004 (Gulab Kothari vs State of Rajasthan and Others.) of Hon'ble Rajasthan High Court, the Recreational, Ecological Use and activities of MDP 2011 is to be retained. Therefore, it is necessary to list the uses permitted in Ecological Zone of MDP 2011 and G1 and G2 use prescribed in MDP 2025. For ready reference, the activities

permitted in Ecological Area as per MDP 2011 and the uses permitted as per MDP 2025 are given in Annexure 2, 3&4. However, anyone who wishes to propose any project to get approval on his land may obtain prior approval of Monitoring Committee of ESZ and then approval from JDA as per rules.

3.6 Provision of Zoning Regulations of Prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur

The objective of the Development Promotion and Control Regulations (DPCR) for prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur is to promote and regulate development controls for building(s) within use premises in accordance with the development policies and landuse proposals contained in the prevailing Master Development Plan/Zonal Development Plan of Jaipur.

In case of Jamwa Ramgarh ESZ area all the activities shall be in consonance with Annexures 1A, 1B and 1C.

3.7 Building Parameters for Grant of Approval

The general building parameters for permissions to be granted in Zone 1B shall be as under:

Maximum Height – 10.5 mtrs.

However, if the allowed height, as per building byelaws of JDA is less than 10.5 meters. Then, the lesser height would be applicable.

Maximum Ground Coverage – 20%

However, if the plot coverage allowed as per building byelaws of JDA is less than 20% then, the lesser ground coverage would be applicable.

Other building parameters will be as per prevailing Building Byelaws of JDA wherever applicable.

3.8 Environmental Clearance from State Environment Impact Assessment Committee or MOEF&CC

As per Sub-para 3 and Sub-para 4 of point no. 6 (Terms of Reference) of Jamwa Ramgarh Eco-Sensitive Zone Notification, the provision is as under:

The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under Paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the monitoring committee

based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

Annexure 1 A: Activities Prohibited Within Eco-Sensitive Zone.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of TN. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in WP.(C) No.435 of 2012.</p> <p>(c) The State Government shall comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court in IA no 1000 in the W.P.(C) No.202 of 1995 in the matter of TN. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI if any</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.</p> <p>(b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted</p>
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

	substances.	
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

Annexure 1 B: Activities to Be Regulated Within Eco-Sensitive Zone

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
B. Regulated Activities		
1.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco- tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
2.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
3.	Small scale non-polluting industries	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-

		sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
4.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
5.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce. (NTFP)	Regulated as per the applicable laws.
6.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
7.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done, with mitigation as per the applicable laws, rules, and regulations available guidelines.
8.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done, with mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
9.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
10.	Protection of hill slopes and riverbanks.	Regulated as per the applicable laws.
11.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
12.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture, and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated under applicable laws.

14.	Discharge of treated wastewater or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated wastewater and the discharge of treated wastewater or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
17.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

Annexure 1 C: Activities to Be Promoted Within Eco-Sensitive Zone

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
C. Promoted Activities		
1	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
2	Organic farming.	Shall be actively promoted.
3	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
4	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
5	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be promoted.
6	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
7	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
8	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
9	Skill Development.	Shall be actively promoted.
10	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.

11	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
----	--------------------------	-----------------------------

ANNEXURE – 2 ECOLOGICAL AREA AS PER MDP JAIPUR 2011

Nursery & Orchard- Nursery, Orchard, Residential Flat (for watch & ward and maintenance staff)

Ecological zone -Agriculture, Forest, Water bodies, Regional Park, Botanical Garden, Orchard &Nursery, Zoological Garden /Aquarium, Bird Sanctuary, Specialized Park/Ground, Historical Monument, Memorial, Picnic Hut/Camping Site. Resort, Restaurant, Swimming pool, Playground, Sports Training Institute, Outdoor Stadium, Religious premises, Yoga/Meditation/spiritual/religious discourse Center, Farm house/Environment friendly residence, Fair ground, Vending booth, Police post, Government reserved area, Wireless and transmission, Cremation and burial ground, Rural settlements

Highway Control Belt-The permission of use premises shall be governed by the rules and guidelines prescribed for this zone.

Rural Settlement-All uses permitted in residential use zone, Household/cottage/service/other industry, Wholesale trade, weekly market, Government/Semi-government/Local government Offices.

Rural belt-All use premises permitted in Ecological Zone, Animal Husbandry, Dairy Farm, Poultry, Piggery, Flying club, Research and development center, Fodder market, Weekly market, Junk yard,Perishable/Hazardous/Inflammable goods storage, Motel, Drive-in-cinema, Petrol pump, Police station, Jail, Bus depot, Extraction industry, Railway station/Yard

*Note : MDP 2011 has been considered for the purposes of retaining ecological zone and its provisions due to matter pending in Honorable High Court (Case NO. 1554/2004)

ANNEXURE - 3 PROVISIONS OF MDP 2025

As per the provisions shown in Vol 4 of MDP 2025, Ecological Area may have uses as under-

Ecological Area : The use premises permitted in the Ecological zone of MDP-2011 i.e. Agriculture, Forest, Water Bodies, Regional Park, Botanical Garden, Orchard & Nursery, Zoological Garden/Aquarium, Bird Sanctuary, Specialised Park/Ground, Historical Monument, Memorial, Picnic Hut/ Camping Site, Resort, Restaurant, Swimming Pool, Play Ground, Sports Training Institute, Outdoor Stadium, Religious Premises, Yoga/Meditation/Spiritual/Religious

Discourse Centre, Farm House / Environment Friendly residence, Fair Ground, Vending Booth, Police Post, Government Reserved Area, Wireless and Transmission, Cremation and Burial Ground, Rural Settlements and the use premises of G1, G2 use zones. 500mt. Radius area earmarked from existing Abadi of the settlement to accommodate Future growth. (The use of this area is designated as mixed use)

As per Jaipur MDP (2025), the Ecological Zone of Jaipur city is divided into two sub-zones; as follows;

G-1 The green zone is primarily a zone where the aim is to conserve natural features. This zone is strictly reserved. Activities such as circulation, public utilities, recreational, and heritage protection ventures case only are considered in this Zone. In case of conflict of the uses with respect to ownership as per the record of revenue, G2 activities shall apply.

G-2 It is the area primarily abutting G-1.

*Ecological Zone - This area includes the area which is suitable for agriculture and other eco sensitive purposes. (MDP 2025 Jaipur Region- Vol2)

Annexure – 4 Activities Permitted In Premises In G-2 (As Per Mdp 2025)

Table below shows all the activities that are permitted in premises of G-2 as per Jaipur MDP 2025 with minimum area requirement, road width requirement, definitions and permissible uses that provides guidelines for any kind of activity or construction which is to be carried out under Ecological Area.

Activities permitted in premises in G-2 (as per MDP 2025)

S. No.	Activity	Minimum Area required (Hect.)	Road width in m.	Definitions	Use Premises
1	Agriculture	-	-	-	-
2	Bird Sanctuary	-	-	A premise used form of a large park or forest for the preservation and breeding of birds with all related facilities.	Bird Sanctuary, watch & ward residence (upto 30 sq. mt.), Residential flat (for maintenance staff), Retail shop, Restaurant

3	Botanical Garden	-	18 mtr. & above	A premise in the form of a garden with plantation for research and exhibition.	-
4	Cremation and Burial ground	-	-	A premise with facilities of performing last rites of dead bodies by burning.	Burial ground, Cremation ground, Cemetery and electric crematorium, retail shops of wood, flowers and related materials. Watch & ward residence
5	Fair Ground	-	18 mtr. & above	A premise having facilities for exhibition, display, other cultural activities for a group of participants, animal market, etc.	Fair Ground, residential flat (for maintenance staff), exhibition center, Restaurant, soft drink & snack stall, police post, fire post, bank extension counter facility, post office counter facility.
6	Farmhouse/environment-friendly residence	0.3	18 mtr & above	A premise with low height coverage, a low height structure for residential use.	Farm house, environmental-friendly residence, watch & ward residence (up to 30 sq. mt.)
7	Forest	-	-	A thick natural flora, it shall include city forest which may have part natural flora and part manmade flora	Forest
8	Government reserved area	-	-	A premise of government land for reserved use	Government reserved area

9	Historical monument	-	-	Premise having structure or ruins thereof, belonging to an age gone past	Historical monument
10	Memorial	-	-	A premise having a tomb, samadhi or memorial dedicated to an important personality including all related facilities for visitors.	Tomb, Samadhi and other memorial, Watch & ward residence (up to 30 sq. m.), soft drink & snack stall, book and picture card shop.
11	Orchard and nursery	-	-	A premise with facilities for rearing and sale of young plants.	Nursery, Watch & ward residence (up to 30 sq. m.) all structures shall be temporary in nature.
12	Outdoor Stadium	2.0	12 mtr. & above	-	Stadium, local government office (maintenance), watch & ward residence (up to 30 sq. m.) residential flat (for maintenance staff), retail shop, restaurant
13	Picnic Hut/ Camping Site	1.0	18 mtr. & above	A premise for a short duration for recreational or leisure purposes of a family, located within a tourist and/or recreational centre.	Picnic Hut
14	Playground	-	-	A premise used for outdoor games. It may have Landscaping, Parking facilities, Public toilet, etc. on it	Playground

15	Police post	0.5 or may be more	12 mtr. & above	A premise having facilities for a local police post or temporary nature or on smaller scale as compared to a police station	Police post, essential staff housing
16	Regional Park	100 (Diapering of the availability of land)	18 mtr & above	-	-
17	Religious premise	0.5 or may be more	12 mtr & above	A premise dedicated to accommodation and service of God or other objects of religious nature. It may have different nomenclature in different religions like Temple (all faiths), Mosque, Church, Gurudwara, Ashram	(i) Temple, (ii) Mosque, (iii) Church, (iv) Gurudwara, (v) Synagogue, (vi) Ashram, (vii) Bathing Tank, (viii) Dargah and (xi) Charitable dispensary and library.
18	Resort	1.0	18 mtr. & above	-	-
19	Dhaba	0.01	-	A premise used for serving food items on a commercial basis including cooking facilities. It may have covered or open or both sitting arrangements.	Restaurants
20	Rural settlements	As per the requirement of concerned authority	-	A premise for residence village people with related facilities, services, and work centers.	Rural settlement and its planned growth
21	Specialized park/ ground	1.0	12 mtr. &	A premise having a park or ground for a	Public meeting ground, public address

				above	designated use like public meeting grounds, fun park, wonderland, etc.	podium, soft drink & snack stall.
22	Sports training institute	0.5		18 mtr & above	A premise having facilities for training and coaching for different indoor and outdoor games including swimming. It shall also include a centre for physical education.	Sports training center, Residential flat (for maintenance staff), Retail shop (Confectionary, grocery & general merchandise), Hostel, Bank, Post office, Canteen, Indoor and Outdoor stadium, swimming pool, playground.
23	Swimming Pool	0.20		9 mtr. & above	A premise with related facilities for swimming and spectators' seating which shall vary with size, standard and purpose.	Swimming pool, Watch & ward residence and maintenance staff residence, Restaurant.
24	Vending Booth	3mtr. X 3mtr,		9 mtr. & above	A premise in the form of booth for sale of commodities of daily needs of either through a mechanical installation or otherwise	Vending booth
25	Water bodies	-		-	-	-
26	Wireless transmission and	0.10		12 mtr. & above	-	-
27	Yoga/ Meditation/ Spiritual/ Religious discourse center Social Culture Centre	0.25		18 mtr. & above	A premise having facilities for self-attainment, achieving	Yoga/ Meditation/ Spiritual/ Religious discourse

				higher quality of mind and body, spiritual and religious discourse, etc.	centre Social Culture Centre. The said centres with Watch & ward residence (up to 30 sq. m.), Hostel, guest house, soft drink & stall.
28	Aquarium	-	-	A premise in the form of a garden or park or aquarium with a collection of Animal species and birds for exhibition and study. It shall include all related facilities.	-
29	Agriculture warehousing food storage	0.5	30 mtr.	A premise providing storage of Agriculture produce/ food items in case of village roads building line to be established at 30 mtr. from the center of the road.	Godown/ warehousing/ cold storage area, Residential flat (for employees and service personnel, small office 50 sq. m.) with Special permission.

* Note Item 1, 2, 4,5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 and 24 of permitted use premises of Rural Area can be considered by the statutory committee of JDA

CHAPTER 4

4.0 TOURISM PLAN FOR JAMWA RAMGARH ESZ

Heritage and tourism are interlinked and dependent on each other. Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for entertainment, refreshment, recreational or business/professional and religious purposes.

4.1 Places of Tourist and Religious Importance

Ramgarh Dam

Ramgarh Dam is located approximately 4km from Ramgarh Town. There are hilly area and places of tourist attraction on both sides of the Dam. People from Jaipur and nearby areas visit Ramgarh during rainy season for picnic. In recent year water level has depleted due to anthropogenic factors and climate change.

HawaHodi

Hawa Hodi situated amidst dense forest of forest block Ramgarh is a five storied old building of former rulers which was used as their hunting place. This is very beautiful tourist spot.

Jamwamata Temple

Kuldevi Temple of Rajput community is situated near Dam in forest block Jamwamata 64. Thousands of pilgrims visit this temple daily. There is special puja in Navratras.

Chuli Bavri Hanuman Temple

This temple is situated near village Sarjoli of Jamwamata 64 forest block. Pilgrims from distant places visit this temple.

Borda Dam

This Dam is situated on Ramgarh-Dausa Border. This is a principal picnic spot and abode several species of birds.

Ramgarh Fort

This fort is situated on Ramgarh hill. Presently it is in ruined conditions. There are some old water ponds in this fort.



4.2 Tourism Resources

The region is very rich with natural resources & biodiversity. The region is blessed with:

- Rich heritage and cultural & local traditions.
- Forest wealth (rich flora and fauna).
- Diverse tourist attractions having its own distinct features.

These attractions are spread over the entire region and are largely located in remote areas within highly fragile environments.

4.3 Tourism Trends

The tourism trends have been analyzed to understand the existing tourism profile, potential tourism scenario, and the trend projections of the ESZ, Jamwaramgarh. In addition to primary surveys across all the areas under ESZ, stakeholder discussions formed a major part of the trend analysis and the approach to tourism strategy and products development. Also, the previous year tourist footfall has been collected from the Department of Tourism, Rajasthan. According to the report in Financial Year-2021 total 1006731 tourists have visited the Jaipur in which 992014 are domestic tourists whereas

rest 14717 are the tourists from other countries.

The tourism development issues are identified and categorized under:

- Resource related issues
- Development issues:
 - Accessibility
 - Tourist amenities & infrastructure
 - Destination/ Circuit development
 - Information systems
 - Other facility etc.
- Management issues:
 - Safety issues and disaster management
 - Multiple destination & focused approach
 - Lack of tourism service providers
 - Inappropriate implementation & maintenance issues
 - Environmental issues

4.4 Eco-Tourism

4.4.1 Definitions

According to United Nations World Tourism Organization (UNWTO), **tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes.**

According to Rajasthan Eco-Tourism Policy 2021, eco-tourism is a form of sustainable tourism within a natural or cultural heritage area where community participation, protection and management of natural resources, culture, indigenous knowledge and practices, environmental education and ethics, as well as economic benefits are fostered and pursued for the enrichment of host community and satisfaction of visitors. (Policy - Rajasthan Eco-Tourism Policy 2021)

As per Rajasthan Eco-Tourism Policy the stress of tourism is for sustainable tourism which harnesses the natural and cultural heritage potential along with community participation and hence, this aspect will be taken into

consideration while framing proposals for eco-tourism guidelines for Jamwaramgarh Eco-Sensitive Zone.

*Sustainability means not only economic sustainability but sustainability of environment and culture. (National Strategy for Sustainable Tourism April 2022)

4.4.2 Importance of Eco-Tourism

- To protect and conserve the natural heritage, forests, and wildlife.
- Ecotourism can lead to producing global wealth and employment as it is the fastest-growing segment of the tourism industry.
- Due to the increase in urbanization and degradation of existing forests, wildlife, and natural areas, the public interest is increasing in nature-based tourist places and recreational areas.
- In order to strengthen community control and management of the forests, it is important to generate a sustainable flow of non-extractive financial benefits of forests for the communities, to ensure that the communities take interest in the conservation of forests and wildlife. Eco-tourism is perhaps the only means of achieving this end.

4.4.3 Objectives

To create the balance between nature and tourism.

To formulate strategies for promoting eco-tourism.

To protect and conserve the natural heritage, forests, and wildlife.

Uplifting the economic condition of the local communities by creating awareness and capacity building.

4.4.4 Methodology




Figure No. : 0.1 Methodology for Eco Tourism Master Plan

4.4.5 Scope of Eco-Tourism

- Organized for environmentally conscious small groups.
- Reduces negative impacts on the natural and socio-cultural environment.
- Promotes protection of natural areas, restoration of heritage/culture.

4.4.6 Tourism or Eco-Tourism (As per Gazette Notification of Jamwaramgh ESZ)

As per Sub-point no. 3 of Point no.3 according to Jamwaramgh ESZ Notification, the guidelines are as under:

- All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.
- The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:

New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer.

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned

regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

4.4.7 Other Forms of Eco-Tourism

Suitable form of tourism concluded from analysis are agro-based tourism and cultural (arts and craft) tourism. Based on the context, nature, and practices and in relation to the region's characteristics, eco-tourism is divided into other types as well:

Community-based eco-tourism: This form of eco-tourism implies the promotion of biodiversity conservation, local income and cultural preservation in remote areas. In turn, the implementation of community-based tourism projects requires community empowerment, the improvement of accessibility, the incorporation of tourism products based on natural resources, and the liberalization of price policy. In addition, community-based eco-tourism focuses on the development of local communities and ecological sustainability as environmental responsibility and sensitivity provide social, economic and political benefits to local communities. That is why for this type of tourism, local employment, control, and initiation are necessary.

Sustainable eco-tourism: This form of eco-tourism implies the limitation of a negative impact on the environment, the minimization of negative externalities, the promotion of cultural integrity, and the support of income generation and effective resource management. It goes without saying that developing countries with unique natural environments and cultures may take advantage of sustainable eco-tourism on a first-priority basis. Sustainable eco-tourism programs consider all social, economic and environmental aspects and generate employment for unskilled employees in rural areas through community-based tourism activities dedicated to the preservation of natural eco-systems. In addition, respect to local traditions and rational use of natural resources should be prioritized to attain sustainability.

Ecosystem eco-tourism: In general, the ecosystem includes the physical environment, living organisms, and their feedbacks and interactions. In ecosystem eco-tourism, its basic elements are provided by predation, herbivory, parasitism, and mutualism between abiotic and biotic components. While this type of eco-tourism does not exclude the commercial exploitation of the ecosystem, it depends on integrated management philosophy considering

beneficiaries, socio-economic constraints and impacts on the resource base within a realistic spatial and temporal scale. Ecosystem eco-tourism aims to promote tourism activities that may contribute to the maintenance of the ecosystem's structures and functions. Moreover, it requires the management of biological diversity and entire ecosystems in connection with the tourism experience.

Rural eco-tourism: This type of tourism promotes the combination of tourism and agriculture that provides the local peasantry with better living conditions, more profit, and employment opportunities. As per, National Strategy for Rural Eco-Tourism, 2021: The Ministry of Tourism has recently notified national strategy on rural tourism. Keeping in view that eco-tourism and adventure tourism are largely away from the cities, the strategy for rural tourism is also relevant for promotion of eco-tourism and adventure tourism in the country.

4.5 Tourism Proposals of ESZ

4.5.1 Tourism Strategy

Eco-tourism has emerged as one of the prospective sectors of industry. The future economic development will be greatly influenced by the economic opportunities arising out of tourism growth. The Tourism Development Strategy takes into consideration the economic, political, administrative and environmental aspects of the region that create either opportunities or constraints for the development of tourism and defines the macro-level policy.

The Tourism Development Strategy emphasizes on:

- Harnessing the tourism potential of the region through planned, growth-oriented and sustainable development of the Regional Circuits.
- Developing tourism to ensure the overall development of the region.

The proposed tourism development strategy is based on the following key activities:

- Focus on quality tourism than mere numbers, especially in eco-sensitive regions.
- Although Jaipur receives a high number of visitors relative to India, quality tourism should be enhanced with a variety of considerations, like better stay facilities, better connectivity, preservation of heritage values, historical relevance, eco-cultural sensitivity, etc.

4.5.2 Development Proposals

(a) Community Participation Programs

Community participation is key to sustainability of tourism projects. Projects are planned with community in center and as partners of the development. This in addition to making the projects economically contributing will also make it sustainable and reduce possible cultural conflicts. An effective way to improve the economy is to enable communities to improve the quality of life through social mobilization of the people.

The potential Eco-Tourism Sites should be chosen from the villages within Eco-Sensitive Zone Area but outside the Wildlife Sanctuary Boundary.

All such villages should have a good natural setting & proper accessibility.

In the ESZ areas Handicrafts promotion to tourists can be done in most of the villages. .One of the major support programs proposed, Rajasthan is famous for its cultural diversity, historic value, handicraft and handloom attractions, however product reorientation, development, trainings and marketing is required for economic benefit.

Various participatory activities like community plantation, water harvesting etc.

Use of new technology like hydroponics, aeroponics for sustaining exotic plants and can also be used as a demonstrative tool visiting tourist.

Demonstration of traditional village life/culture for tourists. Jaipur has been selected as **City of Crafts and Folk Arts** by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Therefore, traditional arts and crafts can be developed to showcase and market them for tourism. In view of this, development of villagers can be supported by proposing a skill development center whereas tourists can experience the rich art with having a hands-on experience of the practices.

Meeting local farmers - Allows tourists to experience the authentic rural lifestyle. It offers an opportunity to learn about the local farming practices, traditional cultivation techniques, and the significance of agriculture in the local culture and provides valuable educational insights into agricultural processes, sustainable farming methods, and the importance of biodiversity in farming systems.

Tasting a variety of fresh foods and produce - Involves farm-to-table experiences where visitors can taste locally grown and freshly harvested foods.

By tasting and purchasing local foods, tourists directly support local farmers and the local economy.

Learning about rural art - Incorporating rural art into agro-based eco-tourism diversifies the tourism offerings of a destination, attracting visitors with a specific interest in arts and cultural experiences. This diversification contributes to the sustainable development of tourism by reducing dependency on a single tourism segment, extending tourist stays, and enhancing the overall visitor experience.

Participatory dairy-based activities for tourists like milking cattle - Provides visitors with a hands-on learning experience about dairy farming. They get to understand the process of milk production, learn about the care and management of dairy animals, and gain insights into the daily routines of dairy farmers.

Village tourism shall be done through stay home tourist places. Camping sites can also be developed in such areas. Villages suitable are as follows:

1. Nangal Tulsidas
2. Ghatajaldari
3. Toda Meena Mandir

(b) Recreation and Adventure activities through Private Sector Participation Strategy & Facilitation

A Entertainment Park is proposed in about 903 bigha area in the Ghatajaldari village. The area is marked A in the map annexed. Activities to be taken up for the tourists are as follows:

1. Zipline
2. Parks/ Play grounds
3. Tracking and Hiking
4. Rock climbing
5. Nature Walks and Bicycle tours
5. Camping
6. Photography and wildlife observation
7. Star gazing

8. Workshops for wildlife knowledge enhancement

It is very important to have more private sector participation in this work. The Entertainment Park will be run under the PP mode. Private parties with adequate experience in wildlife conservation and activities will be registered and given the responsibility of above activities.

A survey shall be undertaken to determine the infrastructural and facility deficiencies at the Entertainment Park and other various tourist destinations. The provision of restrooms, drinking water facilities, rain shelters, seating arrangements, toilet facilities and temporary food kiosks are all included in the facility area.

The Monitoring committee will monitor the activities of the Park and intervene if any violation is done of the ESZ notification and the Wildlife (Protection) Act, 1972

(c) Track for Leopard sighting

The ESZ area has a number of Leopards which are regularly being sighted at specific locations. 4 tracks have been identified where Leopards are sighted on regular basis. These tracks will be developed as eco-trails for the tourists where they get experience of Leopard sightings. These trails have been marked on the map with dotted lines.

These Leopard sighting tracks will give an experience of wildlife in the open habitat to the visiting tourists. It will enrich them with knowledge of wildlife and incline the towards wildlife conservation.

(d) Formulation of Tourist Circuit

Tourist Circuit is one of the most important parts of the Master Plan. The tourist sites in the ESZ of the sanctuary may be included in the local Tourist circuit of Jaipur- Jamwaramgarh to give the tourist first hand experience of wildlife conservation.

(e) Nature Interpretation Center for Jamwaramgarh Sanctuary

Jamwaramgarh Sanctuary is fortunate to have richness of natural beauty, flora and fauna accompanied with places of religious historical and archeological importance. The rich cultural and historical heritage of the area attracts people from other states of India as well as from abroad. As the wildlife sanctuary is near Jaipur and in vicinity of Nahargarh wildlife sanctuary and Sariska tiger reserve, wildlife interpretation centre will attract a huge number of tourists.

So far, tourism in Jamwaramgarh Sanctuary has been attracting domestic

tourists in few numbers but looking to the enchanting beauty and splendor of the picturesque forest wealth present in the surrounding sanctuaries and reserve forest areas, there is high scope of opening new avenues of tourism related to nature and forests.


Nature interpretation center facilities are not developed for the sanctuary. There should be a proper center available near the entrance of the sanctuary. The center should have exhibits displayed. The following suggestions may be considered when the decision is taken for development of interpretation center:

(f) Exhibits

The interpretation center will have one or more exhibit galleries developed on the basis of specific communication objective. The following exhibit themes are considered:

- A relief map of the area showing various zones, population density of major species and tour tracks for visitors.
- Exhibits depicting major flora & fauna of the sanctuary
- Exhibits showing mammals, birds, reptiles, amphibians, which form the faunal population of the Sanctuary.
- Exhibits showing invertebrate animals such as insects, mollusks, etc., found in the Sanctuary.
- Exhibits of common trees, plants flowers and other interesting botanical features peculiar to the sanctuary.
- Exhibits on food chain and food webs in the Sanctuary.
- Exhibits on animal and plant adaptation relevant to the species of the Sanctuary.
- Exhibits on endangered species protected in the Sanctuary.
- Exhibits dealing with conservation issues such as damage to wildlife, forests, and ecosystems caused by man, the importance of conserving the fragile ecosystems, etc.
- Exhibits dealing with the objectives, activities, and conservation action plans of the Sanctuary.
- Exhibits providing tips on do's and don'ts while visiting the Sanctuary.
- The display material should be in hindi and english.

- The interpretation center should be situated near the boundary of the Sanctuary.
- The Interpretation Centre should not only have display boards but models of wild animals and birds should be displayed.
- Pamphlets giving details of sanctuary area, animals, and birds should be distributed.
- The dedicated staff should be posted to help visitor's curiosity.
- The above exhibits at the Interpretation Centre, properly designed and installed with relevant information contents, would serve as a useful pre-visit orientation for visitors. It will not only give them an idea and insight on what to look for and what to assimilate while in the Sanctuary, but also include an interest in identifying at least some of the species that come across. The Interpretation Centre would also serve as a post-visit resource center, where visitors could come back and check and verify their observations (on identification of species, for example) with the exhibits.




JAMWARAMGARH EXISTING LANDUSE 2022 GENERALISED

- RESIDENTIAL**
- RESIDENTIAL
- SLUM
- COMMERCIAL**
- COMMERCIAL/RETAIL BUSINESS,GENERAL
- COMMERCIAL/PETROL PUMP/GODOWN
- HOTELS
- MIXED LANDUSE (RESIDENTIAL&COMMERCIAL)
- GOVERNMENT**
- GOVERNMENT OFFICES
- GOVERNMENT GUEST HOUSES
- GOVERNMENT RESERVED AREA
- RECREATIONAL**
- PARKS & PLAY GROUNDS
- FAIRS/TOURIST FACILITY COMPING GROUNDS(C)
- HERITAGE (INCLUDING PLOT AND BUILDING)
- PUBLIC/SEMI PUBLIC**
- PARKS & PLAY GROUNDS
- RELIGIOUS/HISTORICAL
- OTHER COMMUNITY FACILITIES
- PUBLIC UTILITIES
- CREMATION AND BURIAL GROUNDS
- TRANSPORTATION**
- ROADS
- ECOLOGICAL USE**
- FOREST LAND
- STREAMS
- WATERBODIES
- ADMINISTRATIVE BOUNDARY**
- MUNICIPAL BOUNDARY
- VILLAGE BOUNDARY
- ESZ BOUNDARY
- MISCELLANEOUS**
- DITCH/CLIFF
- PLANTATION/AGRICULTURE/VACANT LAND
- OTHER LANDUSES**
- OPEN AREA
- NURSERY
- CONTOURS
- STRUCTURES IN FOREST AREA



Scale 1:36000




EXISTING LANDUSE PLAN OF JAMWARAMGARH ECO-SENSITIVE ZONE,2022

TWON PLANNING DEPARTMENT,URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT,GOVERNMENT OF RAJASTHAN

SENIOR TOWN PLANNER
JAMWARAMGARH
ADDITIONAL CHIEF TOWN PLANNER
RAJASTHAN,JAMW. CHIEF TOWN PLANNER
RAJASTHAN,JAMW.

JAMWARAMGARH PROPOSED LANDUSE 2022

- RESIDENTIAL**
- RESIDENTIAL
- SLUM
- COMMERCIAL**
- COMMERCIAL/RETAIL BUSINESS,GENERAL
- COMMERCIAL/PETROL PUMP/GODOWN
- HOTELS
- MIXED LANDUSE (RESIDENTIAL&COMMERCIAL)
- GOVERNMENT**
- GOVERNMENT OFFICES
- GOVERNMENT GUEST HOUSES
- GOVERNMENT RESERVED AREA
- RECREATIONAL**
- PARKS & PLAY GROUNDS
- PROPOSED ADVENTURE SPORTS PARK & RACE COURSE (903 BIGHA AREA)
- HERITAGE (INCLUDING PLOT AND BUILDING)
- PUBLIC/SEMI PUBLIC**
- PARKS & PLAY GROUNDS
- PARKS & PLAY GROUNDS
- RELIGIOUS/HISTORICAL
- OTHER COMMUNITY FACILITIES
- PUBLIC UTILITIES
- CREMATION AND BURIAL GROUNDS
- TRANSPORTATION**
- ROADS
- PROPOSED LEOPARD SAFARI TRACK 01 (5300 Mtr.)
- PROPOSED LEOPARD SAFARI TRACK 02 (4060 Mtr.)
- PROPOSED LEOPARD SAFARI TRACK 03 (3700 Mtr.)
- ECOLOGICAL USE**
- FOREST LAND
- STREAMS
- WATERBODIES
- ADMINISTRATIVE BOUNDARY**
- MUNICIPAL BOUNDARY
- VILLAGE BOUNDARY
- ESZ BOUNDARY
- PROPOSED DCF WILDLIFE BOUNDARY
- MISCELLANEOUS**
- DITCH/CLIFF
- PLANTATION/AGRICULTURE/VACANT LAND
- OTHER LANDUSES**
- OPEN AREA
- NURSERY
- CONTOURS
- PROPOSED LEOPARD MOVEMENT POINT



PROPOSED LANDUSE PLAN OF JAMWA RAMGARH ECO-SENSITIVE ZONE,2022

TWON PLANNING DEPARTMENT,URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT,GOVERNMENT OF RAJASTHAN

SENIOR TOWN PLANNER
JAMWA RAMGARH

ADDITIONAL CHIEF TOWN PLANNER
RAJASTHAN

CHIEF TOWN PLANNER
RAJASTHAN

JAMWARAMGARH TOWN AREA MAP GENERALISED

-  TEMPLE
-  HERITAGE BUILDINGS
-  KILOMETER STONE
-  BUILDING
-  CHECKDAM
-  SPRINGS
-  FALLS
-  WATERSHED
-  ROADS
-  TANKS, RIVERS & CANALS
- ADMINISTRATIVE BOUNDARIES**
-  MUNICIPAL BOUNDARY
-  WARD BOUNDARY
-  VILLAGE BOUNDARY
-  ESZ BOUNDARY

25 ha

5 ha

Scale 1:36000



N



TOWN AREA MAP OF JAMWARAMGARH ECO-SENSITIVE ZONE,2022

TWON PLANNING DEPARTMENT,URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT,GOVERNMENT OF RAJASTHAN

SENIOR TOWN PLANNER
 JAMPUR ZONE,JAMPUR

 ADDITIONAL CHIEF TOWN PLANNER
 RAJASTHAN,JAMPUR

 CHIEF TOWN PLANNER
 RAJASTHAN,JAMPUR



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone :0141-5159699,5159604 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

TollFreeHelpLineNo. : 18001806127 Ext. 7

F14/ (23)Policy/RPCB/Plg / 153 + 189


Date: 02/06/2020

Office Order

In suppression to earlier office order no. F14/ (23)Policy/RPCB/Plg/01-44 dated 08.05.2018, the State Board regarding the categorization of the industries/ projects/ processes/ activities/ mines for the purpose of consent mechanism, revised categorization for consent mechanism shall be as follows:

1. Red Category of industries/ projects/ processes/ activities/ mines : Annexure A
2. Orange Category of industries/ projects/ processes/ activities/ mines : Annexure B
3. Green Category of industries/ projects/ processes/ activities/ mines : Annexure C

This bears approval of the competent authority.



(Dr Vijai Singhal)
Member Secretary

F14/ (23)Policy/RPCB/Plg

Date:

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Government of Rajasthan, Jaipur.
2. P.S. to Chairperson, RSPCB, Jaipur.
3. Sr.PA to Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
4. The CEE/CSO/CAO/HOO, RSPCB, Jaipur.
5. The Group In-Charge, CPP/Textile/Mines & SCMG DS/ HOGM/ MUID/CD & Legal /PDF, Training Project & IEC/ Plastic & Liquid Waste/Hazardous Waste Cell/ BMW, ECC, Solid & E-waste/ PCV, Complaints, Grievances, VIP & EC Compliance/ RTI cell, RSPCB, Jaipur.
6. The Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Alwar/ Balotra/ Bharatpur/ Bhiwadi/ Bhilwara/ Bikaner/ Chittorgarh/ Jaipur South/ Jaipur North/ Jodhpur/ Kishangarh/ Kota/ Pali/ Sikar/ Udaipur.
7. GIC (IT), with directions to upload on the State Board's website.
8. Sh Arun Joshi, Joint Director (PRO), DIPR, Jaipur.
9. Guard File.


Member Secretary

Annexure A

Category: Red

S. No.	Industry Sector
1	Aerial rope way
2	Airports and Commercial Air Strips
3	Any industry/ industrial activity/ process/ operation/ facility not covered in any of the categorization and having coal fired boiler with steam generation capacity more than 5 T/hr
4	Asbestos and asbestos based industries
5	Automobiles Manufacturing (Integrated Facilities)
6	Basic Chemicals and electro chemicals and its derivatives including manufacture of acids
7	Cement/Clinker Manufacturing
8	Chemical Fertilizer (excluding formulation)
9	Chlor Alkali
10	Chlorates, perchlorates and peroxides
11	Chlorine, fluorine, bromine, iodine, and their compounds
12	Coke making, liquefaction, coal tar distillation or fuel gas making
13	Coke oven plant
14	Common treatment and disposal facilities (CETP, TSDF, E-Waste recycling, CBMWTF Effluent conveyance project, incinerators, MSW sanitary landfill sites, STP and Fecal Sludge Treatment Plant)
15	Dairy and dairy products - large and medium scale
16	DG set of capacity of ≥ 5 MVA Capacity
17	Dyes and Dye-Intermediates
18	Emulsion of oil & water
19	Fermentation industry including manufacture of yeast, Malt, beer, distillation of alcohol (ENA) (distillery)- Large & Medium Scale
20	Fiber glass production and processing (Excluding moulding)
21	Fire crackers manufacturing and bulk storage facilities
22	Halogenated hydrocarbons
23	Handloom/ Carpet weaving (with dyeing and bleaching operation)
24	Health care establishment (As defined in BMW Rules)
25	Heavy engineering including Ship Building (With investment on Plant & Machineries more than Rs. 10 Crores)
26	Heavy water plant
27	Hotels (3 Star & Above) and/or Hotels having 100 rooms and above
28	Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbons, carbon black
29	Industrial Estate/ Parks/ Complexes/ Areas/ Export Processing Zones/ SEZs/ Biotech Parks/ Leather Complexes (except solar and wind Industrial Estate/ Parks/ Complexes having areas upto 500 hectares)
30	Industrial gases namely :- a) Chemical gases: Acetylene, hydrogen, chlorine, fluorine, ammonia, sulphur dioxide, ethylene, hydrogen sulphide, phosphine; b) Hydrocarbon gases: Methane, ethane, propane
31	Industries engaged in recycling/ reprocessing/ recovery/ reuse of Hazardous Waste under schedule IV and other schedule of Hazardous Waste (M, H & TBM) Rules, 2016 and its amendments and Municipal Solid Waste (M & H) Rules, 2000 and its amendments
32	Industry or process involving foundry operations having capacity ≥ 5 MT/hr
33	Industry or process involving metal surface treatment or process such as pickling/ plating/ electroplating/ heat treatment/ phosphating or finishing and anodising/ enameling/ galvanizing
34	Ink, Pigment and Intermediates other than formulation
35	Iron and Steel (Involving processing from ore/integrated steel plants) and or Sponge Iron industries

Category: Red

S. No.	Industry Sector
36	Isolated storage of hazardous chemicals (as per schedule of Manufacture, Storage & Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 as amended)
37	Lead acid battery manufacturing (excluding assembling & charging of acid lead battery)
38	LPG bottling plant
39	Manufacturing of explosives, detonators, fuses including management and handling activities
40	Manufacturing of Glue and Gelatin
41	Manufacturing of Lead Glass
42	Manufacturing of lubricating oils, greases or petroleum based products (excluding blending only)
43	Manufacturing of paints, Varnishes, pigments and intermediate (excluding blending/ mixing)
44	Mining and/or ore beneficiation
45	Non-alcoholic beverages (soft drink) & bottling of alcohol/ non alcoholic products- Large & Medium
46	Nuclear power plants
47	Oil & Gas extraction including CBM (Offshore & onshore extraction through drilling wells)
48	Oil and gas transportation pipeline (having DG set of more than or equal to 5 MVA)
49	Oil refinery (Mineral oil or Petro Refineries)
50	Organic chemicals manufacturing (excluding formulation)
51	Pesticide specific intermediates
52	Pesticides (Technical) (excluding formulation)
53	Petrochemicals (Manufacture of and not merely use of as raw material)
54	Pharmaceuticals (excluding formulation)
55	Phosphate rock processing plant
56	Phosphorous and its compounds
57	Photographic films and its chemicals
58	Ports & Harbours, Jetties and Dredging Operations
59	Power generation plants (excluding Solar and Wind Renewable Power Plant of all capacity and mini hydal plant of less than 25 MW)
60	Primary metalurgical units such as aluminium ,copper, iron, zinc, lead etc.
61	Processes involving chlorinated hydrocarbons
62	Processing of nuclear fuel
63	Pulp and/or paper manufacturing
64	Pyrolysis Plant
65	Railway Locomotive workshops/ integrated Road transport workshop
66	Railway Stations (Outward passenger handled \geq 10 million per year)
67	River valley project
68	Ship breaking activities
69	Slaughter houses (as per the notification S. O. 270(E) dated 26.03.2001) and meat processing industries, bone mill, processing of animal horns, hoofs and other body parts
70	Sugar (excluding Khandsari)
71	Synthetic detergents and soaps (large and medium scale)
72	Synthetic fibers including rayon, tyre cord, polyester filament yarn
73	Synthetic leather, foam and related products except isolated moulding
74	Synthetic Rubber, Tyre and tube manufacutring- Large & Medium
75	Tanneries
76	Vegetable oils including solvent extraction and refinery/ hydrogenated oils
77	Yarn/ textile processing involving any effluent/ emission-generating process, bleaching, dyeing, printing and scouring
78	Ferrous and nonferrous metal extraction involving different furnaces through melting, refining, reprocessing, casting and alloy making

Annexure B

Category : Orange

S. No.	Industry Sector
1	Aluminum and copper extraction from scarp using oil fired furnace
2	Any industry/ industrial activity/ process/ operation/ facility which is not covered in Red or Green category but having coal fired boiler with steam generation capacity upto 5 T/hr
3	Assembly and charging of acid lead battery / Dry cell battery (more than 10 battery per day)
4	Automobile servicing, repairing and painting (with washing)
5	Ayurvedic and Homeopathic medicine (with Boiler)
6	Bakery/ Confectionery/ Sweets production (with production capacity \geq 1tpd with oil, gas or electrical oven)
7	Bio Fuel (with boiler and/or using organic solvents)
8	Brickfields (excluding fly ash brick manufacturing using lime process)
9	Building and construction project \geq 20000 Sq. M township and area devepoment project 5 hectare and more/ dwelling units 50 and more
10	Candy Manufacturing - Large & Medium Scale
11	Cashew nut processing
12	Ceramic, Refractories
13	CFL, tube light bulb and so on
14	Chanachur and laddoo from puffed and beaten rice(muri and chira)
15	Coal Washeries
16	Coated electrode manufacturing
17	Coffee seed processing
18	Coke briquetting (except sun-drying)
19	Compact disc, computer floppy & cassette manufacturing
20	Cotton ginning & processing (Large and Medium Scale units)
21	Cutting, sizing and polishing of marble, granite, kota stone and other stones (Except edge cutting & Chowkhat making)
22	Dairy and dairy products (small scale)
23	DG set of capacity $>$ 1MVA but $<$ 5 MVA) (Isolated)
24	Dismantling of rolling stocks (wagons/coaches)
25	Dry coal processing industries involving ore sintering, palletisation, grinding, pulverization.
26	Fermentation industry including manufacture of yeast, Malt, beer, distillation of alcohol (ENA)(distillery)- Small Scale
27	Fertilizer (granulation and formulation only)
28	Fish feed,poultry feed and cattle feed
29	Fish processing and packaging
30	Flakes from rejected PET bottle
31	Flour mills (with washing)
32	Food & food processing including fruits & vegetable processing, food additives
33	Footwears without leather footwears
34	Forging of ferrous & non- ferrous metal (using oil or gas fired furnaces)
35	Formulation of Pesticides, agro chemicals and so on and R&D Facilities

02.06.2020

Category : Orange

S. No.	Industry Sector
36	Formulation/ paletization of camphor tablets, naphthalene balls from camphor/ naphthalene powders
37	Gems and jewellery (using furnace and metal finishing)
38	Glass and fiber glass moulding
39	Gravure printing, digital printing on flex, vinyl
40	Guar and guar gum
41	Gypsum board
42	Handloom/ Carpet weaving (Dry process- Large & Medium scale)
43	Heavy engineering including Ship Building (With investment on Plant & Machineries less than Rs. 10 Crores)
44	Hot mix plants
45	Hotels (Less than 3 star) and/ or Hotels having more than 20 rooms and less than 100 rooms
46	Ice cream manufacturing
47	Industry not covered in any other category and having source of Air and/or Water pollution
48	Industry or process involving foundry operations having capacity < 5MT/hr
49	Jute processing without dyeing
50	Lime manufacturing (Using Lime Kiln)
51	Liquid floor cleaner, black phenyl, liquid soap, glycerol monostearate manufacturing
52	Manufacture of mirror from sheet glass
53	Manufacture of Starch/Saggo
54	Manufacturing of Glass (Except Lead Glass)
55	Manufacturing of iodized salt from crude/ raw salt
56	Manufacturing of mosquito repellent
57	Manufacturing of Paints, Varnishes, pigments and intermediate (blending/mixing only)
58	Manufacturing of silica gel
59	Manufacturing of toothpowder, toothpaste, talcum powder and other cosmetic items
60	Marriage Gardens/ Lawns with land area more than 2500 sq.m
61	Mechanized laundry using oil fired boiler
62	Metal fabrication with painting operation
63	Mineral grinding (including hydrated lime without kiln)
64	Mineral Processing / Separation plant (crushing, screening and washing)
65	Modular wooden furniture from particle board, MDF, Swan timber etc, Ceiling tiles/ partition board from saw dust, wood chips etc. & other agricultural waste using synthetic adhesive resin, wooden box making (With Boiler)
66	New highway construction projects
67	Non-alcoholic beverages(soft drink) & bottling of alcohol/non alcoholic products- Small Scale
68	Oil and gas transportation pipeline (having DG set of more than 1 MVA and less than 5 MVA) and/or having gas based power plant of more than 5 MW
69	Organic chemicals manufacturing (formulation)
70	Parboiled rice mill
71	Pharmaceutical formulation and for R&D purpose (for sustained release/extended release of drugs only)

Category : Orange

S. No.	Industry Sector
72	Plaster of paris
73	Ply board manufacturing including veneer & laminate using boiler and thermal fluid heater
74	Potable alcohol (IMFL) by blending, bottling of alcoholic products
75	Power press
76	Printing Ink manufacturing (Formulation)
77	Printing or etching of glass sheet using hydrofluoric acid
78	Printing press
79	Producer gas plant using conventional up-drift coal gasification (linked to rolling mills, glass and ceramic industry, refractories for dedicated fuel supply)
80	Railway Stations (Outward passenger handled >1million to <10 million per year)
81	Reprocessing of waste plastic
82	Restaurant > 25 Seats
83	Scrapping centres (for end of life of vehicles and other scraps such as plant and machineries, structural material, railway coaches and wagons etc.)
84	Spinning & weaving and yarn doubling - Large & Medium Scale
85	Spray painting, paint baking, paint stripping
86	Stone crushers
87	Surgical and medical products including prophylactics and latex
88	Synthetic detergents and soaps [excluding soap manufacturing (handmade without steam boiling) and synthetic detergents formulation] - small scale
89	Synthetic resins
90	Synthetic rubber and foam moulding
91	Synthetic Rubber, Tyre and tube manufacturing- Small Scale
92	Teflon based products
93	Thermocol manufacturing (with Boiler)
94	Thermometer making
95	Tobacco products including cigarettes and tobacco/ opium processing
96	Transformer repairing/ manufacturing
97	Tyres and tubes vulcanization/hot retreading
98	Water treatment plant
99	Wet mix macadam
100	Wire drawing & Wire netting

Category : GREEN

S. No.	Industry Sector
1	All types of Commercial testing laboratories (except diagnostic centres)
2	Assembling of Acid lead battery (up to 10 batteries per day excluding lead plate casting)
3	Automobile fuel outlet (Only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing
4	Automobile servicing & repairing (without washing)
5	Ayurvedic and Homeopathic medicine (without Boiler)
6	Bakery/Confectionery/Sweets production (with production capacity <1tpd with oil, gas or electrical oven)
7	Bamboo & Cane product including Manufacturing from cane and bamboo of shopping bags, ornament boxes (only dry operations)
8	Bi-axially oriented PP Film along with metalising operation
9	Bio Fertilizer
10	Bio Fuel (without boiler and/or using organic solvent)
11	Bio/agro waste based briquettes by dry pressing only (sun drying) without using toxic or hazardous wastes
12	Blending of melamine resins & different power, additives by physical mixing
13	Book Binding.
14	Building and construction project from 2,500 to <20,000 sq.m built up area
15	Candy Manufacturing (SSI)
16	Cardboard or corrugated box and paper products (excluding paper or pulp manufacturing and without using boiler)
17	Carpentry and wooden furniture manufacturing with the help of electrical (motorized) machines such as electric wood planner, steel saw cutting circular blade etc.
18	Cement products (without using Asbestos) like pipe, pillar, jali, well ring, block/ tiles etc.
19	Coke briquetting (sun drying)
20	Cold Rolling Mill
21	Compressed Biogas / Biogas plants except domestic biogas digester
22	Cottage Industry for manufacturing of pickle , papad, badi, mangodi etc.
23	Cottage Industry for manufacturing of spices (Spices Mills)
24	Cotton ginning & processing (small scale units)
25	Dal Mills
26	Decoration of ceramic cups & plates by electric furnace
27	Diesel Generator sets (<1 MVA) (isolated)
28	Distilled water (without boiler)
29	Edge cutting and Choukhat making
30	Engineering and Fabrication units (without metal treatment)
31	Facility of handling, storage and transportation of food grains in bulk
32	Fly ash export, transport and disposal facilities
33	Garment manufacturing (washing without detergent)
34	Glass, ceramic, earthen potteries and tile manufacturing using electrical kiln or not involving fossil fuel kilns
35	Glue from starch (physical mixing)
36	Handicrafts Unit without furnace and surface treatment
37	Handloom/ Carpet weaving (Dry process- SSI)
38	Hotels (upto 20 rooms)
39	Insulation and other coated papers (excluding paper or pulp manufacturing) manufacturing
40	Jobbing and machining
41	Leather footwear and leather products (excluding tanning and hide processing)
42	Lubricating oils, greases or petroleum based products (only blending at normal temperature)
43	Manufacturing of handicrafts/decorative/fancy items, only dry processes with no source of air emissions

Category : GREEN

S. No.	Industry Sector
44	Manufacturing of optical lenses (using electrical furnace)
45	Manufacturing of pasted veneers without using boiler or Thermic Fluid Heater or by sundering
46	Marriage Gardens/ Lawns with land area \leq 2500 sq.m
47	Metal utensils (Dry mechanical operations only)
48	Mineral stack yards/ Railway sidings
49	Mineralized water
50	Modular wooden furniture from particle board, MDF, Swan timber etc, Ceiling tiles/ partition board from saw dust, wood chips etc. & other agricultural waste using synthetic adhesive resin, wooden box making (With Out Boiler)
51	Oil and gas transportation pipeline (having small gas based power plant up to 5 MWs and/ or upto D. G. sets of 1 MVA)
52	Oil mill ghani & extraction (no hydrogenation/refining/ solvent extraction)
53	Packing materials manufacturing from non asbestos fibre, vegetable fibre yarn
54	Phenyl/ Toilet cleaner formulation & Bottling
55	Polythene & plastic processed products manufacturing (virgin plastics)
56	Poultry, hatchery, Piggery
57	Power looms (without dyeing and bleaching)
58	Puffed rice (muri) (using oil, gas or electrical heating system)
59	Pulverisation of bamboo and scrapwood
60	Railway Stations (Outward passenger handled \leq 1 million per year)
61	Ready mix cement concrete
62	Reel manufacturing
63	Reprocessing of waste cotton
64	Restaurant (\leq 25 seats)
65	Rice Mill (Rice hullers only)
66	Rubber goods industry (with baby boiler only)
67	Saw mill
68	Seasoning of wood in steam heated chamber
69	Soap manufacturing (Handmade without steam boiling)
70	Spinning & weaving , yarn doubling (SSI)
71	Steeping and processing of grains
72	Stone carving (non-power operated tools)
73	Storage of ice-cream
74	Tea processing
75	Tyre retreading by cold process
76	Personal Protective Gears such as face masks, personnel protective equipment (PPEs) etc.



Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804



Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Order No: 2024-2025/Hotels/2715

Date: Sep 3 2024 3:23PM

Unit Id : 131568

M/s Ravi Surya Developers Private Limited

E-172A, GROUND FLOOR, UTTAM TOWER, RAMESH MARG,

Cscheme Tehsil:Jaipur

District:Jaipur

Sub: **Consent to Operate** under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 12/07/2024 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder is hereby granted for your Proposed Resort Project plant situated at Ghatajaldhari grampanchayat basana Tehsiljamwaramgarh jaipur GHATAJALDHARI GRAM PANCHAYAT Tehsil:Jamwa Ramgarh District:JAIPUR, Rajasthan, subject to the following conditions:-

- 1 That this Consent to Operate is valid for a period from 12/07/2024 to 30/06/2029 .
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below:

Particular	Type	Quantity with Unit
HOTEL ACTIVITIES	Service	182.00 DOUBLE BEDDED ROOMS

- 3 That this Consent to Operate is for existing plant, process & capacity and separate Consent to Establish/Operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.
- 4 That the quantity of effluent generation along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
 Reason: Signed
 Location:





Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Date: Sep 3 2024 3:23PM

Order No : 2024-2025/Hotels/2715

Unit Id : 131568

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Recycled Qty of Effluent (KLD)	Disposed Qty of effluent (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	131.000	42.000	89.000 On Land for plantation/Horticulture/Evaporati on Loss

- 5 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
Two DG Sets(500KVA EACH)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

- 6 That the Domestic Sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed under the Environvent (Protection) Act-1986 for disposal Into Inland Surface Water. The main parameters for regular monitoring shall be as under:

Parameters	Standards
pH Value	Between 5.5 to 9.0
Oil and Grease	Not to exceed 10 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 30 mg/l
Total Suspended Solids	Not to exceed 50 mg/l
Phosphate as P	Not to exceed 1.0 mg/l

Page 2 of 8

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





98

Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Order No: 2024-2025/Hotels/2715

Date: Sep 3 2024 3:23PM

Unit Id : 131568

- 7 That all necessary permission shall be obtained from District administration, Jaipur and Government of Rajasthan related to operation of Hotel at Khasra No. 371, 371/1, 369 MIN, 374, 374/1, 370, 369/1, 362, 372/4, 372/3, 372/2, 372/1, 373/1, 373, 376/2, 361/1, 376, 366/1, 375, 368/1, 361 MIN, Ghatajaldhari Gram Panchayat, Tehsil:Jamwa Ramgarh, District:Jaipur.
- 8 That this Consent to Operate is valid for hotel with 182 double bedded rooms, Banquet Hall of 500 pax, mini Banquet of 100 pax and Restaurant with 160 pax capacity only.
- 9 That this consent is not an evidence for ascertaining entitlement of land.
- 10 That the unit shall obtain all necessary permission from forest department and/or National Board for Wildlife Clearance (NBWL), if the project falls in ESZ of Notified protected Area and the activity is not covered under permitted activity. The consent is granted under the provisions of Water Act, 1974 and Air Act, 1981 only and any other permission/consent w.r.t. Forest Conservation Act, 1980, if required, shall have to be obtained by the project proponent.
- 11 That if the project cost exceeds Rs. 103.32 Crore, the unit shall take/obtain modification in consent after paying fee as applicable.
- 12 That the Hotel shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for any such activity which attracts Environmental Clearance under the provisions EIA Notification dated 14.09.2006.
- 13 That the total Built up Area of the project shall not exceed 19,826.73 sq.m. and for any increase in Built up Area, unit shall apply for CTE expansion.
- 14 That the total fresh water requirement shall not exceed 120 KLD and same shall be met from legal source of water with all prior permissions.
- 15 That Sewage Treatment Plant (STP) of capacity 300 KLD shall be maintained to treat the wastewater in tune of 131 KLD.
- 16 That out of 117 KLD of STP treated domestic waste water, 42 KLD shall be utilized for flushing and rest 75 KLD shall be used in plantation/horticulture/gainful use/landscaping etc within the premises and no waste water shall be discharged outside the premises in any case.
- 17 That Hotel shall not construct any borewell/abstract groundwater without prior permission of CGWA.
- 18 That the Project Proponent must obtain NOC from CGWA within one month from the date of issue of CTO, unless falling in exempted category as per MoJS Guidelines dated 24.09.2020 and amendments dated 29.03.2023 thereto.
- 19 That Sewage Treatment Plant shall be maintained above the ground (if the hotel in amidst/near water bodies) in order to ensure that leakage/seepage/spillages etc. may not join the surface water or subsoil water.

Page 3 of 8

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
Reason: Self Attested
Location:





Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Order No: 2024-2025/Hotels/2715

Date: Sep 3 2024 3:23PM

Unit Id : 131568

- 20 That flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation and on the inlet and outlet of STP shall be maintained to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water utilized.
- 21 That the logbook for water consumption, waste water generation, treated water utilization, STP operation and chemical consumption shall be maintained and submitted to the officials of the State Board periodically.
- 22 That the unit shall maintain separate energy meters at the STP to record the daily energy consumption.
- 23 That the unit shall maintain acoustic enclosure and stack of adequate height with D.G. sets of 2 x 500 KVA each and any additional source of Air/Water pollution shall not be installed without obtaining prior Consent to Establish from the State Board.
- 24 That the unit shall properly channelize the fugitive emissions including emissions from cooking & kitchen operations by maintaining proper ducting/hood arrangement and proper exhaust system and emissions.
- 25 That the hotel shall maintain adequate Oil & Grease trap facility in order to retain oil & grease coming with waste water from kitchen in the trap.
- 26 That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and unit shall maintain scientific designed rain water harvesting structure of adequate capacity.
- 27 That the unit shall maintain dual pipe plumbing, one for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, thermal cooling, conditioning etc.
- 28 That the unit shall use water saving devices/ fixtures (low flow flushing systems; low flow faucets tap aerators etc) for water conservation.
- 29 That the unit shall apply for renewal of Consent to Operate at least two months before its expiry, else additional fee shall have to be deposited in accordance with the Rajasthan Water & Air (Prevention & Control of Pollution) Rules 2016 & further Amendments.
- 30 That the solid waste generated from the Hotel Services should be properly collected, segregated and disposed as per the provisions of Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2016.
- 31 That the unit shall store horticulture waste and garden waste generated from its premises separately and shall not throw, burn or bury the solid waste on streets, open public spaces outside the premises or in the drain or water bodies.

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





96

Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Order No: 2024-2025/Hotels/2715

Date: Sep 3 2024 3:23PM

Unit Id : 131568

- 32 That the unit shall ensure segregation of solid waste at source, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.
- 33 That segregated food waste from the solid waste generated in the unit shall be treated in organic waste composter and the treated compost shall be used as manure.
- 34 That proponent shall obtain the necessary permission from the forest department, or other department/authority in concern if the unit falls/comes under such area/purview or scope of concern of forest, eco sensitive zone, conserved area and within the boundary limits of any national park, sanctuary or other area defined by the forest department, any authorities in concern time to time. The sole responsibility of obtaining the permission from the departments in concerns i.e forest department, Wild Life Board or other departments rests with the project proponent. The project proponent shall ensure the operation of unit only after obtaining the permission from the departments in concern (if applicable).
- 35 That the unit shall comply Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 published by Ministry of Environment and Forests New Delhi, vide Notification no. S.O.123(E) dated 14th February, 2000 and further amendments, if any. Unit shall ensure that the noise level from the unit does not exceed the prescribed noise standard applicable in the region/Zone.
- 36 That the CPCB guidelines/mechanism prescribed for Hotel/Restaurant etc. prepared in compliance with the Hon'ble NGT order dated 19.09.2019 in the matter of OA no. 400/2017, shall be strictly complied.
- 37 That no Single Use Plastic (SUP) item, which is banned vide Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF&CC), Government of India, notification dated 12.08.2021 shall be used in the units premises.
- 38 That application of solar energy in various areas such as illumination, water heating should be promoted and use of inverters instead of Diesel Generator Sets shall be encouraged.
- 39 That the compliance of ambient air quality standards in respect of noise as prescribed under the Environment (Protection) Act and Rules made therein shall be ensured.

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
Reason: Self Attested
Location:





Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Order No: 2024-2025/Hotels/2715


Date: Sep 3 2024 3:23PM

Unit Id : 131568

- 40 That the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; Solid Waste Management Rules, 2016; Plastic Waste Management Rules 2016; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016; Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and E- Waste Management Rules, 2022, shall be complied.
- 41 That the unit will comply with the standards as prescribed vide MOEF notification No. GSR 826(E) dated 16th November, 2009 with respect to National Ambient Air Quality Standards.
- 42 That unit shall ensure that the hazardous waste (used oil etc.), battery waste and e-waste generated in the premises are collected properly and disposed only through authorized recyclers registered with MoEF&CC/CPCB and having valid Consent to Operate from the State Board.
- 43 That the unit shall apply for authorization under Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 within 30 days.
- 44 That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out.
- 45 That half yearly compliance report of all the above conditions shall be submitted by the Hotel to the State Board.
- 46 That this Consent shall be subject to compliance of any direction or order passed by Court of Law in the matter.
- 47 That the RSPCB reserves the right to add new conditions, modify/annul any of the stipulated conditions and/or to revoke the consent if implementation of any of the condition stipulated by RSPCB or any other competent authorities is not satisfactory.
- 48 That this consent is issued to the unit on the basis of mandatory documents submitted by the applicant, if any discrepancies is found in the document/facts submitted by the unit then the consent shall be treated as revoked without any further notice and the unit shall be liable for action in accordance with provisions of law.
- 49 That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have the power and reserves its right, as contained under Section 27(2) of the Water Act and under Section 21(6) of the Air Act to review anyone or all of the conditions imposed here in above and to make such variation as it deems fit for the purpose of Air Act & Water Act.

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
 Reason: Signed
 Location:





97

Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Date: Sep 3 2024 3:23PM

Order No: 2024-2025/Hotels/2715

Unit Id : 131568

- 50 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 51 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Water Act and Air Act or the Rules made thereunder.
- 52 That the Project Proponent shall comply with provisions of the E-waste (Management) Rules, 2016 and ensure that e-waste generated by them is channelized through collection centre or dealer of authorized producer or dismantler or recycler or through designated take back service provider of the producer to authorized dismantler or recycler.
- 53 That the Project Proponent shall maintain record of e-waste generated by them in Form-2 and make such records available for scrutiny by the Board.
- 54 That the Project Proponent shall file annual returns in Form-3, to the Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.
- 55 That the transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document (three copies) prepared by the sender, giving the details as per Form-6.
- 56 That the Project Proponent shall comply with provisions of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended) and submit half yearly returns (as bulk consumer, importer, auctioneer, recycler as the case may be) to the State Board as provided under Rule 10 (2) (ii) of the Battery (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended). In case the Project Proponent is not a bulk consumer even then the used batteries shall be returned to the authorized dealers or recyclers only.
- 57 That the record of batteries purchased and sold/ returned to registered dealers and/ or authorized recyclers shall be maintained and made available to the officers of the Board during inspections.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The Project Proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to

Page 7 of 8

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





Head Office Hotels
 Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/1573-1577

Order No: 2024-2025/Hotels/2715

Date: Sep 3 2024 3:23PM

Unit Id : 131568

revocation of Consent to Operate and Project Proponent / occupier shall be liable for legal action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears approval of the competent authority.

Yours sincerely,

Group Incharge[Hotels] o/c

(A): Copy to:-

- 1 DCF (Chidyaghar, Jaipur), Forest Department. *Ramnivas Garden, Jaipur.*
- 2 DCF (Wild Life, Jaipur), Forest Department. *Purana Coal Depot - Pani pech, Jaipur.*
- 3 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (N) to ensure compliance of the consent conditions.
- 4 Master File.

Group Incharge[Hotels] o/c

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.09.03 16:40:05 IST
 Reason: Sent/Posted
 Location:





Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804



58

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/7634-7636

Order No: 2023-2024/Hotels/2692

Dispatch Date: Mar 22 2024 12:26P

Unit Id : 131568

M/s Ravi Surya Developers Private Limited

E-172A, GROUND FLOOR, UTTAM TOWER, RAMESH

MARG, Cscheme Tehsil:Jaipur

District:Jaipur

Sub: Consent to Establish under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 29/01/2024 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Establish under the provisions of Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder, is hereby granted for your Proposed Resort Project plant situated / proposed at Ghatajaldhari grampanchayat basana Tehsiljamwaramgarh jaipur GHATAJALDHARI GRAM PANCHAYAT Tehsil:Jamwa Ramgarh District:JAIPUR, Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

- 1 That this Consent to Establish is valid for a period from 29/01/2024 to 31/12/2028 or date of commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier.
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below:


Particular	Type	Quantity / Capacity
HOTEL ACTIVITIES	Service	182.00 DOUBLE BEDDED ROOMS

- 3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel, the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.

Page 1 of 6

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.03.22 12:26:20 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/7634-7636

Order No : 2023-2024/Hotels/2692

Dispatch Date: Mar 22 2024 12:26PM

Unit Id : 131568

- 4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.
- 5 That the quantity of effluent generation and disposal along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Quantity of effluent to be recycled (KLD)	Quantity of treated effluent to be disposed (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	131.000	42.000	89.000 On Land For Plantation/Horticulture /Other uses/Sludge/Evaporation Loss etc

- 6 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
Three DG Sets(500KVA EACH)	ACOUSTIC ENCLOSURE, ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

- 7 That the **Proposed Resort Project plant** will comply with the standards as prescribed vide MOEF notification No. GSR 826(E) dated 16th November, 2009 with respect to National Ambient Air Quality Standards.

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.03.22 12:26:20 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





51

Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/7634-7636

Order No: 2023-2024/Hotels/2692

Dispatch Date: Mar 22 2024 12:26P

Unit Id : 131568

- 8 That the Domestic Sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed by the Board as notified under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under:


Parameters	Standards
pH Value	Between 5.5 to 9.0
Oil and Grease	Not to exceed 10 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 30 mg/l
Total Suspended Solids	Not to exceed 50 mg/l
Phosphate as P	Not to exceed 1.0 mg/l

- 9 That all necessary permission shall be obtained from District administration, Jaipur and Government of Rajasthan related to establishment of Hotel at Khasra No. 371, 371/1, 369 MIN, 374, 374/1, 370, 369/1, 362, 372/4, 372/3, 372/2, 372/1, 373/1, 373, 376/2, 361/1, 376, 366/1, 375, 368/1, 361 MIN, Ghatajaldhari Gram Panchayat, Tehsil:Jamwa Ramgarh, District:Jaipur.
- 10 That this Consent to Establish is valid for hotel with 182 double bedded rooms, Banquet Hall of 500 pax, mini Banquet of 100 pax and Restaurant with 160 pax capacity.
- 11 That if the project cost exceeds Rs. 103.32-Crore, the unit shall take/obtain modification in consent after paying fee as applicable.
- 12 That the Hotel shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for any such activity which attracts Environmental Clearance under the provisions EIA Notification dated 14.09.2006.
- 13 That the Hotel shall be constructed upon the land which is duly converted for the Hotel/Resort purpose by the competent authority.
- 14 That the total Built up Area of the project shall not exceed 19,826.733 Sq.m.
- 15 That the total fresh water requirement shall not exceed 120 KLD and same shall be met from legal source of water with all prior permissions.
- 16 That Hotel shall not construct any borewell/abstract groundwater without prior permission of CGWA.

Page 3 of 6

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.03.22 12:26:20 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/7634-7636

Order No: 2023-2024/Hotels/2692

Dispatch Date: Mar 22 2024 12:26P

Unit Id : 131568

- 17 That Sewage Treatment Plant (STP) of capacity 300 KLD shall be installed to treat the wastewater in tune of 131 KLD.
- 18 That entire STP treated domestic waste water in tune of 131 KLD shall be utilized for plantation/horticulture/flushing/other gainful use/landscaping etc. within the premises and no waste water shall be discharged outside the premises in any case.
- 19 That Sewage Treatment Plant shall be built above the ground (if the hotel in amidst/near water bodies) in order to ensure that leakage/seepage/spillages etc. may not join the surface water or subsoil water.
- 20 That flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation and on the inlet and outlet of STP shall be provided to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water utilized.
- 21 That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and unit shall construct and maintain scientific designed rain water harvesting structure of adequate capacity and nos.
- 22 That adequate stack height along with acoustic enclosures on three D.G. sets of 500 KVA each shall be maintained and additional source of Air/Water pollution shall not be installed without prior Consent to Establish from the State Board.
- 23 That priority shall be given for the use of cleaner fuel in DG sets/other air sources i.e. having low sulphur percentage and provide adequate PCM.
- 24 That the compliance of ambient air quality standards in respect of noise as prescribed under the Environment (Protection) Act and Rules made therein shall be ensured.
- 25 That the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016; Solid Waste Management Rules, 2016; Plastic Waste Management Rules 2016; Construction and Demolition Waste Management Rules 2016; Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and E- Waste Management Rules, 2022, shall be complied.
- 26 That the unit shall obtain authorizaion under Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 for the used/spent oil category before the commencement of the project.
- 27 That the CPCB guidelines /mechanism prescribed for Hotel/Restaurant etc. prepared in compliance with the Hon'ble NGT order dated 19.09.2019 in the matter of OA no. 400/2017, shall be strictly complied.
- 28 That the logbook for water consumption, waste water generation, treated water utilization, STP operation and chemical consupmtion shall be maintained and submitted to the officials of the State Board whenever asked.
- 29 That separate electric meter shall be installed at the STP.

Page 4 of 6

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.03.22 12:26:20 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





60

Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/7634-7636

Order No: 2023-2024/Hotels/2692

Dispatch Date: Mar 22 2024 12:26PM

Unit Id : 131568

- 30 That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out.
- 31 That half yearly compliance report of all the above conditions shall be submitted by the Hotel to the State Board.
- 32 That this Consent to Establish shall be subject to compliance of any direction or order passed by Court of Law in the matter.
- 33 That the unit shall obtain necessary permission from National Board for Wildlife Clearance (NBWL), if the project falls in ESZ of Notified protected Area and the activity is not covered under permitted activity. The consent is granted under the provisions of Water Act, 1974 and Air Act, 1981 and any other permission/consent w.r.t. Environment Protection Act, 1986 and Forest Conservation Act, 1980, if required, shall have to be obtained before implementation of the project.
- 34 That the RSPCB reserves the right to add new conditions, modify/annul any of the stipulated conditions and/or to revoke the consent if implementation of any of the condition stipulated by RSPCB or any other competent authorities is not satisfactory.
- 35 That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have the power and reserves its right, as contained under Section 27(2) of the Water Act and under Section 21(6) of the Air Act to review anyone or all of the conditions imposed here in above and to make such variation as it deems fit for the purpose of compliance of the Water Act and Air Act.
- 36 That the grant of this Consent to Establish is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 37 That the grant of this Consent to Establish shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This Consent to Establish shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the Water Act and Air Act and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of Consent to Establish and project proponent / occupier shall be liable for legal

Page 5 of 6

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.03.22 12:26:20 IST
 Reason: Sent/Altered
 Location:





Head Office Hotels
Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-2716804

Registered

File No : F(HDF)/JAIPUR(Jamwa Ramgarh)/4(1)/2023-2024/7634-7636

Order No: 2023-2024/Hotels/2692

Dispatch Date: Mar 22 2024 12:26P

Unit Id : 131568

action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears approval of the competent authority.

Yours sincerely,

Group Incharge[Hotels]

(A): Copy to:-

- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (N) to ensure compliance of the consent conditions.
- 2 Master File.

Group Incharge[Hotels]

Signature valid

Digitally signed by Vinita Singh
 Date: 2024.03.22 12:26:20 IST
 Reason: Self Attested
 Location:





Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141- 2716804, 2716800, e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877



Registered Post/E-mail

No.F.14 (Hotel-58)Jaipur/RSPCB/198-199

Date: 19/06/2025

M/s Ravi Surya Developers Pvt. Ltd.,

E-172A, Ground Floor, Uttam Tower,

Ramesh Marg, C-scheme, Jaipur.

Email: accounts@ravisuryagroup.com

Sub.-:Regarding acknowledgement of date of commissioning.

Ref.:-

- i. Consent to Operate issued vide State Board's order no. 2024-2025/Hotels/2715 dated 03.09.2024.
- ii. Your letter dated 02/06/2025.

Sir,

With reference to your letter dated 02.06.2025, it is to inform you that the above referred Consent to Operate was issued to the unit on 03.09.2024 considering the unit operational from 01.08.2018 based on legal undertaking submitted by you and back period fee was charged for the period 01.08.2018 to 12.07.2024 as per prevailing provisions.

Yours sincerely,

(Ashok Kumar Yogi, RAS)

Group Incharge (Hotels)

Group Incharge(Hotels)

Copy to:- Master file.

Annexure-XI



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation
Central Ground Water Authority

(भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र) NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	Proposed Resort Project Ananta Spa And Resort Promoted By Ravi Surya Developers Pvt. Ltd.		
Project Address:	Khasra No. 372/3,372/2,361,372/4,371/1,369,371,372/1,370,361/1,369/1,373/1,368/1,362,366/1,374/1,374, Khasra No. 373,376/2,376,375		
Village:	Ghata Jaldhari	Block:	Jamwa Ramgarh
District:	Jaipur	State:	Rajasthan
Pin Code:			
Communication Address:	Plot No. E-172 A, Ground Floor, Uttam Tower, Ramesh Marg, C-scheme, Jaipur, Jaipur, Rajasthan - 302001		
Address of CGWB Regional Office :	Central Ground Water Board Western Region, 6-a, Jhalana Doongri, Jaipur, Rajasthan - 302004		

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. NOC No.: | CGWA/NOC/INF/ORIG/2025/21175 | 2. Date of Issuance | 1/29/2025 5:00:34 PM |
| 3. Application No.: | 21-4/20047/RJ/INF/2024 | 4. Category: | Over Exploited |
| 5. Project Status: | Existing Project | 6. NOC Type: | New |
| 7. Valid from: | 10/10/2024 | 8. Valid up to: | 09/10/2026 |

	Fresh Water		Saline Water		Dewatering		Total	
	m ³ /day	m ³ /year						
10. Details of ground water abstraction /Dewatering structures	110.00	40150.00					110.00	40150.00

Abstraction Structure*	Total Existing No						Total Proposed No					
	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu
	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0

- *DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; MP-Mine Pit;MPu-Mine Pumps
- | | |
|---|----------------------|
| 11. Ground Water Abstraction/Restoration Charges paid (Rs.): | 300300.00 |
| 12. Environment Compensation (if applicable) paid (Rs.): | 587400.00 |
| 13. Number of Piezometers(Observation wells) to be constructed/ monitored & Monitoring mechanism. | Monitoring Mechanism |
- | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| **DWLR - Digital Water Level Recorder | Manual | DWLR** | DWLR With Telemetry |
| | 1 | 0 | 1 |
| | | | 0 |

(Compliance Conditions given overleaf)

This is an auto generated document & need not to be signed.



Validity of this NOC shall be subject to compliance of the following conditions:

Mandatory conditions:

- 1) Installation of tamper proof digital water flow meter with telemetry on all the abstraction structure(s) shall be mandatory for all users seeking No Objection Certificate and intimation regarding their installation shall be communicated to the CGWA within 30 days of grant of No Objection Certificate.
- 2) Proponents shall mandatorily get water flow meter calibrated from an authorized agency once in a year.
- 3) Construction of purpose-built observation wells (piezometers) for ground water level monitoring shall be mandatory as per Section 14 of Guidelines. Water level data shall be made available to CGWA through web portal. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure-II of the guidelines.
- 4) Proponents shall monitor quality of ground water from the abstraction structure(s) once in a year. Water samples from bore wells/ tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analysed in NABL accredited laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to CGWA through the web portal.
- 5) In case of mining projects, additional key wells shall be established in consultation with the Regional Director, CGWB for ground water level monitoring four (4) times a year (January, May, August and November) in core as well as buffer zones of the mine.
- 6) In case of mining project the firm shall submit water quality report of mine discharge/ seepage from Govt. approved/ NABL accredited lab.
- 7) The firm shall report compliance of the NOC conditions online in the website (www.cgwa-noc.gov.in) within one year from the date of issue of this NOC.
- 8) Industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall undertake annual water audit through certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to CGWA. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next three years through appropriate means.
- 9) Application for renewal can be submitted online from 90 days before the expiry of NOC. Ground water withdrawal, if any, after expiry of NOC shall be illegal & liable for legal action as per provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 10) This NOC is subject to prevailing Central/State Government rules/laws/norms or Court orders related to construction of tube well/ground water abstraction structure / recharge or conservation structure/discharge of effluents or any such matter as applicable.

General conditions:

- 11) No additional ground water abstraction and/or de-watering structures shall be constructed for this purpose without prior approval of the Central Ground Water Authority (CGWA).
 - 12) The proponent shall seek prior permission from CGWA for any increase in quantum of groundwater abstraction (more than that permitted in NOC for specific period).
 - 13) Proponents shall install roof top rain water harvesting in the premise as per the existing building bye laws in the premise.
 - 14) The project proponent shall take all necessary measures to prevent contamination of ground water in the premises failing which the firm shall be responsible for any consequences arising thereupon.
 - 15) In case of industries that are likely to contaminate the ground water, no recharge measures shall be taken up by the firm inside the plant premises. The runoff generated from the rooftop shall be stored and put to beneficial use by the firm.
 - 16) Wherever feasible, requirement of water for greenbelt (horticulture) shall be met from recycled / treated waste water.
 - 17) Wherever the NOC is for abstraction of saline water and the existing wells (s) is /are yielding fresh water, the same shall be sealed and new tubewell(s) tapping saline water zone shall be constructed within 3 months of the issuance of NOC. The firm shall also ensure safe disposal of saline residue, if any.
 - 18) Unexpected variations in inflow of ground water into the mine pit, if any, shall be reported to the concerned Regional Director, Central Ground Water Board.
 - 19) In case of violation of any NOC conditions, the applicant shall be liable to pay the penalties as per Section 16 of Guidelines.
 - 20) This NOC does not absolve the proponents of their obligation / requirement to obtain other statutory and administrative clearances from appropriate authorities.
 - 21) The issue of this NOC does not imply that other statutory / administrative clearances shall be granted to the project by the concerned authorities. Such authorities would consider the project on merits and take decisions independently of the NOC.
 - 22) In case of change of ownership, new owner of the industry will have to apply for incorporation of necessary changes in the No Objection Certificate with documentary proof within 60 days of taking over possession of the premises.
 - 23) This NOC is being issued without any prejudice to the directions of the Hon'ble NGT/court orders in cases related to ground water or any other related matters.
 - 24) Proponents, who have installed/constructed artificial recharge structures in compliance of the NOC granted to them previously and have availed rebate of upto 50% (fifty percent) in the ground water abstraction charges/ground water restoration charges, shall continue to regularly maintain artificial recharge structures.
 - 25) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, pharmaceutical, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution as per Annexure III of the guidelines.
 - 26) In case of new infrastructure projects having ground water abstraction of more than 20 m³/day, the firm/entity shall ensure implementation of dual water supply system in the projects.
 - 27) In case of infrastructure projects, paved/parking area must be covered with interlocking/perforated tiles or other suitable measures to ensure groundwater infiltration/harvesting.
 - 28) In case of coal and other base metal mining projects, the project proponent shall use the advance dewatering technology (by construction of series of dewatering abstraction structures) to avoid contamination of surface water.
 - 29) The NOC issued is conditional subject to the conditions mentioned in the Public notice dated 27.01.2021 failing which penalty/EC/cancellation of NOC shall be imposed as the case may be.
 - 30) This NOC is issued subject to the clearance of Expert Appraisal Committee (EAC) (if applicable).
 - 31) In the self-compliance report, the PP shall submit details of Drilling Agency/ Agencies, which has/ have constructed BW(s)/ TW(s) along with undertaking to the effect that all necessary measures have been taken as per directions of Hon'ble Supreme Court provided in Annexure-VII of guidelines dated 24.09.2020 in respect of abandoned/ failed BW(s)/ TW(s)/Piezometer(s), if any. The PP is advised to engage registered drilling agency/ agencies. In the event of any mishap/ unfortunate incident due to negligence in taking measures for prevention of accident due to falling in Bore Well, both PP and concerned drilling agency shall jointly be held responsible and penal action as per extant Government rules shall be taken.
- (Non-compliance of the conditions mentioned above is likely to result in the cancellation of NOC and legal action against the proponent.)

18/11, जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011 / 18/11, Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi-110011
 Phone: (011) 23383561 Fax: 23382051, 23386743
 Website: cgwa-noc.gov.in

प्राप्त हुआ - 27/01/2021
 18/11, जामनगर हाउस - नई दिल्ली



GPS MAP CAMERA

18/07/2025
Friday, 6:08 PM

☀️ 24 °C


Jaipur, Rajasthan, India

Jamwaramgarh, Jaipur, Rajasthan,
India, 302028

Report: Work Progress



Lat 27.082184°
Long 76.5794°



TAVA

25


TAVA
KEMAM
KUALA



GPS MAP
CAMERA

18/07/2025
Friday, 4:33 PM

☀️ 24 °C



Lat 25.420510°
Long 76.075363°

Report: Work Progress



GPS MAP
CAMERA



18/07/2025
Friday, 4:42 PM

24 °C

Lat 27.082168°
Long 76.7538°

Report: Work Progress